

अनुसूचित जातेयाँ और अनुसूचित जनजातेयाँ आदेश (संशोधन)
विधेयक, 1976 का

शुद्धपत्र

पृष्ठ 2, पंक्ति 17, - "(अड्डान और निकोबर) द्वीप" के स्थान पर "अड्डान और निकोबर द्वीप" पढ़ें।

पृष्ठ 6, पंक्ति 32, - "जम्बुवल" के स्थान पर "जम्बुदुल" पढ़ें।

पृष्ठ 6, पंक्ति 32, - "सिन्धीलु" के स्थान पर "सिंधोलु" पढ़ें।

पृष्ठ 6, पंक्ति 36, - "धहरा" के स्थान पर "धाहर" पढ़ें।

पृष्ठ 6, पंक्ति 41, - "झोलो" के स्थान पर "झालो" पढ़ें।

" " " - "याली" के स्थान पर "भालो" पढ़ें।

पृष्ठ 7, पंक्ति 5, - "होरे" के स्थान पर "हरी" पढ़ें।

पृष्ठ 7, पंक्ति 20, - "चाम्पार" के स्थान पर "चाभार" पढ़ें।

पृष्ठ 7, पंक्ति 38, - "आदेष थर्फी" के स्थान पर "आद थर्फी" पढ़ें।

पृष्ठ 7, पंक्ति 39, - "धंजारा" के स्थान पर "धंजडा" पढ़ें।

पृष्ठ 8, पंक्ति 15, - "आदेष" के स्थान पर "आद" पढ़ें।

पृष्ठ 8, पंक्ति 39, - "सारेआडे" के स्थान पर "सरेहडे" पढ़ें।

पृष्ठ 9, पंक्ति 2, - "हलासर" के स्थान पर "हतसार" पढ़ें।

पृष्ठ 9, पंक्ति 19, - "बोडा" के स्थान पर "बेड़" पढ़ें।

पृष्ठ 9, पंक्ति 22, - "फालबेगी" के स्थान पर "लालबेगी" पढ़ें।

पृष्ठ 9, पंक्ति 25, - "चम्पार" के स्थान पर "चभार" पढ़ें।

पृष्ठ 9, पंक्ति 28, - "योची, तेलगु-योची" के स्थान पर "योची, युची, तेलगु-योची" पढ़ें।

पृष्ठ 10, पंक्ति 5, - "सुडुगाटुसेदध" के स्थान पर "सुडुगाटुसेदृध" पढ़ें।

पृष्ठ 10, पंक्ति 13, - "अलयन" के स्थान पर "मतयन" पढ़ें।

पृष्ठ 10, पंक्ति 29, - "युची" के स्थान पर "युची" पढ़ें।

पृष्ठ 10, पंक्ति 37, - "हुस्ला" के स्थान पर "हस्ला" पढ़ें।

पृष्ठ 10, पंक्ति 42, - "वल्लवन" के स्थान पर "वलुवन" पढ़ें।

पृष्ठ 11, पंक्ति 19, - "सूर्यरागनाली" के स्थान पर "रागनाली" पढ़ें।

पृष्ठ 11, पंक्ति 19, - "दनखी" के स्थान पर "दंखी" पढ़ें।

पृष्ठ 12, पंक्ति 2, - "क्लेरा या गिरथा" के स्थान पर "क्लेरा, गिरथा" पढ़ें।

पृष्ठ 12, पंक्ति 4, - "हरत्त" के स्थान पर "हरली" पढ़ें।

पृष्ठ 12, पंक्ति 6, - "तेलुगु" के स्थान पर "तेलगु" पढ़ें।

पृष्ठ 12, पंक्ति 9, - "थगु" के स्थान पर "थेगु" पढ़ें।

पृष्ठ 12, पंक्ति 29, - "याडीया" के स्थान पर "नाडीया" पढ़ें।

पृष्ठ 12, पंक्ति 30, - "होलर" के स्थान पर "होसर" पढ़ें।

पृष्ठ 12, पंक्ति 41, - "धांसार" के स्थान पर "सांसार" पढ़ें।

पृष्ठ 14, पंक्ति 26, 27, तथा 28, - "34. सरेइ 35. रिक्लीगर 36. रिल्लीगर" के स्थान पर 34. सरेला 35. सरेइ 36. रिल्लीगर" पढ़ें।

- पृष्ठ 14, पंक्ति 33, - "बदी" के स्थान पर "बादी" पढ़ें।
 पृष्ठ 15, पंक्ति 28, - "ओजला" के स्थान पर "आोजला" पढ़ें।
 पृष्ठ 15, पंक्ति 44, - "कूटन" के स्थान पर "कूटन" पढ़ें।
 पृष्ठ 17, पंक्ति 23, - "भईयार" के स्थान पर "धुईयार" पढ़ें।
 पृष्ठ 17, पंक्ति 30, - "धारकार" के स्थान पर "धरकार" पढ़ें।
 पृष्ठ 17, पंक्ति 34, - "तुरहेया" के स्थान पर "तुरहा" पढ़ें।
 पृष्ठ 17, पंक्ति 47, - "रैदास" के स्थान पर "र्ल्डास" पढ़ें।
 पृष्ठ 18, पंक्ति 32, - "क्षद्रुनायक्न" के स्थान पर "क्षोद्रुनायक्न" पढ़ें।
 पृष्ठ 18, पंक्ति 35, - "चेववार" के स्थान पर "चेचुवार" पढ़ें।
 पृष्ठ 19, पंक्ति 6, - "भासा" के स्थान पर "धोण" पढ़ें।
 पृष्ठ 19, पंक्ति 11, - "घेदक" के स्थान पर "गेडक" पढ़ें।
 पृष्ठ 19, पंक्ति 11, - "नलोंडा" के स्थान पर "नलगोंडा" पढ़ें।
 पृष्ठ 19, पंक्ति 12, - "घेदक" के स्थान पर "गेडक" पढ़ें।
 पृष्ठ 20, पंक्ति 3, - "बडा" के स्थान पर "बडो" पढ़ें।
 पृष्ठ 20, पंक्ति 35, - "पाश" के स्थान पर "पाधर" पढ़ें।
 पृष्ठ 20, पंक्ति 39, - "कछ" के स्थान पर "क्छ" पढ़ें।
 पृष्ठ 21, पंक्ति 4, - "बाधी" के स्थान पर "बाधरी" पढ़ें।
 पृष्ठ 21, पंक्ति 23, - "घेवासी" के स्थान पर "घेवासी" पढ़ें।
 पृष्ठ 21, पंक्ति 30, - "हलाती" के स्थान पर "हलपाते" पढ़ें।
 पृष्ठ 21, पंक्ति 41, - "कम्भारा" के स्थान पर "कम्भार" पढ़ें।
 पृष्ठ 22, पंक्ति 8, - "कुस्तावास" के स्थान पर "कुस्मन" पढ़ें।
 पृष्ठ 22, पंक्ति 23, - "कोंडरेडिइस" के स्थान पर "कोंडरेड" पढ़ें।
 पृष्ठ 23, पंक्ति पंक्ति 6, - "सलगुजा" के स्थान पर "सरगुजा" पढ़ें।
 पृष्ठ 24, पंक्ति 15, - "भार" के स्थान पर "भर" पढ़ें।
 पृष्ठ 24, पंक्ति 39, - "क्व्या नागा" के स्थान पर "क्व्या नागा" पढ़ें।
 पृष्ठ 26, पंक्ति 15, - "ओरांक" के स्थान पर "ओरांव" पढ़ें।
 पृष्ठ 26, पंक्ति 24, - "याराया" के स्थान पर "थाल्जा" पढ़ें।
 पृष्ठ 26, पंक्ति 29, - "तडवा" के स्थान पर "तडवी" पढ़ें।
 पृष्ठ 26, पंक्ति 39, - "तोयलनाडु" के स्थान पर "तोयलनाडु" पढ़ें।
 पृष्ठ 27, पंक्ति 9-10, - "शेन्टेदट्टा" के स्थान पर "शेंकोटा" पढ़ें।
 पृष्ठ 27, पंक्ति 17, - "शेन्टेदट्टा" के स्थान पर "शेंकोटा" पढ़ें।
 पृष्ठ 27, पंक्ति 39, - "घेप्पी" के स्थान पर "खेफ्पी" पढ़ें।
 पृष्ठ 28, पंक्ति 7, - "नू" के स्थान पर "शू" पढ़ें।

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश
 (संशोधन) विधेयक, 1976 का

शुद्धिष्ठपन सं0 2

- पृष्ठ 2, पंक्ति 19, "ऐसे" के स्थान पर "ऐसा" पढ़े ।
 .. पंक्ति 19, 20 और 21, "हे" के स्थान पर "है" पढ़े ।
 पृष्ठ 6, पंक्ति 7, "4 और आल" के स्थान पर "4 आरे बाला" पढ़े ।
 पृष्ठ 12, पंक्ति 41, "बीसफर" के स्थान पर "बीसफ़ैर" पढ़े ।
 पृष्ठ 16, पंक्ति 21, "71. बनन" के स्थान पर "71. बनन(कन्याकुमारी जिले में और तिस्लेलबेलि जिले के शेन्गेटा तालुक में)" पढ़े ।
 पृष्ठ 17, पंक्ति 28, "27. घनगर" के स्थान पर "27. घण्ड" पढ़े ।
 पृष्ठ 20, पंक्ति 30,- "15. कोती" के स्थान पर "15. कोली(कच्च जिले वै)" पढ़े ।
 पृष्ठ 21, पंक्ति 13,- "सिती" के स्थान पर "सीती" पढ़े ।
 पृष्ठ 25, पंक्ति 15,- "7." के स्थान पर "6." पढ़े ।
 पृष्ठ 37, पंक्ति 7,- "विवा" के स्थान पर "रीवा" पढ़े ।
 पृष्ठ 40, पंक्ति 3,- "26. घन्नो" के स्थान पर "26. मेहतर" पढ़े ।
 पृष्ठ 42, पंक्ति 3 नीचे से,- "पाहार" के स्थान पर "पाठोकर" पढ़े ।
 पृष्ठ 46, पंक्ति 3,- "27. घंगर" के स्थान पर "27. घण्ड" पढ़े ।
 पृष्ठ 46, पंक्ति 5 नीचे से,- "4. बेलिया" के स्थान पर "4. देविया" पढ़े ।
 पृष्ठ 48, पंक्ति 11 नीचे से,- "पा" के स्थान पर "या" पढ़े ।
 पृष्ठ 51, पंक्ति 4 नीचे से,- "सोथाल" के स्थान पर "संथाल" पढ़े ।
 पृष्ठ 51, पंक्ति 5 नीचे से,- "11. गो०" के स्थान पर "11. गोड" पढ़े ।
 पृष्ठ 54, पंक्ति 19,- "आ' ख'" के स्थान पर "आरख'" पढ़े ।
 .. पंक्ति 25,- "ओ०" के स्थान पर "ओजा" पढ़े ।
 पृष्ठ 56, पंक्ति 7,- "निस्लेलपैलि" के स्थान पर "तिस्लेलबेलि" पढ़े ।

* * * * *

1976 का विधेयक सं० 59

[शेड्यूल कास्ट्स एण्ड शेड्यूल ट्राइब्स आर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल, 1976 का
हिन्दी अनुवाद]

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूचियों में कतिपय जातियों
और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने
के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के
कारण संसदीय और सभा निर्दाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का
पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक
ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित
विषयों के लिए उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है। | संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ। |
| 5 | (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधि-
सूचना द्वारा, नियत करे। | |

परिभाषा एवं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) “जनगणना प्राधिकारी” से भारत का महाराजस्टार और पदेन जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है;
 - (ख) “आयोग” से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निवाचिन आयोग अभिप्रेत है;
 - (ग) “परिसीमन अधिनियम” से परिसीमन अधिनियम, 1972 अभिप्रेत है;
 - (घ) “परिसीमन आयोग” से परिसीमन अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है;
 - (ङ) “अन्तिम जनगणना” से भारत में 1971 में की गई जनगणना अभिप्रेत है;
 - (च) “अनुसूचित जातियां आदेश” से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है;
 - (छ) “अनुसूचित जनजातियां आदेश” से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अण्डमान और निकोबार) द्वीप अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अभिप्रेत हैं;
 - (ज) “राज्य” से ऐसे राज्य अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित जातियां आदेश और अनुसूचित जनजातियां आदेशों में सम्मिलित हैं और इसके अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्रेत भी हैं।

3. अनुसूचित जातियां आदेश, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किया जाता है।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश; द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किए जाते हैं।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जैसी कि वह अन्तिम जनगणना के समय थी, जनगणना प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित या प्राक्कलित की जाएगी।

(2) जहां धारा 3 या धारा 4 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण,—

- (क) किसी राज्य में किसी परिक्षेत्र में, जो उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आदेशों की अनुसूचियों के भागों में से किसी भाग में किसी जाति या जनजाति के संबंध में विनिर्दिष्ट है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है ताकि ऐसी जाति या जनजाति के संबंध में बड़ा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में और किसी पूर्वतन जनगणना में जिसमें विधित क्षेत्र के संबंध में उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभिनिश्चित किए गए थे, यथा अभिनिश्चित उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा और वह ऐसे आंकड़ों में उस अनुपात में वृद्धि या कमी करके जिसमें उस राज्य की या, यथास्थिति, खंड,

5

1972 का

10

15

20

25

30

35

40

अनुसूचित जातियां
आदेश का
संशोधन।

अनुसूचित जन-
जातियां आदेशों
का संशोधन।

अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित
जनजातियों की
जनसंख्या का
अवधारण।

- जिले, तालुक, तहसील, पुलिस थाने, विकास खंड या अन्य प्रादैशिक खण्ड की साधारण जनसंख्या में जिसके संबंध में ऐसी जाति या जनजाति उक्त संशोधनों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, पूर्वोक्त पूर्वतन जनगणना और अन्तिम जनगणना के बीच बढ़िया या कमी हुई है, उस जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करेगा;
- (ख) किसी जाति या जनजाति में, जो किसी राज्य या उसके भाग के संबंध में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों समझी गई है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है ताकि ऐसी जाति या जनजाति को ही उस राज्य या उसके भाग के संबंध में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहाँ जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा :
- परन्तु जनगणना प्राधिकारी के लिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें उस जाति या जनजाति की जनसंख्या अन्तिम जनगणना में और पूर्वतन जनगणनाओं में से किसी जनगणना में अभिनिश्चित नहीं की गई थी और उस प्राधिकारी की राय में संख्या में कम है।
- स्पष्टीकरण—जहाँ खंड (क) में निर्दिष्ट किसी वर्धित क्षेत्र के संबंध में किसी जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े एक से अधिक पूर्वतन जनगणनाओं में अभिनिश्चित किए गए थे वहाँ जनगणना प्राधिकारी, उस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्वतन जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी जाति या जनजाति की ऐसी जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा जो समय की दृष्टि से अन्तिम जनगणना के आस-पास हैं।
- (3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।
- (4) इस प्रकार अधिसूचित जनसंख्या के आंकड़े अन्तिम जनगणना के समय यथा अभिनिश्चित सुसंगत जनसंख्या के आंकड़े माने जाएंगे और पूर्व प्रकाशित आंकड़ों को अतिष्ठित करेंगे ; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अन्तिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

6. (1) धारा 5 के अधीन किसी राज्य के सम्बन्ध में जनसंख्या के आंकड़ों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह—
- (क) किसी ऐसे आदेश में जो संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के और इस अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किया गया है ; और
- (ख) किसी ऐसे आदेश में जो उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उस आयोग द्वारा किया गया है,

निर्वाचन आयोग
द्वारा निर्वाचन-
क्षेत्रों का पुनः
समायोजन ।

परिसीमन आयोग द्वारा यथा अवधारित किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन किए बिना ऐसे संशोधन करे जो उस राज्य की, यथा स्थिति, अनुसूचित जातियों को या अनुसूचित जनजातियों को परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के, यथास्थिति,

खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी ऐसे आदेश में, जो आयोग द्वारा इसके अधीन संशोधित किया जाए, यथार्वानिर्दिष्ट आरक्षत स्थान की संख्या के आधार पर समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) परिसीमन अधिनियम की धारा 9 के अधीन किए गए किसी आदेश में कोई संशोधन करने में, आयोग, जहाँ तक आवश्यक हो, उस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के उपबन्धों को ध्यान में रखेगा। 5

(3) आयोग—

(क) संशोधनों के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को भारत के राजपत्र में, और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा;

10

(ख) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसके पश्चात् वह उन प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के मुद्रे प्राप्त हो गए हैं; और

(घ) तत्पश्चात् आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा। 15

आयोग की प्रक्रिया
और शक्तियाँ।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्—

1908 का 6

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना;

20

(ख) किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा करना; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और विषयों के बारे में कोई जानकारी जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है, देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी। 25

(3) आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 1974 का 2

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएँ भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएँ होंगी। 30

संशोधनों का
प्रकाशन और
उनके प्रवर्तन की
तारीख।

8. (1) आयोग परिसीमन अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों में से प्रत्येक आदेश में अपने द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, प्रत्येक ऐसे संशोधन को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 35

(3) भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथार्थाघ, ऐसा प्रत्येक संशोधन लोक सभा और सम्बद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में किन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसा पुनः समायोजन, जो परिसीमन आयोग के ऐसे किसी आदेश में आयोग द्वारा किए गए किन्हीं संशोधनों के कारण आवश्यक हो गया है और इस प्रकार संशोधित ऐसे आदेश में 5 उपबन्धित है, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के ऐसे प्रत्येक निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होगा जो ऐसे संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए मूल आदेशों में अन्तर्विष्ट प्रतिनिधित्व सम्बन्धी उपबन्धों को अतिष्ठित करते हुए इस प्रकार लागू होगा।

50 का 43

110

(5) पूर्वगामी उपधाराओं की कोई भी बात लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में उस प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा, किए गए संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में है।

15

9. (1) आयोग, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर,—

20

(क) परिसीमन अधिनियम की धारा 9 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए और इस अधिनियम के अधीन संशोधित आदेशों में से किसी आदेश में किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या किसी ऐसी गलती को जो अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई हो, ठीक कर सकता है ; और

निर्वाचन आयोग
की कतिपय अस्त्य
शक्तियाँ ।

(ख) जहां उक्त आदेशों में से किसी आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं में या नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहां आदेशों की अद्यतन बनाने के लिए ऐसे संशोधन कर सकता है जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

25

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, लोक सभा और सम्बद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

30

10. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अवधारण के लिए जनगणना प्राधिकारी द्वारा, या निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के लिए आयोग द्वारा, की गई सभी बातें और कार्यवाहियाँ, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हैं, इन उपबन्धों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएंगी मानो ऐसे उपबन्ध, ऐसी बातें या कार्यवाही किए जाने के समय प्रवृत्त थे।

अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए कार्यों का विधिमान्य-करण ।

प्रथम अनुसूची (धारा 3 द्वेष्टिए)

35

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 में,—

40

(क) पैरा 2 में, "17" अंकों के स्थान पर, "19" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

"4. इस आदेश में किसी राज्य अथवा उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथागठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है।"

(ग) ग्रन्तुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

“ग्रन्तुसूची”

भाग 1—आनंद्र प्रदेश

1. आदि आनंद्र	31. मदासि कुरुव, मादिरि कुरुव	
2. आदि द्रविड़	32. मादिग	5
3. अनामुक	33. मादिग वासु, मष्टीन	
4. आरे आल	34. महार	
5. अरुन्दतिय	35. माल	
6. अर्वे माल	36. माल दासरि	
7. बारिकी	37. माल वासु	10
8. बावुरी	38. माल हन्ते	
9. बेड़ जंगम, बुड़ग जंगम	39. माल जंगम	
10. बिड़ल	40. मालमस्ति	
11. बैगारा	41. माल साले, नेतकानि	
12. चचटि	42. माल सन्धासी	15
13. चलवादि	43. मांग	
14. चमार, मोची, मुची	44. मांग गारोडी	
15. चम्भार	45. मन्त्रे	
16. चांडाल	46. मस्ति	
17. डक्कल, डोक्कलवार	47. मातंगि	
18. दण्डासि	48. मेहतर	20
19. ढोर	49. मिताश्रयलवार	
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पानो	50. मुण्डल	
21. एल्लमल्वार, येल्लमालवाण्डलु	51. पाकी, मोती, थोटि	
22. घासी, हड्ही, रेल्ल चचन्हि	52. पम्बड, पम्बण्ड	25
23. गोडगिल्ली	53. पमिडी	
24. गोडारी	54. पंचम, परम्य	
25. गोसागी	55. रेल्लि	
26. होलेय	56. सामगार	
27. झोलेय दासरि	57. सम्बन	
28. जगलि	58. सप्रु	30
29. जस्तुवुलु	59. सिन्धीलु चिन्दोलु	
30. कोलुपुलवाण्डलु		

भाग 2—आसाम

1. बांस फोर	9. कैबर्टे, जालिया	
2. भुइनाली, माली	10. लालबेगी	35
3. वृत्तियाल बनिया, बनिया	11. महरा	
4. धुपी, धोबी	12. मेहतर, धंगी	
5. डुगला ढोली	13. मुची, ऋषि	
6. हीर	14. नामशूद्र	
7. जलकेवट	15. पटनी	40
8. झोलो, मालो, आलो—माली	16. सुवधार	

भाग 3—बिहार

- | | | | |
|-----|--|-----|-------------------|
| 1. | बांतर | 11. | दुसाध, धारी, धरही |
| 2. | बाउरौ | 12. | धासी |
| 3. | भोगता | 13. | हलालखोर |
| 4. | भुईया | 14. | हरि, मेहतर, भंगी |
| 5. | भूमिज (उत्तरी छोटा नागपुर और
दक्षिणी छोटा नागपुर खण्डों
तथा संथाल परगना जिले को
छोड़कर) | 15. | कंजर |
| 10 | चमार, मोची | 16. | कुरारियार |
| 7. | चौपाल | 17. | लालबेंगी |
| 8. | दवगर | 18. | मुसहर |
| 9. | धोबी | 19. | नट |
| 10. | डोम, धनगड़ | 20. | पान, सवासी |
| | | 21. | पासी |
| | | 22. | रजवार |
| | | 23. | तुरी |

15

भाग 4—गुजरात

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 1. | अगेर | 12. | हल्लीर |
| 2. | बाकड़, बण्ट | 13. | हलसार, हस्लार, हुलस्वार,
हलस्वार |
| 3. | बावा-डेढ़, डेढ़-साधु | 14. | होलार, वल्हार |
| 4. | भाम्बी, भाम्भी, असादरु, असोदी,
चमाडिया, चमार, चाम्मार, | 15. | होलेय, होलेर |
| 20 | चामगार, हरलया, हरली
खालपा, मचियार, मोचीगार, | 16. | लिंगाड़ेर |
| 52 | मादर, मादिय, मोची, नालिया,
तेलगु मोची, कामटी मोची,
राणीगार, रोहिदास, रोहित,
सामगार | 17. | महार, तराल, धेगु मेगु |
| 5. | भंगी, मेहतर, ओलगाना रुखी,
मलकाना, हलालखोर, | 18. | महायावंशी, धेड़, धेढ़, वणकर,
मारु वणकर, अन्त्यज |
| 30 | लालबेंगी, बाल्मीकि, कोरार, | 19. | मांग, मातंग मिनिमादिग |
| 6. | झाड़मल्ली, | 20. | मांग-गाहडी |
| 7. | चलवादि, चव्यय | 21. | मेघवल, मेघवाल, मेघवार |
| 8. | चेन्ना वासर, होलेयदासर | 22. | मुकी |
| 9. | डंगशिया | 23. | नाडिया, हाडी |
| 10. | डोर, कक्कया, कंकया | 24. | पासी |
| 35 | गरमातंग | 25. | सेनवा, शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत |
| 11. | गरोड़ा, गरो | 26. | शिमलिया |
| | | 27. | थोरी |
| | | 28. | तीरगार, तीरबन्द |
| | | 29. | तुरी |
| | | 30. | तुरी, बरोत, डेढ़ बरोत |

भाग 5—हरियाणा

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|--|
| 1. | आदि धर्मी | 7. | बाजीगर |
| 2. | बाल्मीकि चूड़ा, भंगी | 8. | भंजारा |
| 3. | बंगाली | 9. | चमार, जटिया चमार, रेहगड़,
रैगड़, रामदासी, रविदासी |
| 40 | बराड़, बुराड़, बेराड़ | 10. | चनाल |
| 5. | बटवाल | 11. | डागी |
| 6. | ब्रीरिया, बावरिया, | | |

12. दड़ै	25. नट	
13. ढोहा, ढैया, ढैआ	26. ओड	
14. धात्क	27. पासी	
15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी	28. पेरना	5
16. डुमना, महाशा, डूम	29. फेरेरा	
17. गगड़ा	30. सनहाई	
18. गंठीला, गण्डील, गोण्डोला	31. सनहाल	
19. कबीरपंथी, जुलाहा	32. सांसी, भैड़कूट, मनेश	
20. खटीक	33. संसोई	
21. कोरी, कोली	34. सपेला	10
22. मरीजा, मरेचा	35. सरेड़ा	
23. मजहबी	36. सिकलीगर	
24. मेघ	37. सिरकीबन्द	

भाग 6—हिमाचल प्रदेश

1. आदि धर्मी	28. हाली	15
2. बांढी, नागलू	29. हेसी	
3. बालमीकि, भंगी, चूहड़ा, चूड़ा,	30. जोगी	
चूहड़े	31. जुलाहा, जुलाहे, कबीरपंथी, कीर	
4. बान्धेला	32. कमोह, दगोली	
5. बंगाली	33. करोक	20
6. बंजारा	34. खटीक	
7. बांसी	35. कोरी, कोली,	
8. बरड़	36. लोहार	
9. बराड़, बुराड़, बेराड़	37. मरीजा, मरेचा	
10. बटवाल	38. मजहबी	25
11. बौरिया, बावरिया	39. मेघ	
12. बाजीगर	40. नट	
13. भंजड़ा, भंजड़े	41. ओड	
14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़;	42. पासी	
रैगड़, रामदासी, रविदासी,	43. पेरना	30
रामदासिया, मोची	44. फेरा, फेरेरा	
15. चनाल	45. रेहाड़, रेहाड़ा	
16. छिम्बे, धोबी	46. सनहाई	
17. डार्गी	47. सनहाल	
18. दड़ै.	48. सांसी, भैड़कूट, मनेश	35
19. दराई, दरयाई	49. संसोई	
20. दाउले, दावले	50. सपेला	
21. धाकी, तूरी	51. सरड़े, सरेड़ा, सराड़े, सिरयाड़े,	
22. धानक	सरिआड़े	
23. धावगरी, धुआई	52. सिकलीगर	40
24. धोगरी, धांगरी, सिग्गी	53. सिपी	
25. डूम, डूमना, डुमना, डुमने, महाशा	54. सिरकीबन्द	
26. गगड़ा	55. तेली	
27. गंधीशा, गण्डील गोण्डोला	56. ठियार, ठठेरा,	

भाग ७— क्षत्रियक

- | | | | |
|----|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | आदि आनंदी | 39. | हलासर, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार |
| 2. | आदि द्रविड़ | 40. | हंदी, जोगी |
| 3. | आदि कर्णटक | 41. | हस्ला |
| 5 | 4. अदीय (कुर्ग जिले में) | 42. | होलार, वलहार |
| | 5. आगेर | 43. | होलाय, होलेंर, होलेय |
| | 6. आजिला | 44. | होलेयदासरी |
| | 7. अनामुक | 45. | जगली |
| | 8. आरे माल | 46. | जम्बुबुलु |
| 10 | 9. अरुथथियार | 47. | कडैयन |
| | 10. अर्वमाल | 48. | कल्लादि |
| | 11. बैरा | 49. | कैम्पमारी |
| | 12. बाकड़, बंट | 50. | कोरुपुलवाण्डलु |
| | 13. बकुडा | 51. | कूसा |
| 15 | 14. बालगाई | 52. | कोरच |
| | 15. बण्डो | 53. | कोरम |
| | 16. बंजारा, लम्बाणी | 54. | कोटेगार, मैत्री |
| | 17. बथडा | 55. | कुडुम्बन |
| | 18. बोडा जंगम, बुडग जंगम | 56. | कुरवान् |
| 20 | 19. बेलरा | 57. | लिंगाडेर |
| | 20. भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी, | 58. | मचला |
| | मलकाना, हलालखोंर, कालबेगो, | 59. | मदारी |
| | बालमीकि, कोरार, ज्ञाडमाली । | 60. | मादिग |
| 25 | 21. भंबी, भंभी, असादल, आसोदी, | 61. | महार, तराल, धेग मेगु |
| | चमडिया, चमार, चम्मार, चम- | 62. | माहयावंशी, धेड़, वणकर, मरु- |
| | गार, हरलय्या, हरली, खलपा, | | बणकर |
| | मचिगार, मोचिगार, मादार, | 63. | मैला |
| | मादिग, मोची, तेलगु-मोची | 64. | माल |
| | कामटि-मोची, राणीगार, | 65. | मालदासरी |
| 30 | रोहिदास, रोहित, सामगार | 66. | माल हन्नई |
| | 22. भोवी | 67. | मालजंगम |
| | 23. बिंदला | 68. | मालमस्तो |
| | 24. ब्यागरा | 69. | मालसाले, नेतकानि |
| | 25. चविकलियान | 70. | माल सन्यासी |
| 35 | 26. चलवादी, चल्वादी, चन्नैया | 71. | मांग, मातंग, मिनिमादिग |
| | 27. चांडाल | 72. | मांग गारडी, मांगगारोडी |
| | 28. चेन्नादासर, होलेयदासर | 73. | मन्त्रे |
| | 29. दक्कल, दक्कलवार | 74. | मश्तो |
| | 30. दक्कलिगा | 75. | माविलन |
| 40 | 31. ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या | 76. | मेघवाल, मेघवार |
| | 32. डोम, डोम्बर, पैडी, पानो | 77. | मोगेर |
| | 33. एल्लमलवार, येल्लम्मलवाण्डलु | 78. | मुक्री |
| | 34. गंटी चोर | 79. | मुङ्डाला |
| | 35. गारीडा, गरो | 80. | नाडिया, हाडी |
| 45 | 36. गोड्डा | 81. | नलकेड्य |
| | 37. गौसंगो | 82. | नलकेयब |
| | 38. हल्लीर | 83. | नाथाडि |

84. धार्ते	93. सम्बन्ध
85. पल्लव	94. सपरी
86. पस्बाड़ा	95. सिल्लेकियथसे
87. पंचम	96. सिघोलू, चिदोलू
88. पन्नियाडि	97. सुडुगाटुसिद्ध
89. परझान, परथ्या	98. थोटि
90. परवन	99. तीरगार, तीरबन्द
91. राणीयार	100. वल्लुवन
92. सासगार	

भाग 8—केरल

10

1. आदि आनंद	33. कुडुम्बन
2. आदि द्रविड़	34. कुरवन, सिढ्हनार
3. आदि कनाटक	35. मैला
4. आजिला	36. अलयन (पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर)
5. अरुन्थथियार	37. मण्णन
6. अय्यनवर	38. माविलन
7. बैरा	39. मोरेर
8. बकुड़ा	40. मुण्डाला
9. बंडी	41. नलकेयव
10. बथडा	42. नलकाड्य
11. बेलारा	43. नायाडी
12. भरतर	44. पदम्भन
13. बोयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मलावार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर]	45. पल्लन
14. चक्किलियान	46. पल्लुवन
15. चमार, युची	47. पास्बाड़ा
16. चाँडाल	48. पाणन
17. चेष्मन	49. पंचम
18. छोम्बन	50. परैयन, परयन, सांबवर
19. गवार	51. परवन
20. गोडामली	52. पतियन
21. गोड़ा	53. पेष्मण्णन
22. गोसंगी	54. पुलयन, चेरमर
23. हुस्ला	55. पुलय वेटुवन
24. होलेय	56. पुतिरई वण्णन
25. कडैयन	57. राणीयार
26. कक्कलन	58. सासगार
27. कल्लाडी	59. सम्बन
28. कणक्कन, पदन्न	60. सेम्भान
29. करिम्पालन	61. तण्डान
30. कवर	62. थोटि
31. कूसा	63. वल्लोन
32. कूटन, कूडन	64. वल्लवन
	65. वण्णन
	66. वेलन
	67. वेटन
	68. वेट्टुवन

भाग ९—मध्य प्रदेश

- | | |
|---|---|
| <p>1. श्रोवलिया
2. बागरी, बागडी
3. बहना, बाहना
4. बलाही, बलाई
5. बांछडा
6. वरहर, बसोड
7. बरगुन्डा
8. बसोर, बुरुड, बांसोर, बांसोडी,
बांसफोड, बसार</p> <p>10 9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालबेगी,
धरकार</p> <p>15 12. भानुमती
13. चडार</p> <p>14. चमार, चमारी, बेरवा, भांवी
जाटव, मोची, रैगड़, नोना,
रोहिदास, सूर्यरामनामी
सतनामी, सूर्यबंशी, सूर्यरामनामी,
अहिरवार, चमार मंगन, रैदास</p> <p>20 15. चिदार
16. चिकवा, चिकवी
17. चितार</p> <p>25 18. दहाइत, दहायत, दहात
19. देवर</p> <p>20. धानुक
21. धेड़, धेड़</p> <p>22. धोबी (भोपाल, रायसेन और
सिंहोर ज़िलों में)</p> <p>30 23. डोहोर
24. डोम, डुमार, डोमे, डोमर,
डोरस</p> <p>25. गांडा, गांडी</p> <p>35 26. घासी, घसिया
27. होलिया
28. कंजर</p> | <p>29. कातिया, पथरिया
30. खटीक
31. कोली, कोरी
32. कोतवाल (भिड, धार, देवास,
गुना, ग्वालियर, इन्दौर,
झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा ज़िलों में)</p> <p>33. खंगार, कनेरा, भिरधा
34. कुचवंधिया
35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया,
पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल,
सीधी और टीकमगढ़ ज़िलों
में)</p> <p>36. महार, मेहरा, मेहर
37. मांग, मांग गारोडी, मांग गारुडी,
दनखी मांग, मांग महाशी,
मदारी, गारुडी, राधे मांग</p> <p>38. मेघवाल</p> <p>39. मोविया</p> <p>40. मुसखान</p> <p>41. नट, कालबेलिया, सपेरा,
नवदिगार, कुबुतर</p> <p>42. पारधी (भिड, धार, देवास,
गुना, ग्वालियर, इन्दौर,
झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा ज़िलों में)</p> <p>43. पासी
44. रुज्जर</p> <p>45. सांसी, सांसिया</p> <p>46. सिलावट</p> <p>47. झमराल</p> |
|---|---|

भाग 10—महाराष्ट्र

- | | |
|--|---|
| <p>40 1. अगेर
2. अनामुक
3. अरे माल
4. अर्वमाल
5. बहना, बाहना</p> | <p>6. बाकड़, बंट
7. बलाही, बलाई
8. बसोर, बुरुड, बांसोर, बांसोडी
9. बेड जंगम, बुडग जंगम
10. बेडर</p> |
|--|---|

11.	भंबी, भंभी, असादल, असोदी, चमाडिया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलय्या, हरल्ल, खलपा, मच्चीगार, मोच्चीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलुगु मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगर, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यरामनामी	29. कातिया, पथरिया
12.	भंगी, मेहतर, श्रोनगना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालझेंगी, बालमीकि, कोरार, झाडमाली	30. खंगार, कनेरा या मिरधा
13.	बिदला	31. खटीक, चिकवा, चिकवी
14.	ब्यागरा	32. कोलुपुलवाण्डलु
15.	चलवादि, चन्तैया	33. कोरी
16.	चेन्नादासर, होलाय दासर, होलेय दासरी	34. लिंगाडेर
17.	डक्कल, डोक्कलवार	35. मादजी
18.	ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या, डोहोर	36. मादिग
19.	डोम, डुमार	37. महार, मेहर, तराल, धगु मेगु
20.	एल्लमलवार, येल्लम्मलवाण्डलु	38. माह्यावंशी, घेड, वणकर, मारुवणकर
21.	गांडा, गांडी	39. माल
22.	गरोडा, गरो	40. मालवासरी
23.	घासी, घसिया	41. माल हन्ते
24.	हल्लीर	42. माल जंगम
25.	हलसार, हस्लार, हुलस्वार, हुलस्वार	43. माल मस्ति
26.	होलर, वलहार	44. मालसाले, नैतकानि
27.	होलाय, होलर, होलेय, होलिया	45. माल सन्यासी
28.	कैकडो (अकोला, अमरावती, भंशारा, बुलडाना, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में और राजुरा तहसील को छोड़कर चन्द्रपुर जिले में)	46. मांग, मातंग, मिनिमादिग, इंखनी 20 मांग, मांग-महाशी, मदारी, गारुडी, राधे मांग
29.		47. मांग गारोडी, मांग गारुडी
30.		48. मत्ते
31.		49. मश्ती
32.		50. मेघवाल, मेघवार
33.		51. मिता अथ्यलवार
34.		52. मुक्की
35.		53. माडीया, हाडी
36.		54. पासी
37.		55. सांसी
38.		56. शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत
39.		57. सिंधौलू, चिदोलू
40.		58. तीरगार, तीरबन्द
41.		59. तुरी

भाग 11—सणिपुर

- धूपी, धोबी
- लोई
- मुची, रविदास
- नामशूद्र
- पाटनी
- सूत्रधार
- यैथिबि

भाग 12—सेवालय

- बांसफर
- धुईमाली, धाली
- बुत्तियालवनिया, बनिया
- धूपी, धोबी

5

10

15

25

30

35

40

- | | | |
|-----|-----------------|--------------------|
| 5. | डुगला, डोली | 11. महरा |
| 6. | होरा | 12. मेहतर, भंगी |
| 7. | जलकेवट | 13. मुच्चे, त्रुषि |
| 8. | झालो, झालो-झालो | 14. नामशूद्र |
| 9. | कैबर्ट, जालिया | 15. पाटनी |
| 10. | लालबेगी | 16. सूत्रधार |

भाग 13—उड़ीसा

- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | आदि आन्ध्र | 40. ईरीका |
| 2. | अमान्त, अमात | 41. जग्गली |
| 10 | ओधेलिया | 42. कंडरा, कंडारा |
| 4. | बड़ैक | 43. कारुण्या |
| 5. | बाघटी, बाघुटी | 44. कटिया |
| 6. | बाजीकर | 45. केला |
| 7. | बारी | 46. खड़ाल |
| 15 | बारीकी | 47. कोडालो, खोडालो |
| 9. | बासोर, बुरुड | 48. कौरी |
| 10. | बाउरी | 49. कुम्मारी |
| 11. | बाउटी | 50. कुरुंगा |
| 12. | बावुरी | 51. लवाण |
| 20 | बैंडिया, बेजिया | 52. लाहेरी |
| 14. | बेलदार | 53. मदारी |
| 15. | भाट | 54. मादिग |
| 16. | भोई | 55. महूरिया |
| 17. | चचटी | 56. भाला, झाला, मालो, झाला |
| 25 | चक्को | 57. भांग |
| 18. | चमार, मोचो, मुचो, सतनामी | 58. भांगण |
| 19. | चांडाल | 59. मेहरा, महार |
| 20. | चन्दाई मारू | 60. मेहतर, भंगी |
| 21. | चेह्या, छेकिया | 61. मेवार |
| 30 | दंडासी | 62. मुङ्डपोट्टा |
| 24. | देवर | 63. मुसहर |
| 25. | धनवार | 64. नगारचो |
| 26. | धोबा, धोबी | 65. नामशूद्र |
| 27. | डोम, डोम्बो, डुरीया डोम | 66. पैडो |
| 35 | दोसधा | 67. पैण्डा |
| 28. | गंडा | 68. पामोडी |
| 29. | घंटरघड़ा, घंटरा | 69. पाण, पाणो |
| 30. | घासी, घसिया | 70. पंचम |
| 31. | घोगिया | 71. पाणिका |
| 40 | घुसुरिया | 72. पंका |
| 34. | गोडागली | 73. पाणतन्ति |
| 35. | गोडारी | 74. पाप |
| 36. | गोडरा | 75. पासी |
| 37. | गोखा | 76. पटियाल, पाटीकर, पान्नतन्ति,
पटुआ |
| 45 | गोराईत, कोराईत | 77. रणनी |
| 39. | हाड़ी, हाड़ी, हड़ो | |

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 78. रेल्ली | 86. सियाल |
| 79. सबाखिश्रा | 87. टमाडिया |
| 80. समासी | 88. टमुडिया |
| 81. सनेई | 89. तानला |
| 82. सपरी | 90. तियार, तियोर |
| 83. सोतिया, सांतिया | 91. तुरी |
| 84. सिवरिश्रा | 92. उजीश्रा |
| 85. सिटूरिया | 93. बालमीकि, वालमीकि |

5

भाग 14—पंजाब

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. आदि धर्मी | 18. मंडोला, मण्डोल, मोण्डोला |
| 2. बालमीकि, चूड़ा, भंगी | 19. कबीरपंथी, जुलाहा |
| 3. बंगाली | 20. छटीक |
| 4. बरड़, बुरड़, बेरड़ | 21. कोरी, कोली |
| 5. बटवाल | 22. मरीजा, मरेचा |
| 6. बौरिया, बावरिया | 23. मजहबी |
| 7. बाजीगर | 24. मेघ |
| 8. भंजड़ा | 25. नट |
| 9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी | 26. ओड |
| 10. चनात | 27. पासी |
| 11. डागी | 28. पेरना |
| 12. दड़ै | 29. फेरेरा |
| 13. डेहा, ढैया, ढेआ | 30. सनहाई |
| 14. धानक | 31. सनहाल |
| 15. ढोगरी, ढांगरी, सिगरी | 32. सांसी, भेड़कुट, मनेश |
| 16. डूधना, महाशा, डूम | 33. संसोई] |
| 17. गगड़ा | 34. सरैड़ा |
| | 35. सिकलीगर |
| | 36. सपैला, |
| | 37. सिरकीबन्द |

15

20

25

30

35

40

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. आदि धर्मी | 14. भंगी, चूड़ा, मेहतर, औलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बालमीकि, वालमीकि, कोरार, झाडमाली |
| 2. अहेरी | 15. विदाकिया |
| 3. बदी | 16. बोला |
| 4. बागरी, बागड़ी | 17. चमार, भंभी, बंभी, भंबो, जटिया, जाटव, जाटवा, मोची, रैदास, रोहिदास, रेगड़, रैगड़, रामदासिया, असादरू, असोदी, चमाडिया चम्भार, चामगार, हरलय्या, हराली, छलपा, मचिगार, मोचीगार, |
| 5. बैरवा, बेरवा | |
| 6. बाजगर | |
| 7. बलाई | |
| 8. बांसफोर, बांसफोड़, | |
| 9. बावरी | |
| 10. बर्गी, वर्गी, बिर्गी | |
| 11. बावरिया | |
| 12. बेडिया, बेरिया | |
| 13. भांड | |

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|
| | सावर, सादिग, तैलनु सोबी, | 38. कूचबन्द, कुचबन्द |
| | काशटी मोची, राणीगार, | 39. कौरिया |
| | रोहित, सामगार | 40. सदारी, बाजीगर |
| 18. | चांडाल | 41. महार, तराल, धेगुमेगु |
| 5 | 19. दबगर | 42. माहयावंशी, ढेड़, ढेड़ा, वणकर, |
| | 20. धानक, धानुक | मारु वणकर |
| | 21. धानकिया | 43. मज्जहबी |
| | 22. धोबी | 44. मांग, मातंग, मिनिमादिश |
| | 23. ढोली | 45. मांग गारोड़ी, मांग गारुड़ी |
| 10 | 24. डोम, डूम | 46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेंघवार |
| | 25. गांडिया | 47. मेहर |
| | 26. गरांचा, गांचा | 48. नट, नुट |
| | 27. गरो, गहड़, गुड़ा, गोडा | 49. पासी |
| | 28. गवारिया | 50. रावल |
| 15 | 29. गोद्धी | 51. सालवी |
| | 30. जीनगार | 52. सांसी |
| | 31. कालबेलिया, सपेरा | 53. सांतिया, सतिया |
| | 32. कामड़, कामड़िया | 54. सरभांगी |
| | 33. कंजर, कुंजर | 55. सरगड़ा |
| 20 | 34. कपाड़िया सांसी | 56. सिरीवाला |
| | 35. खंगार | 57. थोरी, नायक |
| | 36. खटीक | 58. तीरगार, तीरबन्द |
| | 37. कोली, कोरो | 59. तुरी |

भाग 16—तमिलनाडु

- | | | |
|----|---|--|
| 25 | 1. आदि आंध्र | 19. डोम्बन |
| | 2. आदि द्रविड़ | 20. गोडागली |
| | 3. आदि कर्नाटक | 21. गोड़डा |
| | 4. अजिला | 22. गोसंगी |
| | 5. अरुंततियार | 23. होलेय |
| 30 | 6. अर्यनवर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 24. जगगाली |
| | 7. बैरा | 25. जम्बुवुलु |
| | 8. बकुड़ा | 26. कड़इयन |
| 35 | 9. बण्डी | 27. कक्कलन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| | 10. बेल्लरा | 28. कल्लादि |
| | 11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 29. कनकन, पाड़चा (नीलगिरि जिले में) |
| 40 | 12. चविकलियन् | 30. करिम्पालन |
| | 13. चलवादि | 31. कावरा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| | 14. चमार, मुची | 32. कोलियन |
| | 15. चाण्डाल | 33. कूसा |
| | 16. चेरमान | 34. कूतन, कूड़न (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 45 | 17. देवेन्द्रकुलथन | |
| | 18. डोम, डोम्बारा, पैड़ी, पानो | |

35.	कुड्डुम्बन	57.	परवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरहनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
36.	कुरबन, सिद्धनार	58.	पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिरहनेलवेली जिले के 5 शेन्कोट्टा तालुक में)
37.	मदारी	59.	पुलयन, चेरभार
38.	मादिंग	60.	पुदिरै वन्नन
39.	मैला	61.	राणीधार
40.	माल	62.	सामगार
41.	मन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरहनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	63.	सम्बन
42.	माविलान	64.	सपरी
43.	मोगर	65.	सेम्मन
44.	मुण्डाला	66.	तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिरहनेलवेली जिले के 15 शेन्कोट्टा तालुक में)
45.	नलकेथव	67.	थोटि
46.	नायाड़ी	68.	तिरुवल्लुवर्
47.	पड्वन (कन्याकुमारी जिले में और तिरहनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	69.	वेल्लन
48.	पगाडै	70.	वल्लुवन
49.	पल्लन	71.	वन्नन
50.	पल्लुवन	72.	वातिरियन
51.	पमवाड़ा	73.	वेलन
52.	पान्न (कन्याकुमारी जिले में और तिरहनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	74.	वेटन (कन्याकुमारी जिले में और तिरहनेलवेली जिले के 25 शेन्कोट्टा तालुक में)
53.	पंचम	75.	वेट्रियान
54.	पचाड़ी	76.	वेट्टुवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरहनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) 30
55.	पन्नियाड़ी		
56.	परैयन, परयन, साम्बदर		

भाग 17—त्रिपुरा

1.	बागड़ी	17.	कनुध्र
2.	भुईमाली	18.	केवट
3.	भुनर	19.	खादित
4.	चमार, मुची	20.	खारिया
5.	डण्डासी	21.	कोच
6.	धेनुश्चर	22.	कोयर
7.	धोबा	23.	कोल
8.	डूम	24.	कोरा
9.	घासी	25.	कोटाल
10.	गौर	26.	महिष्यदास
11.	गुर	27.	माली
12.	जालिया कैबर्ट	28.	मेहतर
13.	कहार	29.	मुसहर
14.	कालिन्दी	30.	नामशूद्र
15.	कान	31.	पाटनी
16.	कण्डा	32.	सबर

भाग 18—उत्तर प्रदेश

1. अगरिया	34. धरासी	
2. बधिक	35. धसिया	
3. बादी	36. गोड़	
4. बहैलिया	37. गवाल	5
5. बैगा	38. हबूड़ा	
6. वैसवार	39. हरी	
7. बजनिया	40. हेला	
8. बाजगी	41. कलाबाज	
9. बलहार	42. कंजर	10
10. बलाई	43. कपड़िया	
11. बालमीकि	44. करवल	
12. बंगाली	45. खेराहा	
13. बनमानुष	46. खरवार (बनवांसी को छोड़कर)	
14. बांसफोड़	47. खटोक	15
15. बरवार	48. खोरोट	
16. बसोड़	49. कोल	
17. बावरिया	50. कोरी	
18. बेलदार	51. कोरवा	
19. बेरिया	52. लालबेगी	20
20. भंतू	53. मझवार	
21. भुईया	54. मजहबी	
22. भईयार	55. मुसहर	
23. बोरिया	56. नट	
24. चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव	57. पंखा	25
25. चेरो	58. परहिया	
26. दबगर	59. पासी, तरमाली	
27. धनगर	60. पाटरी	
28. धानुक	61. रावत	
29. धारकार	62. सहारया	30
30. धोबी	63. सिनौदिया	
31. डोम	64. सांसिया	
32. डोमर	65. शिल्पकार	
33. दुसाध	66. तुरहिया	

भाग 19—पश्चिमी बंगाल

1. बागड़ी, दुले	12. चौपाल	
2. बहैलिया	13. दबगर	
3. बायती	14. दामाई (नेपाली)	
4. बंतर	15. धोबा, धोबी	
5. बौरी	16. दोयाई	40
6. बेलदार	17. डोम, धंगड़	
7. भोगता	18. दोसाध, दुसाध, धारी, धारही	
8. भुईयाली	19. धासी	
9. भुईया	20. गोनरही	
10. विन्द	21. हलालखोर	
11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रैदास, कृष्ण	22. हरी, मेहतर, मेहतोर, भंगी	45
	23. जालिया, कैबर्त	

	24.	झालो मालो, मालो	43.	माल
	25.	कादर	44.	मल्लाह
	26.	कासी (नेपाली)	45.	मुसहर
	27.	कांदरा	46.	नामशूद्र
5	28.	कंजर	47.	नट
	29.	कावरा	48.	नूनिया
	30.	करेंगा, कोरंगा	49.	पलिया
	31.	कौर	50.	पान, सवासी
	32.	केवट, केयोट	51.	पासी
10	33.	खैरा	52.	पाड़नी
	34.	खटीक	53.	पोद, पोन्द्रा
	35.	कोच	54.	राजवंशी
	36.	कोनाई	55.	राजवार
	37.	कोनवार	56.	शड़की (नेपाली)
15	38.	कोटाल	57.	सुनरी (साहा को छोड़कर)
	39.	कुरासियर	58.	तियर
	40.	लालबेगी		
	41.	लोहार	59.	तूरी ।” ।
	42.	महार		

20

द्वितीय अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

अध्याय 1

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में,—

(क) पैंग 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

25 “3. इस आदेश में किसी राज्य अथवा किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है ।” ;

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

30

“अनुसूची

भाग 1—आन्ध्र प्रदेश

	1.	अन्ध	11.	कट्टूनायकन
	2.	बगटा	12.	कोलम, मन्नेरवल्लू
	3.	भील	13.	कोंडा दोरा
35	4.	चेचु, चेचवार	14.	कोंडा कापु
	5.	गड्बा	15.	कोंडारेड्डि
	6.	गोंड, नायकपोड, राजगोंड	16.	कोंड, कोड़ि, कोधू, देस्य कोंड, डोंगरिया कोध, कट्टिया कोंड, टिकरिया कोंड, येनिटी कोंड
	7.	गौड़, (अभिकरण भूखण्डों में)		
	8.	हिल रेड्डि		
40	9.	जातपु		
	10.	कम्भर		

17. कोटिया, चैथोओरिया, बर्तिका, धुलिया, डुलिया, होल्बा, पैको पुटिया; सन्नरोण सिधोपैको	23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में)
18. कोया गोड़, राजा, राश कोया, लिंगधारी कोया (साधारण) कुट्टू कोया, भासा कोया, राज कोया	24. परधाण
19. कुलिया	25. पोर्जा, पेरंगीपोर्जा
20. माली (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीम नगर, खम्माम, महबूब- नगर, मेदक, नलगोड़ा, निजामाबाद और वारंगल जिलों को छोड़कर)	26. रेड्डि धोरा
21. मन्न दोरा,	27. रोणा, रेणा
22. मखा दोरा, नूका दोरा	28. सवार, कापू सवार, मलिया सवार, खुद्दा सवार
	29. सुगाली, लम्बाडी
	30. धोड़ि, (श्रद्धिलाबाद, हैदरा- बाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेदक, नल ऊंडा, निजामाबाद और वारंगल जिलों में)
	31. बाल्मीकि (अभिकरण भूखण्डों में)
	32. येनाडी
	33. येरुकुला

भाग 2—शासाम्

1. स्वशासी जिलों में:—

1. चाकमा	(xviii) खोल्ह
2. डिमासा कछारी	(xix) किप्पेन
3. गारो	(xx) कुकी
4. हाजंग	(xxi) लेथांग
5. ह्यार	(xii) ल्हाधम
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगनाम	(xxiii) ल्हाजेम
7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी जनजातियाँ :—	(xxiv) ल्हौबुन
(i) बियाते, बियेते	(xxv) लुफेंग
(ii) चांगसान	(xxvi) मांजेल
(iii) चंगलोई	(xxvii) मिसाऊ
(iv) दौंगले	(xxviii) रिअंग
(v) गमल्हो	(xxix) सैहैम
(vi) गांगटे	(xxx) सेलुनाम
(vii) गुहते	(xxxi) सिपसन
(viii) हान्तेंग	(xxxii) सितल्हो
(ix) हौकिप या हौपित	(xxxiii) सुकते
(x) हौलाई	(xxxiv) थाडो
(xi) हेंगना	(xxxv) थांग्यू
(xii) हंसुध	(xxxvi) उइदू
(xiii) हांग्खवाल, रंग्खल	(xxxvii) व्हाइफे
(xiv) जंबे	8. लाखेर
(xv) ख्वौचूंग	9. (ताई बोलने वाली) मान
(xvi) ख्वौलंग, खोतालंग	10. कोईमिजो (लुशाई) जनजातियाँ 4)
(xvii) खेल्मा	11. मिकिर
	12. कोई नागा जनजातियाँ
	13. पावी
	14. सितेंग।

2. स्वशासी जिलों को छोड़कर आसाम राज्य में :—

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. कछार में वर्मन | 5. कछारी, सोन्बाल |
| 2. बड़ा, बड़ो कछारी | 6. लालुंग |
| 3. ड्योरी | 7. मेच |
| 4. टोजाई | 8. मिरी |
| | 9. राभा |

६।

भाग 3—बिहार

- | | |
|--|---------------------|
| 1. श्रुतुर | 15. करमाली |
| 2. बेगा | 16. खरिया |
| 3. बनजारा | 17. खरवार |
| 4. बठुड़ी | 18. खोंड |
| 10 5. बेदिया | 19. किसान |
| 6. भूमिज (उत्तरी छोटानागपुर
और दक्षिण छोटानागपुर खण्डों
[और संथाल परगना जिले में]) | 20. कोरा |
| 7. बिज्जिया | 21. कोरवा |
| 15 8. विरहोर | 22. लोहार, लोहरा |
| 9. विरजिया | 23. माहली |
| 10. चेरो | 24. माल पहरिया |
| 11. चिक बराइक | 25. मुन्डा |
| 12. गोंड | 26. उरांव |
| 20 13. गोराइत | 27. परहया |
| 14. हो | 28. संथाल |
| | 29. सोरिया पहाड़िया |
| | 30. सावर |

भाग 4—गुजरात

- | | |
|---|--|
| 1. बड़ी | 11. गमित, गम्ता, गविट, सच्ची,
पदवी |
| 2. बावचा, बामचा | 12. गैंड, राजगोड |
| 25 3. भरवाड (अलेच्छ, गीर, बराड़ा
के जंगलों के नेसों में) | 13. कथोड़ी, कटकारी, ढोर, कथोड़ी,
ढोर कटकारी, सोन कथोड़ी,
सोन कटकारी |
| 4. भील, भील गरासिया,
धोली भील, डुंगरी भील,
डुंगरी गरासिया, मेवासी | 14. कोकणा, कोकणी, कुकणा |
| 30 5. भील, रावल भील, तडवी
भील, भगालिया, भिलाला,
पावड़ा, बसावा, बसावे। | 15. कोली |
| 5. चारण (अलेच्छ, बराड़ा और
गीर के जंगलों के नेसों
में) | 16. कोली ढोर, ठोकरे कोली,
कोलचा, कोलघा |
| 35 6. चोधरी (सूरत और बलसाद
जिलों में) | 17. कुन्बी, (डांगस जिले में) |
| 7. चोधरा | 18. नायकाडा, नायेका, चोलीवाला
नायक, कपाड़िया नायक,
मोटा नायक, नाना-नायक |
| 8. धनक, तडवी, तेतारिया, बलवी | 19. पाघर |
| 40 9. धोड़िया, | 20. पराधी (कच्छ जिले में) |
| 10. दुबला, तलाविया, हलपति | 21. पर्धी, अदविचिन्चेर, फांसौं
पर्धी (अभरेली, भावनगर,
जामनगर, जूनागढ़, कछ,
राजकोट और सुरेन्द्रनगर
जिलों को छोड़कर) |

22. पटेलिया
 23. पोमला
 24. रबरी (अवैच्छ, बराढ़ा और
 गीर, के जंगलों के नेसों में)
 25. राथवा
 26. सिद्धी (अमरेली, भावनगर,
 जामनगर, जूनागढ़, राजकोट
 और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
 27. वाधी (कच्छ जिले में)
 28. वारली
 29. विटोलिया, कोटवालिया,
 बरोडिया

5

भाग 5—हिस्साच्चल प्रदेश

1966 का 31	1. भोट, बोढ़ 2. गढ़ी [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, लाहौल और स्पिती जिले से भिन्न राज्यक्षेत्रों को छोड़कर]	की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों को छोड़कर) 10
1966 का 31	3. गुज्जर (पंजाब पुनर्गठन अधि- नियम, 1966 की धारा 5	4. जाद, लास्वा, खस्पा 5. कनौरा, किन्नारा 6. लाहौला 7. पंगवाला 8. स्वांगला

15

भाग 6—कन्नौटक

1. अदियन	18. कनियान, कन्यान (मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में)
2. बर्डी	19. काथोडी, काटकारी, दोर कथोडी, दोर काटकारी, सोन कथोडी, 2
3. बवचा, बम्चा	सोन काटकारी
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, भेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगलिया, भिलाला, परवा, बासव, वासवे	20. काटूनायकन्
5. चेचू, चेंचवार	21. कोंकण, कोंकणी, कुवणा
6. चोधारा	22. कोली घोर, ठोकरा कोली, कोल्वा, कोल्वा
7. दुबला, तालाविया, हलपत्ता	23. कोंडा कापुस
8. गामिट, गंगटा, गाविट, मावचि, पदवी, वाल्वी	24. कोरा
9. गोड, नायकपोड, राजगोड	25. कोटा
10. गोब्डालू	26. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया
11. हक्कीपिक्की	27. कुडिया, मैलकुडी 30
12. हासालार	28. कुरुब
13. इरुलर	29. कुरुमान
14. इरुलिंगा	30. महा मालासार
15. जेनु कुरुबा	31. मलाई कुडी
16. काडू कुरुबा	32. मालासार 35
17. कम्मारा (दक्षिणी कनारा जिला और मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में)	33. मालायेकान्डी
	34. मालेह
	35. मराठा
	36. मराटी
	37. मेडा 40
	38. नायकडा, नायक, चौलीवाला, नायका, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक

39. पल्लियान्	45. सोलीगारु
40. पानियान्	46. टोडा
41. पार्धी अडविचित्त्वेर, पनसे पार्धी	47. वरली
42. पटेलिया	48. विटोलिया, कोतवालिया,
43. राथावा	बारोडिया
44. शोलगा	49. थेरावा

5

भाग 7—कर्नाटक

1. आडियन्	17. कुरुमन्
2. अरांडन्	18. कुरुमबास
3. अरावालन्	19. महामालासार
4. हिल पुलया	20. मलय अर्षम्
5. इरुलै, इरुलन्	21. मलय पंडारम्
6. कादर	22. मलवेडन्
7. कमारा [राज्य पुर्वीठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) से धारा 5 की उपधारा (2)में यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले के क्षेत्रों में]	23. मलकुर्वन्
8. कणिककारन्, काणिकक्र	24. मालासार
9. कांडुनायकन्	25. मलायन (पहाड़ी क्षेत्रों में)
10. कोच्चूवेलन	26. मलयरयू
11. कोनडा कापूस	27. मनान्
12. कौण्डरेडिङ्ग	28. माराटि (कन्नोर जिले के होसडुग और कासरगोड तालुक में)
13. कोरण	29. मुतुवान, मुहुगर, मुदुवन
14. कोटा	30. पल्लेयान
15. कुडीया, मेलाकुडी	31. पलियान
16. कूरचिचान्	32. पलियार
	33. पाणियन्
	34. उल्लाडन
	35. उरालि

15

20

25

भाग 8—मध्य प्रदेश

1. अगरिया	14. धनवार
2. आत्थ	15. गडबा, गडंवा
3. बैणा	16. गौड़, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, बिसोनहार्न, मारिया, छोटा मारिया, वंडासी मारिया, धुर, 35 धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौड़, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइ-
4. भैना	तर, कोया, खिरवार, खिरवारा, 40 कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्ने-
5. भारिया, भूमिया, भुईयार भूमियां, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो	वार, भोपा, मोगिया, माघ्या,
6. भतरा	
7. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया	
8. भील मीना	
9. भंजिया	
10. बिश्वार, बीश्वार	
11. विज्ञवार	
12. विरहुल, विरहोड़	
13. दमोर, दामरिया	

- मुडिया, मुरिया, नगारची,
नागवंशी, ओङ्का, राज, सोन्कारी,
झरेका, थाटिया, थोटया, वाडे-
माडिशा, वडेमाडिया, दराइ,
- 5
17. हलबा, हनबी
18. कमार
19. कारकू
20. लदर, कंबर, कौर, चेरवा,
10 राठिया तनवर, छवी
21. कीर (भोपाल, रायसेन और
सिहोर जिलों में)
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
15 24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल,
नाहुल, बौद्धी, बौदेया
20 28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मञ्चवार
31. मवासी
32. बीना (विदिशा जिले के सिरोंज
25 सबन्डिवीजन में)
33. मुडा
34. नगेसिया, नगासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ
36. पनिका (छतरपुर, दतिया,
30 पन्ना, रीवा, सतना शहडोल,
सोधी और टीकमगढ़ जिलों
में)
37. पाव
38. परधान, पथारी, सरौती
35 39. पारधी (भोपाल, रायसेन तथा
सिहोर जिलों में)
40. पारधी, बहेलिया, बहेलिया,
चिता पारधी लंगोली पारधी,
फांस पारधी, जियारी,
टाकनकर एकिया { (1)
बस्तर, छिदवाड़ा, मंडला
रायगढ़, सिवनी और सलगुजा
जिलों में (2) बालाघाट जिले
की बैहर तहसील में (3) बैतूल
जले के बैतूल और भैसदेही
तहसीलों में (4) विलासपुर
जिले की विलासपुर और
कटहोश तहसीलों में (5) दुर्ग
जिले की दुर्ग और संजरी
तहसीलों में (6) राजनन्द गांव
जिले के चौकी मानपुर और
महाला राजस्व निरीक्षकों क
क्षेत्रों में (7) जबलपुर जिले
के मुखारा, पाठन और सिहोर
तहसीलों में (8) होशंगाबाद
जिले की होशंगाबाद और सुहाग-
पुर तहसीलों और नरसिंहपुर
जिले में (9) खंडवा जिले की
हरसुद तहसील में (10) राय-
पुर जिले की बिद्रा नवगढ़,
धमतरी और महासमुद्र तह-
सीलों में)
41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया,
सहरिया, सोशिया, सौर
43. साग्रोता, सौता
44. सौर
45. सावर, सवरा
46. सौर

भाग 9—महाराष्ट्र

1. आंध्र
2. बैदा
40 3. बडी
4. बावचा, दमचा
5. भैना
6. भारिया, भिपिया, भुईद्वार-
भुजिया, पान्डो
45 7. भत्ता
8. भील, भील गरासिया, धोली
भील, डुणरी भील डुंगली गरा-
सिया, मेवासी, भील, रावल
भील, तडवी भील, भगालिया,
भिलाला, पावरा, वसावा, वरावे
9. भूजिया.
10. बिअवार
11. बिहूल विरहोड़

12.	चौधरा (अकोला, अमरावतो, भंडारा, बुलढाना चन्द्रपुर, नागपुर, वधा, यवतमाल, औरंगाबाद, भीर; नांदेड, उस्मानाबाद और परभानी जिलों को छोड़कर)		25.	कोकणा, कोकणी, कुकणा
13.	धाणका, तडवी, तेतारिया, वलवी		26.	कोल
14.	धनवार		27.	कोलम, मन्नैवरलू
15.	धोड़िया		28.	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा
16.	दुबला, तालविया, हलपति		29.	कोली महादेव, डोंगर कोली
17.	गामिट, गामटा, गाविट, मावच्च पडवि		30.	कोली मत्हार
18.	गोड, राजगोड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, बिसोनहान मारिया, छोटा मारिया, दंडामीूळ मारिया, धुर, धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मर्डिया मारिया, माना, मन्नेवार, मोंधया, मोगिया, मौंवया, माडिया, लारिया, नगरची, नायकपाड, नागदंशी, ओझा, राज, सोन्धारी, झरेका, थाटिया थोट्या, वाडे-मारिया, वाडेमारिया		10	
19.	हलबा, हलबी		33.	कोया, भिज्जे कोया, राजकोया
20.	कमार		34.	नगेचिया, नगासिया
21.	काथोडि, काटकारी, ढोर काथोडि, ढोर काटकारी, सोन काथोडि, सोन काटकारी		35.	नायकडा, नायक, नायका, चोलीवाला, नायक, कपाड़िया नायक, सोटा नायक, नाना नायक
22.	कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छवी		36.	ओरांव, धनगड
23.	खैरवरा		37.	परधान, पथारी, सरौती
24.	खडिया		38.	पारधी, अंडविचिचेर, फंस पारधी, लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेलिया चित पारधी, शिकारी, टनकनकर, टकिया
			39.	परजा
			40.	पटलिया
			41.	पोमला
			42.	राधवा
			43.	सावर, सावरा
			44.	ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-मठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकर
			45.	थोटि (औरंगाबाद, भीर, नांदेड, उस्मानाबाद, और परभानी जिलों और चन्द्रपुर जिले की राजुरा तहसील में)
			46.	वारली
			47.	विटोलिया, कोतवालिया, बरो-डिया

भाग 10—सर्णिपुर

1. आयसोल
2. एनाल
3. अंगासी
4. चिरु
5. चौथे
6. गंगते
7. हमार
8. कल्पुद्दि
9. कच्चा नाग
10. खोइराओ
11. कोयरंग
12. कोम
13. लैमगैग
14. माओ

[40]

15.	मराम्	22.	राल्टे
16.	मैरिंग	23.	सेमा
17.	कोई मिजो (लुसाई) जन जातियां	24.	सिस्टे
5	18. मोन्सैग	25.	सूहटे
	19. मायोन	26.	तेग्खुल
	20. पाइटे	27.	थाडो
	21. पुरुम	28.	व्हाइफै
		29.	जाओ

भाग 11—मेघालय

10	1. चाकमा	(XIX)	किपगेन
	2. डिमासा, कछारी	(XX)	कूकी
	3. गारो	(XXI)	लेथांग
	4. हाजंग	(XXII)	ल्हांगम
	5. हमार	(XXIII)	ल्हाजम
15	7. खासी, जैन्तिया, सित्तेंग, झार, वार, भोई, लिगाम	(XXIV)	ल्हौबुन
	7. कोई कुकी जन जातियाँ जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित श्री हैं :-	(XXV)	लुक्फ़े
20	(i) बियाते, बियेते	(XXVI)	मांजेल
	(ii) चंगसान	(XXVII)	मिसाऊ
	(iii) चंगलोई	(XXVIII)	रियांग
	(iv) दौगेल	(XXIX)	सैरहैम
	(v) गमल्हो	(XXX)	सेल्नाम
25	(vi) गंगते	(XXXI)	सिग्सन
	(vii) गुइते	(XXXII)	सितंलहौ
	(viii) हैन्तंग	(XXXIII)	सुकंत
	(ix) हौंकिप, हैपित	(XXXIV)	थादो
	(x) हौलाई	(XXXV)	थांग्नू
30	(xi) हेगना	(XXXVI)	उइबू
	(xii) हौनसुध	(XXVII)	व्हाइफै
	(xiii) हॉखोवाल, रंखोल	8.	लाखेर
	(xiv) जंडे	9.	मान (ताई बोलने वाली)
	(xv) ख्वीचंग	10.	कोई मीजो (लुसाई) जन जातियां
35	(xvi) ख्वोलंग, खोतालंग	11.	मिकिर
	(xvii) खेल्सा	12.	कोई नागा जन जातियां
	(xviii) खोल्हु	13.	पाकी
		14.	सितेंग

भाग 12—चुम्बीसा

40	1. बागडा	8.	भूमिज
	2. बैगा	9.	भूजीशा
	3. बणजारा, बणजारी	10.	बिजाल
	4. बाथुडी	11.	बिजिआ, बिजोआ
	5. बौत्तडा, धोत्तडा	12.	बीरहोर
	6. शुइया, श्रुया	13.	वोडोपोरजा
45	7. चूमिआ	14.	चेन्चू

15.	दाल	39.	कोस्था	
16.	देसुआ भूमिज	40.	कुटीआ	
17.	धारुआ	41.	कोया	
18.	दिदयी	42.	कुली	
19.	गादबा	43.	लोधा	
20.	गांडिया	44.	मादिआ	
21.	धारा	45.	माहलि	
22.	गोड, गोडो	46.	मांकिडी	
23.	हो	47.	मांकिरडिआ	
24.	होलंवा	48.	माटिआ	10
25.	जातपु	49.	मिर्धा	
26.	जुश्रांग	50.	मुङ्डा, मुङ्डालोहरा, मुङ्डा-महाली	
27.	कंध गोड	51.	मुङ्डरी	
28.	कावार	52.	ओमनात्या	
29.	खडीआ, खडीयां	53.	ओरांक	15
30.	खरवार	54.	पेरेंगा	
31.	खोड, कोड, कन्ध, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा	55.	परोजा	
32.	किसान	56.	वैटिआ	
33.	कोल	57.	राजुआर	
34.	कोलहा लोहार, कोल-लोहार	58.	सांताल	20
35.	कोल्हा	59.	सबोरा, सवर, सौरा, सहरा	
36.	कोली, मल्हार	60.	शवर, लोधा	
37.	कोन्डादोरा	61.	साउन्ती	
38.	कोरा	62.	थासग्रा	

भाग 13—राजस्थान

25

1.	भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवा भील, भगालिया, भलाला, पावरा वसवा, वसावे	6.	काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढौर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी	
2.	भील मीना	7.	कोकना, कोकनी, कुकणा	
3.	डामोर, डामरिया	8.	कोली, ढोर, टोकरे कोली कोलचा	30
4.	धाणका, तडवी, तेतारिया, वलवी	9.	कोलधा	
5.	गरासिया (राजषूत गरासिया से भिन्न)	10.	नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक	35
		11.	पटेलिया	
		12.	सेहरिया, सेहरिया, सहा- रिया	

भाग 14—तामिलनाडू

1.	अडियन	6.	कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरुनेलवेलि जिले के शिकोटा तालुक को छोड़कर)	40
2.	अरनाडन	7.	कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले	
3.	एरवल्लन			
4.	इरुलर			
5.	काडर			

- के शेन्कोटा तालुक में)
8. कनियन, कन्यन
 9. काट्टुनायवकन
 10. कोचुबेलन
 - 5 11. कोन्डा कपूस
 12. कोन्डारेड्डि
 13. कोरागा
 14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और तिहनेलवेलि जिले के शेन्कोटा तालुक को छोड़कर)
 - 15 15. कुडिया, मेला कुडी
 16. कुरिच्छन
 17. कुरुमान्स (नीलगिरि जिले में)
 18. कुरुमान्स
 19. महा मल्लेसर
 20. मलै अरैयन
 21. मालै पंडाराम
 22. मलै बैडन
 23. मलकुरवन
 24. मल्लेसर
 - 25 25. मल्याली (पुडुकोट्टाई, उत्तर आरकोट, दक्षिण आरकोट, सेलम और तिहनीचिरापल्ली जिलों में)
 26. मल्येकंडी
 27. माघन
 28. मुडुगर, मुडुवन
 29. मदुवन
 30. पाल्लशन
 31. पलियन
 32. पल्लयर
 33. पनियन
 34. शोलागा
 35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिहनेलवेलि जिले के शेन्कोटा तालुक को छोड़कर)
 36. उरली

20

भाग 15—त्रिपुरा

1. भील (ix) कुन्तेई
2. भूटिया (x) लाइकंग
3. चैमाल (xi) लेनतेई
4. चाकमा (xii) मिज्जेल
- 25 5. गारु (xiii) नमते
6. हलाम (xiv) पाइतु, पाइते
7. जमातिया (xv) रंगचन
8. खासिया (xvi) रंखोल
9. कुकी जिनके अन्तर्गत निम्न- (xvii) थंग्लुईया
- 30 लिखित उप जनजातियां भी हैं :—
- (i) बाल्टे
- (ii) बेललहुत
- (iii) छाल्य
- 35 (iv) फुन्
- (v) हेजांग
- (vi) जंगतेई
- (vii) खरेंग
- (viii) खेफ्फो
10. लेप्चा
11. लुसाई
12. माग
13. मुड्डा, कौड़
14. नोआटिया
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्थाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टिप्पेरा
19. उचाई

40

भाग 16—पश्चिमी बंगाल

1. श्रसुर
2. बैगा
3. बेदिया, विदिया
4. भूशिज
- 45 5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा,
- कगाते, तिब्बती, योलमो
6. बीरहड़
7. विर्जिया
8. चाकमा

9. चेरो	24. लोहारा, लोहरा
10. चिक बारैके	25. मध
11. गारो	26. पाहली
12. गोड़	27. महली
13. गोड़त	28. माल पहाड़िया
14. हाजंग	29. मेच
15. हो	30. नू
16. करमाली	31. मुड़ा
17. खाइवार	32. नागेसिया
18. खौड़	33. ओरतव
19. किसान	34. पाढ़िया
20. कोड़ा	35. राभा
21. कोरवा	36. सन्थाल
22. लेप्चा	37. सौरिया पहाड़िया
23. लीधा, खेड़िया, खाइया	38. सावर ।" ।
	15

अध्याय 2

संविधान (अन्डमान और निकोबर द्वीप) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश,
1959 में,—

(क) पैरा 2 में “जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची में
उनके सम्बन्ध में विर्णिदिष्ट हैं” शब्दों के स्थान पर “उस संघ राज्य- 20
क्षेत्र में निवासी हैं” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें अर्थात् :—

“अनुसूची”	
1. अन्डमान निवासी, चारियर,	2. जरावा
चारी, कोरा, टाबौ, बो	3. निकोबर निवासी
येरे, कोड़े, बीय, बालाबा,	4. ओंगे
बोजीगियाब, जबाई, कोल	5. सेंटीनेली
	6. शोम पेन ।" ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेशों के अधीन कुछ समुदाय सम्बद्ध राज्य के कुछ क्षेत्रों में ही, न कि सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इससे इन समुदायों के सदस्यों को उन क्षेत्रों में कठिनाई हो रही है जहाँ वे इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। वर्तमान विधेयक साधारणतः इन क्षेत्र निर्बन्धनों को दूर करता है। विन्तु उन मामलों में जहाँ ऐसे निर्बन्धनों को बनाए रखने के लिए अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 से सम्बन्धित संयुक्त समिति द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से सिफारिश की गई थीं, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में से कुछ समुदायों के अपवर्जन की भी सिफारिश की थी। ये अपवर्जन इस समय नहीं किए गए हैं और ऐसे समुदाय वर्तमान क्षेत्र निर्बन्धनों सहित ऐसी सूचियों में रहने दिए गए हैं। किन्तु ऐसे समुदायों का, जिनके सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने इस आधार पर अपवर्जन की सिफारिश की थी कि वे अमुक राज्य में नहीं पाए जाते हैं, उस दशा में अपवर्जन कर दिया गया है जिसमें उन समुदायों के सम्बन्ध में 1961 और 1971 की जनगणनाओं में कोई विवरण नहीं थे।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित संशोधनों से इन जातियों और जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है और उसके परिणामस्वरूप लोक सभा और कुछ राज्य विधान सभाओं में आरक्षित स्थानों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के पुनःप्राक्कलन के लिए जनगणना प्राधिकारी को और आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःआवंटन के लिए निर्वाचन आयोग को सशब्द करने के लिए इस विधेयक में उपबन्ध किए गए हैं।

नई दिल्ली,

12 मई, 1976]

के० ब्रह्मानन्द रेडी

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5 प्रत्येक राज्य में, व्यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुमूलित जनजातियों की जनसंख्या के पुनःप्रावक्षण के लिए जनगणना प्राधिकारी को सशक्त करता है। विधेयक के खण्ड 6 में निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के लिए उपबन्ध किया गया है। जनसंख्या के पुनःप्रावक्षण और आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के कारण भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 1976-77 के दौरान लगभग पाँच लाख रुपए (अनावर्ती) व्यय होगा। कोई भी आवर्ती व्यय नहीं होगा।

उपांबन्ध

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 से उद्धरण

सां० आ० 19

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सम्पूर्ण राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा।

2. इस आदेश के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के बूथ, जो कि इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 से लेकर भाग 17 तक में विरिदिष्ट हैं उन राज्यों के संबंध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध हैं, वहां तक, जहां तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके सम्बन्ध में विरिदिष्ट हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे।

* * * *

4. अनुसूची के भाग 4, 4क, 7क और 10 में के सिवाय इस आदेश में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नवम्बर, 1956 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है; अनुसूची के भाग 4 और 7क में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह मई, 1960 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है; अनुसूची के भाग 4क और 10 में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है; भाग 14 में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है; और भाग 15, 16 और 17 में किसी राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य के प्रति निर्देश हैं।

अनुसूची

भाग 1—आनंद प्रदेश

1. समस्त राज्य में—

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. चलवादि | 3. मादिश |
| 2. चमार, मोर्ची या मुच्चि | 4. माल |

2. हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, करीम नगर, वारंगल, खन्माम और नलभोड़ा जिलों के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. आदि आंध्र | 3. अरन्दतिय |
| 2. आदि द्रविड़ | 4. बास्की |

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 5. बावुरी | 17. मालंदासू |
| 6. चचटि | 18. मादिंगदासु और मष्टीन |
| 7. चांडाल | 19. मातंगि |
| 8. दण्डासि | 20. मुण्डल |
| 9. डोम, डोम्बारा, घड़ी या पनो | 21. पाकि या घोटि |
| 10. घासी हड्डी या रल्लि चचण्डि | 22. पस्वड या पस्वण्डि |
| 11. गोडगिली | 23. पस्मिडि |
| 12. गोडारी | 24. पंचम या परश्य |
| 13. गोसगी | 25. रेल्लि |
| 14. जग्गलि | 26. सम्बन |
| 15. जम्बुवुलु | 27. सत्रु |
| 16. मदासि कुरुव या मादरि कुरुव | 28. थोटि |

3. हैदराबाद, महाराष्ट्रनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, करीम नगर, वारंगल,
खम्माम और नलगोड़ा ज़िलों में—

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. अतामुक | 15. सालादांसरी |
| 2. आरे (माल) | 16. माल हन्तै |
| 3. अर्वमाल | 17. मालजंशम |
| 4. बेड (बुड़ग) जंगम | 18. मालमस्ति |
| 5. बिडल | 19. मालसाले (नेट्कानि) |
| 6. बैगुरा | 20. माल सन्यासि |
| 7. चस्थार | 21. मंग |
| 8. डक्कल (डोक्कलवार) | 22. मंगगारोडि |
| 9. ढोर | 23. मन्त्रे |
| 10. एल्लम्बल्वार (येल्लमाल वाण्डलु) | 24. मस्ति |
| 11. होलेय | 25. मेहतर |
| 12. होलेय दासरि | 26. मिताश्यल्वार |
| 13. कोलुपुलवाण्डलु | 27. सासगार |
| 14. महार | 28. सिंधोल्लु (चिंदोल्लु) |

भाग 2—आसाम

समस्त राज्य में—

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. बांसफ्र | 9. कैबर्त या जालिया |
| 2. भईमाली या मालो | 10. लालबेगी |
| 3. वृत्तियाल बनिया या बवनिथा | 11. माहर |
| 4. धुपी या धोबी | 12. मैहतर या भंगी |
| 5. डुगला या ढोली | 13. मोची या त्रृष्णि |
| 6. हिरा | 14. नामशूद्र |
| 7. जालकेवट | 15. पटनी |
| 8. जालो या झालोमालो | 16. सूत्रधार |

भाग 3—बिहार

1. समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. बांतर | 5. चौपाल |
| 2. बाउरी | 6. दबगर |
| 3. भोगता | 7. धोबी |
| 4. चमार या मोची | 8. डोम या धनगद |

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 9. दुसाद (धारी या धरही सहित) | 16. मुसहर |
| 10. घासी | 17. नट |
| 11. हलालखोर | 18. पान या स्वासी |
| 12. हाड़ी मेहतर या भंगी | 19. पासी |
| 13. कंजर | 20. रजवार |
| 14. कुरारियार | 21. तुरी |
| 15. लालबेगी | |

2. पटना और तिरहुत डिवीजनों और मुगेर, भागलपुर, पालामऊ और पूणिया जिलों
में भूमिज

3. पटना, शाहबाद, गया और पालामऊ जिलों में —

भूइया

भाग 4—गुजरात

- | | |
|---|--|
| 1. राजकोट डिवीजन और कच्छ जिलों के सिवाय समस्त राज्य में— | |
| 1. अगेर | 8. गरोडा या गरो |
| 2. बाकड़ या बंट | 9. हल्लीर |
| 3. भाँबी, भाँभी, असादल, असोदी,
चमाडिया, चमार, चांभार
चमगार, हरलथां, हरली,
खालपा, मचिगार, मोचिगार मादर,
मादिग, तेलगु, मोची,
कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास
रोहित या समगार | 10. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार
11. होलार, या वल्हार
12. होलेय या होलेर
13. लिंगाडेर
14. माहर, तराल या धेगु मेगु
15. माहयावंशी, धेड़, वणकर या मरु-वणकर
16. मांग, मातंग या मिणि-मादिग
17. मांशाहडी |
| 4. भंगी, मेहतर, ओलगना, रुखि,
मलकाना, हलालखोर, लालबेगी
बाल्मीकी कोरार या झाडमल्ली | 18. मेघवाल या मेघवाल
19. मुक्री
20. नदियाया हाडी |
| 5. चलवादि या चल्लथ
6. चेन्न-दासर या होलेय दासर
7. ढोर, कक्कथया या कंकथया | 21. पासी
22. शेनवा, चेनवा सेडमा या शैवत
23. तिर्पर या तिर्वडा
24. तुरी |

2. डांग जिले और सूरत जिले के अम्बरगांव तालुका में —
मोची

3. राजकोट डिवीजन में —

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. बावा (डेढ़) या डेढ़-साधु | 9. मेघवाल |
| 2. भंगी या रुखि | 10. सेनवा |
| 3. चमाडिया | 11. शिमलिया |
| 4. चमार, नलिया या रोहित | 12. थोरी |
| 5. डंगशिया | 13. तुरी |
| 6. गरोड़ा | 14. तुरी-बरोत या डेढ़-बरोत |
| 7. गरमातंग | 15. वणकर, डेड़ या आत्यज |
| 8. हाड़ी | |

4. कच्छ जिले में—

- | | |
|----------|--------------|
| 1. भंगी | 4. भेघवाल |
| 2. चमार | 5. तुरी |
| 3. गरोडा | 6. तुरी-बरोत |

भाग 4क—हरिधाण।

1. समस्त राज्य में—

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. आदि धर्मी | 17. खटीक |
| 2. बंगली | 18. कोरी या कोली |
| 3. बरड़, बुरड़ या बैरड़ | 19. मरोजा या मरेचा |
| 4. बटवाल | 20. मजहबी |
| 5. बोरिया या बावरिया | 21. मेघ |
| 6. बाजीगर | 22. नट |
| 7. बाल्मीकि, चूहडा, या भंगी | 23. ओड़ |
| 8. भंजडा | 24. पासी |
| 9. चमार, जटिया चमार, रहगड़,
रेंगड़, रामदासी या रविदासी | 25. पेरना |
| 10. चनाल | 26. फरेरा |
| 11. डागी | 27. सनहाय |
| 12. धानक | 28. सनहात |
| 13. डूमना, महाशय या डूम | 29. सांसी, भंडकूट या मनेश |
| 14. गणडा | 30. सपेला |
| 15. गंडील या गंडील गोन्दोला | 31. सरेडा |
| 16. कबीर पंथी या जुलाहा | 32. सिकलीगर |
| | 33. सिरकीबंद |

2. महेन्द्रगढ़ और जीन्द जिलों के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. दड़ै | 3. संसोई |
| 2. ढोगरी ढांधरी या सिग्गी | |
| 3. महेन्द्रगढ़ और जीन्द जिलों में— | |

डेहा, डैया या डेअरा

भाग 5—केरल

1. समस्त राज्य में—

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. चक्किलियन | 4. पल्लन् |
| 2. क्ररवन् सिद्धनार | 5. पैयन परयन (सांबवर) |
| 3. नायाडी | 6. बल्लुवन् |

2. मलावार जिले के कासरगोड ताल्लुक के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. कणककन् या पदन्न | 2. पाणन |
|--------------------|---------|

3. (कासरगोड ताल्लुक के सिवाय) मलावार जिले को छोड़ कर समस्त राज्य में—
परवन्

4. मलावार जिले के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------|------------|
| 1. अड्यनव | 3. बोधन् |
| 2. भरतवृ | 4. बुस्तन् |

- | | |
|---------------------|--------------|
| 5. कांक्कालन् | 14. तर्णडान् |
| 6. कवर | 15. उल्लादर् |
| 7. कूटन (कूडन्) | 16. ऊरालि |
| 8. मण्णान् | 17. वल्लोन् |
| 9. पद-नन् | 18. वण्णान् |
| 10. पल्लुब | 19. वेलन् |
| 11. पतियन् | 20. वेटन् |
| 12. पेरु मण्णान् | 21. वेटु वन |
| 13. पुलशन् या चेरपर | |

5. मलाबार ज़िले में—

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. आदि आधि | 18. कालाडी |
| 2. आदि द्राविड़ | 19. करिस्पालन् |
| 3. आदि कर्णाटक | 20. कूसा |
| 4. अजीला | 21. कुडुम्बन् |
| 5. अ न्दतीयर | 22. मैल |
| 6. बैरा | 23. मबीलन् |
| 7. बकुडा | 24. मोजर |
| 8. बानडी | 25. मुनडाला |
| 9. बेल्लारा | 26. नलकेयब |
| 10. चामर या मुच्ची | 27. पामबाड़ा |
| 11. चाणडाल | 28. पंचम |
| 12. वेलमन् | 29. पुतीरई वण्णा |
| 13. गोडागली | 30. रानीयार |
| 14. गोडा | 31. सामागरा |
| 15. गोसंगी | 32. साम्बान |
| 16. होलेय | 33. सेम्मान |
| 17. काढाइयन् | 34. तोट्टी |

6. (कासरगोड तालुक के सिवाय) मलाबार ज़िले में—

- | | |
|---------|--------------|
| 1. गवर | 3. पलय वेटवन |
| 2. मलयन | |

7. मलाबार ज़िले के कासरगोड तालुक में—

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. बताड़ा | 3. नालकाडाया |
| 2. हस्ता | |

भाग 6—मध्य प्रदेश

1. भिड, गिर्द, मुरेना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रत्लाम, मन्दसौर, भेलसा, इन्दौर, देवास, धार, झावुआ और निमाड (मध्य भारत) ज़िलों में—

- | | |
|--------------------|--|
| 1. बागरी या बागड़ी | 9. चमार, बेरवा, भांबी, जाटब, मोची या रैगड़ |
| 2. बालाई | 10. चिदार |
| 3. बांछड़ा | 11. धानुक |
| 4. बरहर या बसोड | 12. छेड़ |
| 5. बरगुड़ा | 13. डोम |
| 6. बेड़िया | 14. कंजर |
| 7. भंगी या मेहतर | 15. खटीक |
| 8. भानुमती | |

16. कौली या कोरी
 17. कोतवाल
 18. माहर
 19. मांग या मांग गारोड़ी
 20. मेघवाल

21. नट कालवैलिया या सपेरा
 22. पारधी
 23. पासी
 24. सासी
 25. झमराल

2. छिदवाड़ा, सिवनी, बेतूल, जबलपुर, सागर, दमोह, मांडला, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, निमाड़, बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, और रायगढ़ ज़िलों में—

1. बहना या बाहना
 2. बलाही या बलाई
 3. बसोर, बरुड़ बांसी या बांसोड़ी
 4. चमार, चमारी, मोची, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी या सूर्यरामनामी
 5. डोम या डुमार
6. गांडा या गांडी
 7. खटीक, चिकवा या चिकबी
 8. मांग, दनखी-मांग, मांग-माहशी मांग-गाहड़ी, मदारी, गारुड़ी, या राधेमांग
 9. मेहतर या भंगी
 10. सांसी

3. बिलासपुर ज़िले में—

ग्रीधेलिया

4. सागर और दमोह ज़िलों में—

चडार

5. दमोह ज़िले में—

दहाइत, दहायत या दहात

6. बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ ज़िलों में—

देवर

7. सागर ज़िले में—

धातुक

8. बालाघाट ज़िले में—

1. डोहोर

3. माड़गी

2. होलिया

9. बालाघाट, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ ज़िलों में—
घासी या घासिया

10. बालाघाट, बेतूल, बिलासपुर, दुर्ग, निमाड़, रायपुर, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ ज़िलों में; होशंगाबाद ज़िले की होशंगाबाद और सिवनी-मालवा तहसीलों में, छिदवाड़ा ज़िले में, और सागर ज़िले में—

कातिया या पथरिया

11. सागर और दमोह ज़िलों में और होशंगाबाद ज़िले की होशंगाबाद और सिवनी-मालवा तहसीलों में—

खंगार, कनेरा या मिरधा

12. छिदवाड़ा, सिवनी, बेतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, मांडला, निमाड़, बालाघाट, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ ज़िलों में, और हरदा और सुहागपुर तहसीलों के सिवाय होशंगाबाद ज़िले में—

कोरी

13. छिंदवाड़ा, सिवनी, बेतुल, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, माडलों, निमाड़, बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ ज़िलों में, और हरदा और सुहागपुर तहसीलों के सिवाय होशंगाबाद ज़िले में—
माहर या मेहर

14. होशंगाबाद ज़िले की सुहागपुर तहसील में—

रुजन्नार

15. दतिया, टीकमगढ़ छतरपुर, पत्ता, सतना तीवा, सीधी और शहडोल ज़िलों में—

1. बसोर या बांसफोड़

8. धासिया

2. बेलदार या सुनकर

9. कुचबंधिया

3. चमार, अहिरवार, चमार-
मंगन, मोची या रैदास

10. कुम्हार

4. धरकार, बाल्मीक या लालबेंगी

11. मेहतर, भंगी या धानुक

5. ढेड़

12. मोघिया

6. डोम

13. मुसखान

7. डोमर या डोरीस

14. पासी

15. सांसिया या बेड़िया

16. रायसन और सीहोर में—

1. बलाई

11. कंजर

2. बांसफोड़ या बसोर

12. खटीक

3. बसार

13. कोली या कातिया

4. बेड़िया

14. मांग

5. बेलदार

15. मेहर

6. चमार, जाटव या मोची

16. मेहतर या भंगी

7. चितार

17. पासी

8. धानुक

18. सांसिया

9. धोबी

19. सिलावट

10. डोम

भाग 7—तमिल नाडु

समस्त राज्य में—

1. चविकलियान

4. पल्लन्

2. कुरवन, सिद्धनार

5. परैयन, परयन (सांबवर)

3. नायाडी

6. वल्लुवन्

2. कन्या कुमारी ज़िले और तिरुनेववेली ज़िले के शेन्कोट्टा तालुक के सिवाय

समस्त राज्य में—

1. आदि आंध्र

10. चेलवाडी

2. आदि द्राविड़

11. चमार या मूची

3. आदि कर्माटक

12. चाण्डाल

4. अर्जीला

13. चेऱमान

5. अरुन्तार्दियर

14. देवेन्द्रकुलदन

6. बैरा

15. डोम, डोमबारा, पैदी, या पैनी

7. बकुड़

16. गोडामली

8. बंडी

17. गोड़िडा

9. बेलारा

18. गोसंगी

- | | |
|---------------|-----------------|
| 19. होलेय | 33. मुन्डाला |
| 20. जगगाली | 34. नलकेयव |
| 21. जम्बूबुलू | 35. पगाड़ |
| 22. कड़ैयन | 36. पमवाडा |
| 23. कल्लडी | 37. पंचामा |
| 24. कारिमपालन | 38. पञ्चियांडी |
| 25. कूसा | 39. पुदिरैवन्नन |
| 26. कुदमबन | 40. रानेथर |
| 27. मदारी | 41. समागारा |
| 28. मडिगा | 42. सामबन |
| 29. मैता | 43. सपारी |
| 30. माला | 44. सेप्मन |
| 31. माविलान | 45. तोट्टी |
| 32. मोगर | 46. ति वल्लुवर |

3. नीलगिरी जिले में—

कनककन या पडन्ना

4. कोमबत्तूर और सेलेम जिलों में—

1. पन्नाडी 2. वातिरियन

5. कन्धाकुमारी और तिस्तनेलवेली जिले में शेंकोट्टा तालूक में—

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. अर्यानवेर | 12. पदियन |
| 2. भरतर | 13. पेहमन्नन |
| 3. डोम्बन | 14. पुलयन या चेरमार |
| 4. कावकालन | 15. तंडन |
| 5. काबरा | 16. उल्लडन |
| 6. कूटन (कूडन) | 17. उरली |
| 7. मन्नन | 18. वल्लोन |
| 8. पडन्नन | 19. वन्नन |
| 9. पल्लुवन | 20. वेलन |
| 10. पानम | 21. वठन |
| 11. परवन | 22. वेट्टुवन |

6. तंजोर जिले में —

1. कोलियन 2. वेट्टियान

भाग 7क—सहाराष्ट्र

1. दुलडाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, बर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, औरंगाबाद, परभानी, नानदेड, भीर, उसमानाबाद और राजुरा जिलों के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. अगेर | 4. भंगी, मेहतर, ओलगना, स्खी, |
| 2. बाकड या बंट | मलकाना, हलालखोर, लालबेगी |
| 3. भावो, भाभी, असादल, असादी, | बालमीकि, कशोरार या |
| चमाडिया, चमार, चांभार, | झाडमल्ली |
| चमगार, हरलय्या हराली, खापला | 5. चलवादि या चतद्या |
| मचिगार, मोचिगार, मादर, | 6. चेन्न दासर या होलेय दासर |
| मादिग, मोची, तेलगु-मोची, | 7. ढोर, कक्काया, या कंकैया |
| कामाटी-मोची, रानीगार, | 8. गरोडा या गरो |
| रोहिदास; रोहित या समगार | 9. हल्लोर |

10. हलसार, हसलार, हुलस्वार या
हुलस्वार
11. होलार या बलहर
12. होलेय या होलेर
13. लिंग डेर
14. माहर, तराल या धेगु मेगु
15. महयावंशी, डेड, वणकर या
मरु वणकर
16. मांग, मंतंग या मिणिमादिंग
17. मांग-गारुडी
18. मेघवाल या मेघवर
19. मुक्री
20. नाडीया या हाडी
21. पासी
22. शेनवर, चेनवर, सेडम या
रावत
23. तिरगर या तिरवंडा
24. तुरी
2. बुलडाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वधी, नाशपुर, भंडारा और चांदा
जिलों में—
1. बहना या बाहना
2. बलाही या बलाई
3. बसोर, बुरुड, बांसौर या
बांसोडी
4. चमार, चमारी, मोची, नोना
रोहिदास, रामनामी, सतनामी,
सूर्यवंशी य सूर्यरामनामी
5. डोम या डमार
6. डोहोर
7. गांडा या गांडी
8. घासी य घासिय
9. कइकडी
10. कातिया या पथारिय
11. खटीक, चिकवा या चिकवी
12. माडगी
13. महार या मेहर
14. मांग, दंखनी-मांग, मांग-महशी,
मांग-गारुडी, मदारी गारुडी या
राधे मांग
15. मेहतर या भंगी
16. सासी
3. अकोला, अमरावती और बुलडाना जिलों में—
बेडर
4. भंडारा जिले में—
1. जडर 2. होलेय
5. भंडारा और बुलडाना जिलों में—
खंगार, कनेरा या भिरधा
6. अमरावती, भंडारा और बुलडाना जिलों में—
कोरी
7. औरंगाबाद, परभानी, नानदेड, राजुरा, भीर और उसमानाबाद जिलों में—
1. अतामक
2. आर्थ (माला)
3. अवमाला
4. बेड (बुड्ग) जंगम
5. बिड्ल
6. बैगारा
7. जलवादि
8. चाम्भार
9. डक्कल (डोक्कलवार)
10. ढोर
11. दूल्लमल्लवार (येल्लमाल
लांड्ल)
12. होलेय
13. होलेय दासरि
14. कोलुपुलवाण्डलु
15. मादिंग
16. माहर
17. माल
18. मालदासरी
19. माल हन्त्रै
20. मालजंगम
21. मालमस्ति
22. मालसाले (नेट्कानि)
23. माल सत्यास्त्रि

- | | |
|--------------|-------------------------|
| 24. मंग | 29. मिता ग्रथ्यल्वार |
| 25. मंगारोडि | 30. मोची |
| 26. मने | 31. सामगार |
| 27. मस्ति | 32. सिधोल्लु (चिदोल्लु) |
| 28. मेहतर | |

भाग 8—कर्नाटक

1. कुर्ग, बैलगांव, बीजापुर, धारवाड़, केनरा, दक्षिण केनरा, गुलबर्गा, रायचूर और बोदर जिलों तथा मैसूर जिले के कोल्लेगाल चालूक के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. आदि ग्रांध | 9. केष्पारी |
| 2. आदि द्रविड़ | 10. कोरच |
| 3. आदि कर्नाटिक | 11. कोरम |
| 4. बंजारा या लंबाणी | 12. मचला |
| 5. भोवी | 13. मोची |
| 6. दक्कलिंगा | 14. सिल्लेकिया |
| 7. गंटी चोर | 15. सुहुगाटुसिद्ध |
| 8. हंदी जोगि | |

2. बैलबांव, बीजापुर, धारवाड़ और केनरा जिलों में—

- | | |
|--|--|
| 1. आगेर | 10. हलसार, हसलार, हुलस्वार या हलस्वार |
| 2. बाकड या बंट | 11. होलार या बलहार |
| 3. भंबी, भंभी, आसदाळ, आसोदी, चमडिया, चमार, चंभार, चमगार, हरलया, हरली, खलपा, मचिगार, मोचिगार, मादार मादिग, मोचि, तेलगु-मोचि, कामाटि-मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित या सामगार | 12. होलेय या होलेर |
| 4. भंगी, मेहतर, ओलगाना रुखा, मलमाना हुलालखोर, लालबेगी, बातमीकि, कोरार या झाडमाली | 13. लिंगाडेर |
| 5. चलवादी या च्वैया | 14. माहर, तराल या धेगु मेगु |
| 6. चनादासर या होलयादासर | 15. माह्यावंशी, धेड़, वणकर या मारुवणकर |
| 7. ढोर, कक्कट्या, या कन्कट्या | 16. मांग, मातंग, या मिनिमादिग |
| 8. गारोडा या गरो | 17. मांग-गारुडी |
| 9. हल्लीर | 18. मेघवार या मेघवार |
| | 19. मुक्री |
| | 20. तदिया या हाडी |
| | 21. पासी |
| | 22. शेन्वा, चेन्वा, सेदमा या रावत |
| | 23. तीरगर या तीर्बन्दा |
| | 24. तुरी |

3. केनरा जिलों में—

कोटेगार या मोक्की।

4. गुलबर्गा, बीदर और रायचूर जिलों में—

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. अनापुक | 7. चलवादो |
| 2. आर्य (माला) | 8. चम्भार |
| 3. अर्दभाला | 9. दक्कल (दोक्कलवार) |
| 4. बेड (बुडगा) जंगम | 10. ढोर |
| 5. बिटला | 11. एलमलवार (येलमालबाण्डल) |
| 6. छ्यागरी | 12. होलेय |

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 13. होलेय दापरी | 23. माल सन्धारी |
| 14. कोलुपुलबंडलु | 24. मांग |
| 15. मादिग | 25. मांगगा डोडो |
| 16. माहर | 26. मन्त्रे |
| 17. माल | 27. माश्ती |
| 18. मालदासरो | 28. मेहतर |
| 19. माल हन्नाई | 29. मिया अथलवार |
| 20. मालजंगम | 30. मीची |
| 21. मालस्ते | 31. समगर |
| 22. मालसाले (नेतकानो) | 32. सिघोल्लु (चिदोल्लु) |

5. दक्षिणी केनरा जिले और मैसूर जिले में कोलिलगल तालुक में—

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. आदि आंध | 27. कुडुम्बन |
| 2. आदि द्रविड़ | 28. कुरवान |
| 3. आदिकर्णटक | 29. मदारी |
| 4. आजिला | 30. मादिग |
| 5. अरंथथियार | 31. मैला |
| 6. बैरा | 32. माला |
| 7. बकुडा | 33. माविलन |
| 8. बांदि | 34. मोगेर |
| 9. बेल्लरा | 35. मुन्डाला |
| 10. चक्किलियान | 36. नलकेयव |
| 11. चलवादि | 37. नायाडि |
| 12. चमार या मुचि | 38. पगडाई |
| 13. चांडाल | 39. पल्लवद्व |
| 14. चरुमन | 40. पम्बाडा |
| 15. देवेन्द्रकुलथन | 41. पचम |
| 16. डोम, डोम्बर, पैडी या पानी | 42. पन्नियांडि |
| 17. गोडागली | 43. परइयान |
| 18. गोहुा | 44. पुथिराई वन्नन |
| 19. गोसंगि | 45. रानेयारो |
| 20. होलिय | 46. समगर |
| 21. जगलो | 47. सम्बल |
| 22. जम्बुवेवुमु | 48. सपरो |
| 23. कदिइयाना | 49. सम्मन |
| 24. कल्लादि | 50. शोधी |
| 25. करोमपालन | 51. तिरवल्लवार |
| 26. कूसा | 52. वल्लुवान । |

6. मैसूर जिले के कोलिलगल तालुक में :—

1. पन्नाडो
2. वाथिरियान ।

7. दक्षिणी कनारा जिले में :—

1. बथडा
2. हस्ता
3. नालकाड्य
4. परवन ।

8. कुर्ग जिले में :—

1. आदि द्रविड़
- 2.. आदि कर्णटक

- | | |
|-----------|-------------|
| 3. आदीय | 8. मुन्डाला |
| 4. बालगाई | 9. पलै |
| 5. होलिय | 10. पंचम |
| 6. मादिण | 11. परया |
| 7. मुचि | 12. समधर। |

भाग 9—उड़ीसा

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. समस्त राज्य में— | |
| 1. आदि आंध | 40. ईरीका |
| 2. अमान्त या अमात | 41. जाम्भली |
| 3. औधलिया | 42. कंडरा या कंडारा |
| 4. बडैक | 43. कारुआ |
| 5. बत्थेवी या बाधुटो | 44. कटीआ |
| 6. बाजीकर | 45. केला |
| 7. बारी | 46. खदाल |
| 8. बारीजी | 47. कोदाल या खोदाल |
| 9. बासोर या बुरुड | 48. कोरी |
| 10. बाल्ही | 49. कुम्मारी |
| 11. बावुटी | 50. कुरुण |
| 12. आवुरी | 51. लबाण |
| 13. बेडिया या बेजिया | 52. लाहेरी |
| 14. बेलदार | 53. मदारी |
| 15. भाट | 54. मादिशा |
| 16. भोई | 55. महुरिआ |
| 17. चाचटी | 56. माला, झाल्ला, मालो या झाल |
| 18. चकली | 57. मांग |
| 19. चमार, मोची, मुची या सतनामी | 58. मांगण |
| 20. चांडाल | 59. मेहरा या महर |
| 21. चेरुआ या छेलोआ | 60. मेहतर या भंगी |
| 22. चन्दाई भास | 61. मेवार |
| 23. दंडासी | 62. मुङ्डपोट्टा |
| 24. देवर | 63. मुहार |
| 25. धनवार | 64. नगारची |
| 26. धोबा या धोबी | 65. नामशूद्र |
| 27. डोम, डोम्बो या दुरीया डोम | 66. पाइडी |
| 28. दोसढा | 67. पाइण्डा |
| 29. गंडा | 68. पासीडो |
| 30. घंटरघडा या घंटरा | 69. पाण या पाणो |
| 31. घासि या घासिया | 70. पंचम |
| 32. घोचिआ | 71. पाणिका |
| 33. घुसुरिया | 72. पंका |
| 34. गोडामाली | 73. पाणतन्ति |
| 35. गोडारी | 74. पाप |
| 36. गोडरा | 75. पासी |
| 37. गोबा | 76. पाटिआल, पातोकर, पाततन्ति
या पटुआ |
| 38. गोराईत् या कोराईत् | 77. रजना |
| 39. हाढ़ी, हाड़ी या हारो | |

78. रेल्ली	86. सिआल
79. सबाखिआ	87. टमाडिया
80. समासी	88. टमडिया
81. सर्नेई	89. तांला
82. सापरी	90. तिथार या तिथोर
83. सैतिया (सांतिया)	91. तुरी
84. सिधिआ	92. उज्जीआ
85. सिदूरिया	93. बालमीकी या बालमीकि ।

2. संबलपुर जिले में—

कुली ।

भाग 10—पंजाब

1. समस्त राज्य में—

1. आदि धर्मी	17. खटीक
2. बंगाली	18. कोरी या कोली
3. बरड़, बुरड़ या बेरड़	19. मरीजा या मरेचा
4. बटवाल	20. मजहबी
5. बौरिया या बावरिया	21. मेघ
6. बाजीगर	22. नट
7. बालमीकी, चूहड़ा या भंगी	23. ओड
8. भंजड़ा	24. पासी
9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़,	25. पेरना
राथगड़, रामदासी या रविदासी	26. फरेश
10. चनाल	27. सनहाई
11. ढागी	28. सनहाल
12. धानक	29. सांसी, भेड़कुट या मनेश
13. डूमना, भहाशय या डम	30. सपेला
14. गगड़ा	31. सरेड़ा
15. गंडीला या गन्डील गोन्दोला	32. सिकलीगर
16. कबीरपंथी या जुलाहा	33. सिरकीबन्द

2. पटियाला, भटिंडा, कपूरथला और संग्रहर के जिलों के सिवाय समस्त राज्य में—

1. दड़ै	3. संसोई
2. ढांगरी, ढांगरी या सिम्मी	
3. पटियाला, भटिंडा, कपूरथला और संग्रहर जिलों में—	

डैहा, दैया या ढेअा ।

भाग 11—राजस्थान

1. अजमेर जिला, सिरोही जिले के आबू रोड तालुक और झालावाड़ जिले के मुनेल टप्पा के सिवाय समस्त राज्य में :—

1. आदि धर्मी	7. खलै
2. अहेरी	8. बांसफोड़
3. बदी	9. बर्गी, वर्गी, बिरगी
4. बागरी	10. बावरिया
5. बैरवा या बेरवा	11. बेडिया या बेरिया
6. बाजगर	12. भांड

- | | |
|--|---------------------|
| 13. भंगी | 34. खीक |
| 14. बिडाकिया | 35. कोली या कोरी |
| 15. बोला | 36. कूचबन्द |
| 16. चमार, भांभी, जाटव, जटिया,
मोची, रैदास, रैगड़ या रामदासिया | 37. कोरिया |
| 17. चांडाल | 38. कुजर |
| 18. चूड़ा | 39. मदारी या बाजीगर |
| 19. दावगर | 40. मजहबी |
| 20. धानकिया | 41. मेघ या मेघवाल |
| 21. ढेड़ | 42. मेहर |
| 22. डोम | 43. मेहतर |
| 23. गांडिया | 44. नट |
| 24. गरांचा मेहतर या घांचा | 45. पासी |
| 25. गरो, गरुड़ या गुर्डा | 46. रावल |
| 26. गवारिया | 47. सालवी |
| 27. गोधी | 48. सांसी |
| 28. जीनगर | 49. सांतिया |
| 29. कालबेलिया | 50. सरभंगी |
| 30. कामड़ या कामड़िया | 51. सरगडा |
| 31. कंजर | 52. लीर्णीवाला |
| 32. कापड़िया सांसी | 53. थोरी या नायक |
| 33. खंगार | 54. तीरगर |
| | 55. बालमीकी |

2. अजमेर जिले में—

- | | |
|---|----------------|
| 1. अहेरी | 20. कबीरपंथी |
| 2. बागरी | 21. काल बेलिया |
| 3. बलाई | 22. खंगार |
| 4. बांभी | 23. खटीक |
| 5. बांसफोड़ | 24. कोली |
| 6. बावरी | 25. कोरिया |
| 7. बार्गी | 26. कूचबन्द |
| 8. बाजीगर | 27. माहर |
| 9. भंगी | 28. मेघवाल |
| 10. बिडाकिया | 29. नट |
| 11. चमार, जाटव, जटिया, मोची
या रैगड़ | 30. पासी |
| 12. दबागर | 31. रावल |
| 13. धानक | 32. सरभंगी |
| 14. ढेड़ | 33. सरगार |
| 15. धोबी | 34. सांतिया |
| 16. ढोली | 35. थोरी |
| 17. डोम | 36. तीरगड़ |
| 18. गरोडा | 37. कंजर |
| 19. गांचा | 38. सांसी |

3. सिरोही जिले के आवूरोड तालूक में—

- | | |
|---------|------------------|
| 1. अगेर | 2. बाकड़ या बन्ट |
|---------|------------------|

3. भांडी, भांझी, असादरु, असोदी, चमाडिया, चमार, चाम्भार, चामगर, हरलय्या, हराली, खालपा, मचिगार, मोचिगर, भादर, मादिग, तेलगु-मोची, कामटी मोची, राणीगर, रोहिदास, रोहित या समगर
4. भंगी, मेहतर, ओलगना, रुखि, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बालमीकी, कोरार या झाडमल्ली
5. चेलवादि, चव्वेय्या
6. चेन्नदासर या होलैय दासर
7. ढोर, कक्कैय्या, कन्कैय्या
8. गरोडा या गरो
9. हल्लीर
10. हलसार, हलसार, हुलस्वार या हलस्वार
11. होलार या बल्हार
12. होलैय या होलेर
13. लिंगाडेर
14. माहर, तराल या धोगू मेगू
15. माहयावेशी, ढेड, बणकर या मर्खणकर
16. मांग, मांतग या मिणमादिग
17. मांग गारडी
18. मेघवाल या मेघवार
19. मुक्री
20. नाडिआ या हाडी
21. पासी
22. शेनवा, चेनया, सेडमा या रावत
23. तिरगर या तीखन्डा
24. तुरी।

4. झालावाड़ जिले के सुनेल टप्पा में—

1. बागरी या बागडी
2. बलाई
3. बनचडा
4. बरहार या बसोड
5. बरगुंडा
6. बेडिया
7. भंगी या मेहतर
8. भानुमती
9. चमार, बैरवा, भांडी, जाटव, मोची या रैगड़
10. चीडर
11. धानुक
12. ढेड़
13. डोम
14. कंजर
15. खटीक
16. कोली या कोरी
17. कोतवाल
18. माहर
19. मांग या मांग-गारोडी
20. मेघवाल
21. नट, कालबेलिया या सपेरा
22. पारधी
23. पासी
24. सांसी
25. झमरल

भाग 12—उत्तर प्रदेश

1. समस्त राज्य में—

1. अगरिया
2. बादी
3. बधिक
4. बहेलिया
5. बैगा
6. बैसवार
7. बजनिया
8. बाजगी
9. बलाहर
10. बलाई
11. बालमीकि
12. बंगाली
13. बनमानुस
14. बांसफोड़
15. बरबार
16. बसोड़
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेरिया
20. भांतू
21. भईया
22. भइयार
23. बोरिया
24. चमार, धूसिया, झूसिया या जाटव

25. चैरू	45. खरोट
26. दाबगर	46. खरदार (बेनबांसी को छोड़कर)
27. धंगर	47. खटीक
28. धानुक	48. कोल
29. धरकार	49. कोरवा
30. धोबी	50. लालबेगी
32. डोम	51. मझवार
32. डोमर	52. मजहबी
33. दुसाध	53. मुसहर
34. घरासी	54. नट
35. घसिया	55. पंखा
36. खाल	56. परहिया
37. हाकूड़ा	57. पासी या तरमाली
38. हरी	58. पटारी
39. हेला	59. रावत
40. कलावाज	60. सहारया
41. कंजर	61. सनोहिया
42. कपड़िया	62. सांसिया
43. करवल	63. शिल्पकार
44. खैराहा	64. तुरहिया।

2. आगरा, मेरठ और रुहेलखंड डिवीजन को छोड़कर समस्य राज्य में—
कोरी।

3. बन्देलखंड डिवीजन और कैमूर पहाड़ी के दक्षिण वाले मिर्जापुर जिले के
के प्रभाग में—

गोंड

भाग 13—फिल्मी धंगर

1. समस्त राज्य में—

1. बावरी	6. वासी
2. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रुईदास या रिशी	7. लालबेगी
3. धोबा या धोबी	8. मुसाहर
4. डोम या धंगड़	9. पान या सवासी
5. धरी या धारही के सहित दोसाध या दुसाध	10. पासी
	11. राजवार
	12. तूरी

2. पुरुलिया जिले और बिहार के पूर्निया जिले में के अन्तरित राज्यक्षेत्रों में के
सिवाय सनस्त राज्य में—

1. बागदी या दुले	9. दामाई (नेपाली)
2. बेहेलिया	10. दोयाई
3. बायती	11. मोनरही
4. बेलिया	12. हाड़ी
5. बेदार	13. जालिया कर्बर्त
6. भुईमाली	14. झाकोभालो या मालो
7. भुईया	15. कादर
8. बिन्द	16. कामी (नेपाली)

17. कांदरा	30. माल
18. काम्रौरा	31. मल्लाह
19. करेंगा या कोरंगा	32. मेहतर
20. काम्रौर	33. नामशुद
21. केवट या केयोट	34. नूनिया
22. खैरा	35. पलिया
23. खटीक	36. पाटनी
24. कोच	37. पोद या पैन्द्रा
25. कोनाई	38. राजवंशी
26. कोनवार	39. शड़की (नेपाली)
27. कोटाल	40. साहा को छोड़कर सूनरी
28. लोहार	41. तियर।
29. माहर	

3. पुरुलिया जिले में और बिहार के पूर्निया जिले में से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में—

1. बंतर	6. हरी, मेहतर या भंगी
2. भोगता	7. कंजर
3. चौपाल	8. कुरारियर
4. दबगर	9. नट।
5. हलालखोर	

4. बिहार के पूर्निया जिले में से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में—

भूमिज।

भाग 14—हिमाचल प्रदेश

1. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के सिवाय सारे संघ राज्यक्षेत्र में—

1. ग्रादिध मी	20. दराई या दरयाई
2. बाढ़ी नागलू	21. दाउले
3. बान्धेला	22. ढाकी या तुरी
4. बाल्मीकी, चूड़ा या भंगी	23. धाग्रोगरी या धुग्राई
5. बंगली	24. डूम या डूमना
6. बंजारा	25. डूमने (भंजड़े)
7. बांसी	26. हाली
8. बरड़	27. हैसी
9. बरार	28. जोगी
10. बटवाल	29. जुलाहे
11. बावरिया	30. कबीर पंथी, जुलाहा या कीर
12. बाजीगर	31. कम्बोह या डगोली
13. भंजड़ा	32. करोक
14. चमार, मोची, रामदासी, रवि- दासी या रामदासिया	33. खटीक
15. चनाल	34. कोली
16. छिथ्ये (धोबी)	35. लोहार
17. चूहड़े	36. मजहबी
18. डागी	37. मेघ
19. दाओले	38. नट
	39. ओड़

40.	पासी	46.	सरड़े सराड़े या सिरयाड़े
41.	फरेड़ा	47.	सरेहड़े
42.	रेहाड़	48.	सिकलीगर
43.	रेहाड़ा	49.	सिपी
44.	सांसी	50.	सिरकीबन्द
45.	सपेला	51.	तेली
		52.	ठिठ्यार या ठठेरा ।

2. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) को धारा 5 के उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में—

1.	आदिधर्मी	18.	कवीरपंथी या जुलाहा
2.	बंगाली	19.	खटीक
3.	बरड़, बुरड़ या बेरड़	20.	कोरी या कोली
4.	बटवाल	21.	मरीजा या मरेचा
5.	बौस्थिया या बावरिया	22.	मजहबी
6.	बाजीगर	23.	मेघ
7.	बालमीकि चूहड़ा या भंगी	24.	नट
8.	भंजड़े	25.	ओड़
9.	चमार जटिया चमार, रेहगढ़, रायगढ़, रामदासी या रविदासी	26.	पासी
10.	चनाल	27.	परेना
11.	डागी	28.	फरेरा
12.	दड़ै	29.	सनहाई
13.	धानक	30.	सनहाल
14.	ढोगरी, ढागरी या सिंधी	31.	संसोई
15.	डूमना, महाशय या डूम	32.	सांही भेड़कूट या मनेश
16.	गगड़ा	33.	सपेला
17.	गंडीला या गन्डील गोन्डीला	34.	सरेड़ा
		35.	सिकलीगर
		36.	सिकरीबन्द

भाग 15—मणिपुर

समस्त राज्य में—

1. धुपी पा धोबी
2. लोई
3. मुची या रविदास
4. नामशुद्र
5. पातर्नी
6. सूतधार
7. यैथिबी

भाग 16 मेघालय

समस्त राज्य में—

1. बांसफर
2. भूईमाली या माली
3. वृत्तियाल-बतिया या बनिया
4. धूपी या धोबी
5. डुगला या ढोली
6. हीरा
7. जालकियत
8. झालो, मालो या झालों-मालों
9. कैबर्त या जालिया
10. लालबेगी

- | | |
|--------------------|--------------|
| 11. महरा | 14. नामशूद्र |
| 12. मैहतर या भंगी | 15. पातनी |
| 13. मोची या क्षुषि | 16. सूतधार । |

भाग 17—त्रिषुरा

समस्त राज्य में —

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. बागड़ी | 20. कंडा |
| 2. बैटी | 21. कनेव |
| 3. भूईमाली | 22. केवट |
| 4. भुनर | 23. खादित |
| 5. चमार या मुची | 24. खरिया |
| 6. डण्डासी | 25. खेमचा |
| 7. धनुआ | 26. कोछ |
| 8. धोबी | 27. कोयर |
| 9. दुग्रई | 28. कोल |
| 10. डोम | 29. कोरा |
| 11. घासी | 30. कोटाल |
| 12. गौड़ | 31. महिष्यदास |
| 13. गुनार | 32. माली |
| 14. गुर | 33. मैहतर |
| 15. गरंग | 34. मूसाहार |
| 16. जालिया कैर्बर्ट | 35. नामशूद्र |
| 17. कहार | 36. पातनी |
| 18. कालिन्दी | 37. सबर । |
| 19. कान | |

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश 1950 से उद्धरण

संग्रह आ 0 22

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सम्पृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्—

* * * *

3. अनुसूची के भाग 4 और भाग 7क को सिवाय इस आदेश के राज्य के या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नवम्बर, 1956 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है, और अनुसूची के भाग 4 और भाग 7क में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह मई, 1960 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य खण्ड के प्रति निर्देश है; भाग 13 में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया, जाएगा कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है और भाग 14 से 16 तक में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वीतर धेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य के प्रति निर्देश है।

अनुसूची

भाग— 1 आन्ध्र प्रदेश

1. समस्त राज्य में—

1. चेंचु या चेंचूवार

2. कोया या गोड अपने उपवर्ग राजा या राश कोया, लिंगधारी कोया (साधारण)

कोट्टू कोया, भणि कोया और राजकोया के सहित ।

2. हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, करीमतगर, वारंगल, खम्माम और नलगौड़ा जिलों के सियाव समस्त राज्य में—

- | | |
|---|--|
| 1. बगटा | 11. कुलिया |
| 2. गडुबा | 12. माली |
| 3. जातुप | 13. मन्न दौरा |
| 4. कस्मर | 14. मखा दोरा या नूकादोरा |
| 5. कोट्टनायकन | 15. पार्जा (पेरंगी पर्जा) |
| 6. कोंडा दौरा | 16. रेड्डीदौरा |
| 7. कोंड कपु | 17. रोण, रेण |
| 8. कोंडा रेड्डी | 18. सवार-कापु सवार, मेल्यसबार
कुट्टू सवार |
| 9. कोंड (कोंड और कोधु) देस्य
कोंड, डोनिया कोंड, कट्टियाकोंठ
टिकिया कोंड और यनेटी, कोंड | 19. सुगाली (लंबाड़ी) |
| 10. कोटिया बेंतों, ओरिया, बर्तिका
धुलिया या डुलिया होल्बा,
फैको, पटिया, सन्नरोण, सिधोपैको | 20. यनाड़ी |
| | 21. युरुकुल । |

3. हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, करीमतगर, वारंगल, खम्माम और नलगौड़ा जिलों में—

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. अन्ध | 4. हिल रेड्ड |
| 2. भील | 5. (मन्ने वलू सहित) कोलम |
| 3. (नैकपाड़ एवं राजगोड़ के
सहित) गोंड | 6. परधाण |
| | 7. थोटी । |

4. अभिकरण भूखंडों में—

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. गौड़ (गौड़) | 3. बाल्मीकि । |
| 2. नाथक | |

भाग 2—आसाम

1. स्वायत्त शासी जिलों में—

- | | |
|--|--|
| 1. चाकमा | 7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी
जन जातियाँ |
| 2. जिमासा (कछारी) | (i) बियाते या बियेते |
| 3. गारो | (ii) चांगसान |
| 4. हाज़ग | (iii) चंगलोई |
| 5. हमार | (iv) दौंगेल |
| 6. (खासी, सिन्तेंग या प्लार वार,
भोई या लिंगनाम सहित) | (v) गमल्हौ |
| खासी और जैन्तिया | (vi) गांगड़े |

(Vii)	गुहते	(XXVI)	मांजेल
(Viii)	हांचेंग	(XXVII)	मिसाऊ
(ix)	हौकिप या हौपित	(XXVIII)	रिअंग
(X)	हौलाई	(XIX)	सैहैम
(xi)	होंगना	(XXX)	सैल्नाम
(xii)	हंसध	(XXXI)	सिन्सन
(xiii)	हांग्खोवाल या रंग्खल	(XXXII)	सितलहौ
(xiv)	जंग्बे	(XXXIII)	सुकते
(xv)	खौचूंग	(XXXIV)	थाढो
(xvi)	खौल्लंग या खोतालंग	(XXXV)	थाज्यू
(xvii)	खेल्मा	(XXXVI)	उइदूः
(xviii)	खोल्ह	(XXXVII)	व्हाइफ़
(xix)	किप्पेन	8.	लाखेर
(xx)	कुकी	9.	(ताई बोलनेवाली) मान
(xxi)	लेथांग	10.	कोई मिजो जन (लूशाई जातियाँ)
(xxii)	ल्हांधम	11.	मिकिरि
(xxiii)	ल्हाजेम	12.	कोई नागा जन जातियाँ
(xxiv)	ल्हौवुन	13.	पांवी
(xv)	लुफेंग	14.	सितेंग।

3. स्वायत्त शासी जिलों को छोड़कर आंसाम राज्य में—

- | | | | |
|----|--------------------|----|--------|
| 1. | कछार में बर्मन | 6. | लालुंग |
| 2. | बडो, बडो कछारी | 7. | मेच |
| 3. | डयोरी | 8. | मिरी |
| 4. | होजाई | 9. | राभा। |
| 5. | सोन्वाल सहित कछारी | | |

भाग 3—बिहार

1. समस्त राज्य में—

- | | | | |
|-----|-----------|-----|-----------------|
| 1. | असुर | 16. | खरखार |
| 2. | बेगा | 17. | खोड़ |
| 3. | बनजारा | 18. | किसान |
| 4. | बठुदी | 19. | कोंरा |
| 5. | बेदिया | 20. | कोरवा |
| 6. | बिञ्जिया | 21. | लोहार या लोहरा |
| 7. | बिरहोर | 22. | माहली |
| 8. | विरजिया | 23. | माल पहरिया |
| 9. | चेरो | 24. | मुन्डा |
| 10. | चिक बराइक | 25. | उरांव |
| 11. | गोई | 26. | परहया |
| 12. | गोराइत | 27. | संथाल |
| 13. | हो | 28. | सोरिया पहाड़िया |
| 14. | करमाली | 29. | सावर। |
| 15. | खरिया | | |

2. रांची, सिहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना और मानभूम के जिलों में—
भूमिज।

भाग 4—गुजरात

1. राजकोट डिवीजन और कच्छ जिले को छोड़ कर समस्त राज्य में—

- | | |
|---|---|
| 1. बड़ा | 10. ढोर काथोडी या ढोर कातकरी |
| 2. बावचा या बामचा | और सोन काथोडी या सोन कातकरी सहित काथोडी या कातकारी |
| 3. भील जिनके अन्तर्गत भील, गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, हुंगरी, गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, वरवा बसावा और बसावे आते हैं | 11. कोकणा, कोकणी, कुकणा |
| 4. चौधरा | 12. कोली, ढोर टोकरे कोली, कोलचा या कोलधा |
| 5. तडवी, तेतारिया और वलवी सहित धाणका | 13. चोली वाला नायका, कपड़िया नायका, मोठा नायका और नाना नायका सहित नायकडा या नायका |
| 6. धोड़िया | 14. अडवीचिचार और फांसे पारधी सहित पारधी |
| 7. तलाविया या हलपति सहित दुबला | 15. पटेलिया |
| 8. मावची, पाडवी, बसावा, वसावे और वलवी सहित गामित या गमटा या गावीत | 16. पोसला |
| 9. गोंड या राजगोंड | 17. राथवा |
| 2. डांगुस जिले में—
कुम्ही। | 18. वारली |
| 3. सूरत जिले में—
(क) अम्बरगंव तालुका में कौली मलहार, कोली महादेव या डोंगर कोली ;
(ख) अन्य तालुकों में चौधरी। | 19. विठोलिया कोटवालिया या बरोड़िया। |

4. राजकोट डिवीजन में सिद्धो।

5. अलेज्ज, गीर और बराद के जंगलों में के नासेर क्षेत्र में—

- | | |
|-----------|----------|
| 1. भरवाड़ | 3. रबरी। |
| 2. चारण | |

6. सुरेन्द्र नगर जिले में—

1. पाघर।

7. कच्छ जिले में—

- | | |
|------------|-----------|
| 1. भील | 4. पारधी |
| 2. ढोड़िया | 5. बाघरी। |
| 3. कोली | |

भाग 5—केरल

1. समस्त राज्य में—

1. काडर्
2. इरुतर् या इरुसलन्
3. मुतुवान्, मुदुगर या मुदुवन्।

2. मालाबार जिले के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. अरावालन् | 9. मलयन् |
| 2. हिल पुलया | 10. मलयरयर् |
| 3. कणिकारन् या काणिककर् | 11. मनान् |
| 4. कोच्चूत्रेलन् | 12. पल्लेयान |
| 5. मलक्कुर्खन् | 13. पल्लियार |
| 6. मलयअर्य | 14. उल्लाडन (पहाड़ी) |
| 7. मलयपंडारम् | 15. उरालि |
| 8. मल वेडन् | 16. विषवन्। |

3. मालाबार जिले में—

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. आडियान् | 10. कुरचिचान् |
| 2. अरांडन | 11. कुरुमन् |
| 3. कमारा | 12. महामालासार |
| 4. काटटुनायकन् | 13. मालासार |
| 5. कोनडा कापूस | 14. मालायीकन्डी |
| 6. कोण्डरेड्डि | 15. पल्लियान |
| 7. कोरग | 16. पाणियन् |
| 8. कोटा | 17. कुलयन् |
| 9. कुडीया या मेलाकूडी | |

4. (कासरगोड तालुक को छोड़कर) मालाबार जिले में—

कुरुम्बा।

5. मालाबार जिले के कासरगोड तालुक में—

माराटि।

भाग 6—मध्य प्रदेश

1. भिड, गिर्द, मुरेना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रत्नाम, मंदसौर (सिरोंज सब-डिवीजन को छोड़कर) भेलसा, इन्दौर, देवास, धार, झावुआ और निमाड (म० भा०) के जिलों में—

1. गोंड

3. सेहरिया।

2. कोर्कू

2. धार और झावुआ के राजस्व जिलों में, निमाड के राजस्व जिले में सेंधवा, बड़बानी, राजपुर खरगोन, भीकन गांव और महेश्वर की तहसीलों में और तरलाम राजस्व जिले की सहलाना तहसील में—

10. बरेला, पटेलिया और अन्य उप जनजातियों के सहित भील और भिलाता।

3. (1) बस्तर, छिदवाड़ा, सिवनी, मांडला, रायगढ़ और सरेगुजा जिलों में,
(2) बालाघाट जिले की बहर तहसील में, (3) बैतूल जिले की बैतूल और भेंसदेही

तहसीलों में, (4) विसालपुर जिले की विलासपुर और कटघरा तहसीलों में, (5) दुर्ग जिले की दुर्ग और संगरी तहसीलों में, (6) जबलपुर जिले की मुडवारा, पाटन और सिहोरा तहसीलों में, (7) होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों और नरसिंहपुर जिले में, (8) नियाड़ जिले की हरसूद तहसील में, (9) रायपुर जिले की विद्रानवगङ्ग, धमतरी और महासमुन्द तहसीलों में—

1. श्रांघ	ज्ञालिया
2. बैगा	डोरला
3. भैना	गायकी
4. भारिआ-भूमिआया	गट्टा या गट्टी
भूईआर भूमियां पांडो सहित	जैटा
5. भतरा	गौड़ गोवारी
6. भील	हिल मारिया
7. भंजिया	कंडरा
8. विज्ञवार	कलंगा
9. विरहुल या विरहोड़	खटोला
10. तनवार	कोइतर
11. गढ़ाबा या गढ़वा	कोया
12. गौंड इनके अन्तर्गत ये भी हैं	खिरवार या खिरवारा कुचा मारिया कुचाकी मारिया माडिया (मारिया)
अरख या आँख	माना
अमरिया	मन्नेवार
असुर	मौध्या या मोगिया या मौध्या
बड़ी मारिया या बड़ा मारिया	मुडिया (मुरिया)
भटोला	नगरची
भीमा	नगवेशी
भूता, कोइला भूता या कोइला भूती	ओ
भार	राज
बिसों नहार्न मारिया	सोन्कारी झरेका
छोटा मारिया	थाटिया या थोटया
दंडामी मारिया	वाडेमाडिया या व्हाडेमाडिया
धुळ या धूरवा	
धोबा	
13. हलवा या हलवी	23. मज्जवार
14. कमार	24. मुंडा
15. कवर, कंमर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर या चत्ती	25. नगेसिया या नगासिया
16. खिरवार	26. निहाल
17. खड़िया	27. धनिका और धनगद के सहित उरांव
18. कोंध या खोंड या कांध	28. परधान, पथारी और सरौती
19. कोल	29. बहेलिया या बहेलिया, चिता, पारधी, लंगौली पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकर और टाकिया सहित पारधी
20. कोलम	30. परजा
21. बोपंची मौग्रासी, निहाल या नहुल और बौंधी या बौंडिया समेत कोरकू	31. साओता या सोंता।
22. कोडाकू समेत कोरवा	32. संमर या संवरा।

4. दत्तिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और शहडोल जिलों में—

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. अगरिया | 10. भद्रासी |
| 2. बैगा | 11. नट |
| 3. भील | 12. नट, नावदीगर, सपेरा और कूबूतर |
| 4. बिआर या बीआर | 12. पनिका |
| 5. भारिया और पालिहा सहित भूमिया | 13. पाव |
| 6. पथारी सहित गौड़ | 14. सहरिया |
| 7. कोदर सहित खिरवार | 15. सौर |
| 8. कोल (दहेत) | 16. सौर |
| 9. माझी | |

5. रायसेन और सीहोर जिलों में—

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. भील | 6. कोल |
| 2. भिलाला | 7. मोगिया |
| 3. गौड़ या डारोई | 8. पारधी |
| 4. कारकू | 9. सहरिया, सोसिथा या सोर। |
| 5. कीर | |

6. भेलसा जिले के सिरोंज सब-डिवीजन में—

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. भील | 4. गरासिया (राजपूत गरासिया को छोड़कर) |
| 2. भील मीना | 5. मीना |
| 3. दमोर, दमारिया | 6. सहरिया, सहरिया। |

भाग 7—तमिल नाडु

1. समस्त राज्य में—

- | | |
|---------|-----------|
| 1. काडर | 2. इरुलर। |
|---------|-----------|

2. कन्या कुमारी जिले और तिरुनेलवेलि जिले के कोटा ताल्लुका के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. अडियन | 11. कुरुमान्त्र |
| 2. अरनाडन | 12. महामल्लेसर |
| 3. कम्मारा | 13. मल्लेसर |
| 4. काटटुनायककन | 14. मलयेकंडी |
| 5. कोन्डा कूपस | 15. मुडूर या मुडूवन |
| 6. कोन्डा रेड्डी | 16. पलियन |
| 7. कोरागा | 17. पनियन |
| 8. कोटा | 18. पुलयन |
| 9. कुडिया या मेलाकुंडी | 19. शोलागा |
| 10. कुरिच्छन | 20. ठोडा। |

3. उत्तर आरकोट, सेलम और तिरुचिरापल्ली जिलों में—
मल्याली ।
4. कोथम्बतूर जिले और तिरुनेलवेलि जिले में (शेंकोटा तालुक के सिवाय) —
कनियन या कन्यन ।
5. नीलगिरि जिले में—
कुरुम्बास ।
6. कन्या कुमारी जिले और निरुनेलवेलि जिले के शेंकोटा तालुक में—
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. एरवल्लन | 10. मलयरायर |
| 2. हिल पुल्या | 11. मन्नन |
| 3. कनिकरण या कनिककर | 12. मदुवन |
| 4. कोचुवेलन | 13. पत्त्वयन |
| 5. मलक्कुरवन | 14. पत्त्वयर |
| 6. मलै अरैयन | 15. उल्लडन (पहाड़ी निवासी) |
| 7. मलै पंडाराम | 16. उरली |
| 8. मलै वैडन | 17. विशवन । |
| 9. मलयन | |

भाग 7क—सहाराएँ

1. बुलढाना, आकोला, अमरावती, यवतमाल, बर्धा, नागरपुर, भंडारा, चान्दा,
श्रीरंगाबाद, परभानी, नान्देह, भौर, उसमानाबाद और राजोरा जिलों को छोड़कर
समस्त राज्य में—

- | | |
|--|---|
| 1. बड़ा | 10. ढोर काथोडी या ढोर कात- |
| 2. बावचा या वामचा | करी और सोन काथोडीं या |
| 3. भील जिनके अन्तर्गत भील
गरासिया, धोली भील, डुंगरी
भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी
भील रावल, तडवी भील,
भगालिया, भिलाला, पावरा
बसावा और बसावे आते हैं । | सोन कातकरी सहित काथोडीं
या कातकरी |
| 4. चौधरा | 11. कोंकणा, कोकणी, कुकणा |
| 5. तडवी, तेतारिया और बलवी | 12. कोली ढोर, टोकरे कोली,
कोतचा या कोलघा |
| 6. धोड़िका | 13. चोली वाला नायका, कडिया
नायका, मोटा नायका और
ताना नायका सहित नायकडा
या नायक |
| 7. तालाविया या हलपति सहित
दुबला | 14. अडवी चिचेर और फांसे
पारधीं सहित पारधी |
| 8. मावचीं, पाडवीं, बसावा,
बसावे और बलवीं सहित
गामिट या गामटा या गावीट | 15. पटेलिया |
| 9. गोंड राजगोंड | 16. पोमला |
| 2. थाना जिले में—
कोली मलहार । | 17. राथवा |
| | 18. बारलीं |
| | 19. बिठोलिया, कोतवलीया या
वरोजिया । |

3. (क) अहमदनगर जिले के—
अकोला, राहुरी और संगमनेर
तालुकाओं में
- (ख) कोलाबा जिले के—
करजात, खालपुर, अजीवाग,
महाड़ और सुधागढ़ तालुकाओं में
- (ग) नासिक जिले में—
नासिक, निफड़, सिन्नर, चांदोर,
बगलान, इगतपुरी, दिनडोरी और
कलवण तालुकाओं में और सुरगाना
और पेट महालों में
- (घ) पुणे जिले में—
ग्रम्बेगांव, जुन्नर, खेड़, मावल
और मुलशी तालुकाओं और वेल्हे
महाल में
- (ङ) थाना जिले के—
थाना, मूरबाद, भिवंडी, बसै,
वाडा, शाहपुर, डहानू, पालवर,
जवाहर और मौखादा तालुकाओं
में।
4. (क) अहमदनगर जिले के—
अकोला, राहुरी और संगमनेर
तालुकाओं में
- (ख) कोलाबा जिले के—
कर्जट, खलपुर, पेन, पनवेल और
सुधागढ़ तालुकाओं और माथेरान
में
- (ग) नासिक जिले के—
इगतपुरी, नासिक और सिन्नोर
तालुकाओं में
- (घ) पुणे जिले के—
ग्रम्बेगांव, जुन्नर, खेड़, मवाल
तालुकाओं में
- (ङ) थाना जिले के—
थाना, कल्यान, मूरबाद, भिवंडी,
बसै, वाडा, शाहपुर, पालवर,
जवाहर और मौखादा तालुकाओं
में।
5. (1) अमरावती जिले की मेलघाट तहसील में,
(2) चांदा जिले की गढ़चिरोली और सिरोचा तहसीलों में, तथा
(3) यवतमाल जिले की केलापुर, वानी और यवतमाल तहसीलों में—
- | | |
|---|-------------|
| 1. आंधेरा | 5. भतरा |
| 2. बैगा | 6. भील |
| 3. भैना | 7. भूजिया |
| 4. भारिआ- भूमिया या भुईहार-
भूमिया, पन्डो सहित | 8. विघ्नवार |

9. विरहुल या विरहोड	मोयमा या मोगिया या
10. धनवार	मोघया
11. गढावा या गढवा	मुडिया (मूरिया)
12. गोंड जिनके अन्तर्गत हैं— श्रख या श्राख अगरिया	नगारची नागवंशी ओझा राज
असुर	सोङ्झारी झरेका
बड़ी मारिया या बड़ा मारिया	थाटिया या थोट्या
भटोला	वाडे मारिया या बडे मारिया
भीम्मा	13. हलबा या हलबी
भूता, कोइला भूत या कोइला	14. कमार
भुती	15. कवर या कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तनवर या चक्की
भर	16. खैरवार
विसोनहार्न मारिया	17. खडिया
छोटा मारिया	18. कोंध या खोंड या कांध
दण्डामीमारिया	19. कोल
धुर या धुश्चा	20. कोलम
धोवा	21. बोची, मौसी, निहाल या नहुल और बौंधी या बौंडया सहित कोरकू
हुलिया	22. कोडाकू सहित कारवा
डोरला	23. मन्नवार
गायकी	24. मुँडा
गट्टा या गट्टी	25. नगेस्तिया या नगासिया
गैटा	26. निहाल
गोंड गोवारी	27. धनका और धनगड सहित उरांव
हिल मारिया	28. परधान, पथारी और सरोती
कण्डरा	29. बहेलिया या बहेलिया, चित- पारधी, लंगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकर और टाकिया सहित पारधी
कलंगा	30. परजा
खटोला	31. साओंता या सौंता
कोइतर	32. सवर या सवरा।
कोया	
खिरवार या खिरवारा	
कूचामारिया	
कुचाकी मारिया	
माडिया (मारिया)	
माना	
मन्नेवार	

6. औरंगाबाद, परभानी, नान्देड, राजोरा, भीर और उस्मानाबाद जिलों में—

- | | |
|--|--|
| 1. आंध | 5. कोया (भिने कोया और राज-
कोया सहित) |
| 2. भील | 6. परधान |
| 3. गोंड (नायकगोंड और राजगोंड
के सहित) | 7. थीटी। |
| 4. कोलम (मन्नेर वारलू सहित) | |

भाग 8—कर्नाटक

1. कुर्ग, बैलगांव, बीजापुर, धारवाड, कनारा, दक्षिण कनारा, गुलबर्गा, रायचूर और बीदर जिलों और मैसूर जिले के कोलेगल तालुक को छोड़कर समस्त राज्य में—

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. गौडलु | 6. काडु कुरबा |
| 2. हविकपिंडिक | 7. मलइकुडी |
| 3. हसलाल | 8. मालैल |
| 4. इरुलिंगा | 9. सीलीगारु |
| 5. जेनु कुरवा | |

2. बेलगांव, बीजापुर, धारवाड और कनारा जिलों में—

- | | |
|--|---|
| 1. बड़ा | 10. ढोर, काथोडि या ढोर काटकारी, और सोन काथोडि या सोन काटकरी के सहित काथोडि काटकरी |
| 2. बवचा या बमचा | 11. कोकना, कौकनी, कुकना |
| 3. भील जिनके अन्तर्गत भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, गरासिया, मेवासी, डुंगरी भील, रावल भील, तड़वी भीला, भगालिया, भिलाला, पवरा, वासव और वसावे आते हैं | 12. कोली ढोर, ठाकरे कोली, कोलचा या कोलधा |
| 4. चोधरा | 13. चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक के सहित नायकडा या नायक |
| 5. तड़वी, तेवीरिया, वलवि के सहित धानका | 14. अडविचिचेर और पनसे पार्धी के सहित पार्धी |
| 6. धोडिया | 15. पटेलिया |
| 7. तालविया या हलपति के सहित दुबला | 16. पोमला |
| 8. मावचि, पडवि, वासव, वासवे और वलवि के सहित गामिट या गमटा या गाविट | 17. राथवा |
| 9. गोंड या राजगोंड | 18. वरली |
| 3. गुलबर्गा, बीदर और रायचूर जिले में— | 19. विटोलिया, कोतवालिया या वारोडिया। |

3. गुलबर्गा, बीदर और रायचूर जिले में—

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. भील | 4. कोया (भिने कोया और राजकोया के सहित) |
| 2. चचु या चेंच वार | 5. थोटी। |
| 3. गोंड (नायकपोड और राजगोंड के सहित) | |

4. दक्षिण कनारा जिले और मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में—

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. श्रादियान | 9. कोरग |
| 2. श्रंदन | 10. कोटा |
| 3. इरुलर | 11. कुडिया या मैलकुडी |
| 4. कादर | 12. कुरिच्छन |
| 5. कम्मार | 13. कुरुमानस |
| 6. कत्तुनायकन् | 14. महामालसार] |
| 7. कोंडा कापूस | 15. मालसार |
| 8. कोंडारेडी | 16. मालयेकाडि। |

- | | |
|--|--------------|
| 17. मुदुगार या मुदुवन् | 20. पुलियान् |
| 18. प्रलियान् | 21. शोलंगा |
| 19. पनियान् | 22. तोडा |
| 5. मैसूर जिले के कोलीगल तालुक में—
कनियान् या कन्यान् । | |
| 6. दक्षिण कनारा जिले में—
मराटि । | |
| 7. कुर्ग जिले में— | |
| 1. कोरमा | 4. मराठा |
| 2. कुडिया | 5. मेडा |
| 3. कुरुब | 6. एरवा । |

भाग 9—उडीसा

समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. बागडा | 31. नांगली कन्ध या शीथा कन्ध
सहित खोड़, कोड या कन्धा |
| 2. बैंगा | 32. किसान |
| 3. वणजारा या वणजरी | 33. कोल |
| 4. बाथुडी | 34. कोल्हा-कोल-लोहार |
| 5. भौत्तडा या घोत्तडा | 35. कोल्हा |
| 6. भुइया या भूयां | 36. मल्हार सहित कोली |
| 7. भूमिआ | 37. कोन्डादोरा |
| 8. भूमिज | 38. कोरा |
| 9. भूजीआ | 39. कोरुआ |
| 10. बिजाल | 40. कुटीआ |
| 11. विजिया या विजोआ | 41. कोया |
| 12. ब्रीरहोर | 42. कुली |
| 13. बोंडोपोर्जा | 43. लोधा |
| 14. चेन्चू | 44. मादिआ |
| 15. दाल | 45. माहालि |
| 16. देसुआ भूमिज | 46. मांकिडी |
| 17. धारुआ | 47. मांकिरडिआ |
| 18. दिदथी | 48. माटिआ |
| 19. गादबा | 49. मिर्धा |
| 20. गांडिया | 50. मुडा, मुडालौहरा या मुंडा-
महाली |
| 21. घारा | 51. मुंडारी |
| 22. गोंड, गोंडो | 52. औमनात्या |
| 23. हो | 53. ओरांवू |
| 24. होलवा | 54. पेरेंगा |
| 25. जातपु | 55. परोजा |
| 26. जुग्रांग | 56. पेटिआ |
| 27. कंध गौड | 57. राजुआर |
| 28. कावार | 58. सांताल |
| 29. खडीआ या खडीयां | |
| 30. खरवार | |

59. सर्वोंरा, सवर, सौरा या सहरा
60. शबर या लोधा
61. साउन्ही
62. थारुआ।

भाग 11—राजस्थान

1. अजमेर जिले, सिरोही जिले के आबू रोड तालुका और झालावाड़ जिले के सुनेल टप्पा के सिवाय समस्त राज्य में—

1. भील
2. भील मीना
3. डामोर, डामसिया
4. गरासिया (राजधूत गरासिया को छोड़कर)
5. मीणा
6. सेरिया, सहेरिया।

2. अजमेर जिलों में—

1. भील
2. भील मीना।
3. सिरोही जिले के आबू रोड तालुका में—
1. वडा
2. बावचा या बामचा
3. भील जिनके अन्तर्गत भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिय, भिलाला पावरा, वसावा और वसावे आते हैं
4. चोथरा
5. तडवी, तेतारिया और बलवी सहित धाणका
6. धोड़िया
7. तलाविया या हलपती सहित दुबला
8. मावची, पाडवी, वसावा, वसावे और बलवी सहित गामीत या गामाटा या गावीत
9. गोड़ या राजगोड़
10. ढोर काथोड़ी या ढोर कातकरी और सोन काथोड़ी या सोन कातकारी के सहित काथोड़ी या कातकरी
11. कोकना, कोकनी, कुकना
12. कोलीं ढोर, टोकरे कोली, कोलचा या कोलधा
13. चोलिवाला नायका, कपाड़िया नायका, मोटा नायका, और नामा नायका सहित नायकडा या नायका
14. शडवीचिंचवेर और फांसे पारधी सहित पारधी
15. पटेलिया
16. पोमला
17. राठवा
18. वारली
19. बीठोलिया, कोठोवालिया या वारोडिया।

4. झालावाड़ा जिले के सुनेल टप्पा में—

1. गोड़
2. कोर्कू
3. सेहरिया

भाग 12—पश्चिमी बंगाल

1. समस्त राज्य में—

1. हौ
2. कोड़ा
3. लोधा, खेड़िया या खाड़िया
4. माल पहाड़िया
5. मुंडा
6. ओरांब
7. संथाल

2. बिहार के पूर्णिया जिले से अन्तरित राज्यक्षेत्रों के सिवाय समस्त राज्य में—
भूमिज ।

3. बिहार के पूर्णिया जिले से अन्तरित राज्यक्षेत्रों और पुरुलिया जिले के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|---|--------------|
| 1. शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते,
तिब्बती और योलमो के
सहित भूटिया | 6. मध्य |
| 2. चाकमा | 7. माहली |
| 3. गारो | 8. मेच |
| 4. हाजंग | 9. मूँ |
| 5. लैपचा | 10. नागेसिया |
| | 11. राखा । |

4. बिहार के पूर्णिया जिले से अन्तरित राज्यक्षेत्रों और पुरुलिया जिले में—

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. असुर | 12. गोड़त |
| 2. बैगा | 13. करमाली |
| 3. बंजारा | 14. खाड़वार |
| 4. बथूड़ी | 15. खोड़ |
| 5. बेदिया | 16. किसान |
| 6. बिजिया | 17. कोरवा |
| 7. बीरहड़ | 18. लोहारा या लोहरा |
| 8. बिजिया | 19. माहली |
| 9. चेरो | 20. पाढ़ीया |
| 10. चिक बारैक | 21. सौरिया पहाड़िया |
| 11. गौड़ | 22. सावर । |

भाग 13—हिमाचल प्रदेश

1. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (1) में
विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के सिवाय समस्त राज्य में—

1. गढ़ी
2. गुज्जर
3. जाद, लाम्बा, खम्पा और भोट या बोढ़
4. कनौरा या किन्नारा
5. लाहौल
6. पंगवाला ।

2. लाहौल और स्पीती जिले में—

1. गढ़ी
2. स्वांगला
3. भोट या बोढ़

भाग 14—झणपुर

समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------|----------|
| 1. आयमोल | 5. चोथे |
| 2. एनांल | 6. गंगते |
| 3. अंगामी | 7. हमार |
| 4. चिरु | 8. काबुई |

9.	कच्चा नागा	19.	मायोन
10.	खोईराओ	20.	पाइटे
11.	कोएरंग	21.	पुरुम्
12.	कोम	22.	राल्टे
13.	लैमगैग	23.	सेमा
14.	कोई मिजो (लुसाई) जन जातियां	24.	सिस्टे
15.	मराम्	25.	सूहटे
16.	मैरिंग	26.	तेंगखुल
17.	माओ	27.	थाडो
18.	भोन्सैग	28.	व्हाइफै
		29.	जाओ

भाग 15—मेघालय

समस्त राज्य में—

- | | | | |
|----|----------------|----|--|
| 1. | चाककमा | 5. | हमार |
| 2. | डिमासा (कछारी) | 6. | खासी और जैन्तिया (खासी
सित्तेंग या प्नार, बार, भोई
या लिंगाम सहित) |
| 3. | गारो | | |
| 4. | हाजंग् | | |

7. कोई कुकी जन जातियां जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

- | | | | |
|---------|----------------------|----------|--------------------------------|
| (i) | वियाते या बियेते | (xxiii) | ल्हाजम |
| (ii) | चंगसान | (xxiv) | ल्होबुन |
| (iii) | चंगलोई | (xxv) | लुफंग |
| (iv) | दोगेल | (xxvi) | माजेल |
| (v) | गमल्हौ | (xxvii) | मिसाऊ |
| (vi) | गंगते | (xxviii) | रियांग |
| (vii) | गुइते | (xxix) | सेरहैम |
| (viii) | हैन्नंग | (xxx) | सेलनाम् |
| (ix) | हौकिप या हैपित | (xxxi) | सिग्सन |
| (x) | हौलाई | (xxxii) | सितलहौ |
| (xi) | हेंगना | (xxxiii) | सुक्ते |
| (xii) | हैनसुंध | (xxxiv) | थादो |
| (xiii) | ह्लाख्योवाल या रंखोल | (xxxv) | थांग्नू |
| (xiv) | जंबे | (xxxvi) | उइबू |
| (xv) | ख्वोचंग | (xxxvii) | व्हाइफै |
| (xvi) | ख्वैलंग या खोतालंग | 8. | लाखेर |
| (xvii) | खेलभा | 9. | मान (ताई बोलने वाली) |
| (xviii) | खोल्हु | 10. | कोई मीजो (लुसाई) जन
जातियां |
| (xix) | किपगेत | 11. | मिकिर |
| (xx) | कूकी | 12. | कोई नागा जन जातियां |
| (xxi) | लेथांग | 13. | पावी |
| (xxii) | ल्हांगम | 14. | सितेंग |

भाग 16—त्रिपुरा

समस्त राज्य में :—

1. लुसाई	(xv) रंगचन
2. माम	(Xvi) रखोल
3. कूकी जिनके अन्तर्गत निम्न- लिखित उप-जनजातियाँ भी हैं :—	(Xvii) थंगलुइया
(i) बाल्टे	4. चाकमा
(ii) बेललहुत	5. गारु
(iii) छाल्य	6. चैमाल
(iv) कुन	7. हलाम
(v) हेजांग	8. खासिया
(vi) जंगतेई	9. भुटिया
(vii) खरेंग	10. मुन्ज, कौड़ सहित
(viii) खेफोग	11. ओरांग
(ix) कुन्तेई	12. लेप्चा
(x) लाइकंग	13. सन्थाल
(xi) लेनतेई	14. भील
(xii) मिजेल	15. त्रिपुरा यात्रिपुरी, टिप्पेरा
(xiii) नमते	16. जमातिया
(xiv) पाहतु, पाइते	17. नोआटिया
	18. रियांग
	19. उचाई

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियाँ

आदेश, 1959 से उद्धरण

सं० आ० 58

* * * *

2. वे जन जातियाँ या जन जाति समुदाय, या जन जातियों या जन जाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथजो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं अण्डमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्यधेन के सम्बन्ध में संविधान के प्रयोजनों के लिए वहाँ तक जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है जो उन परिषेकों में निवासी हैं जो उस अनुसूची में उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जन जातियाँ समझे जाएंगे।

अनुसूची

1. अण्डमान द्वीपों में—

- (1) अण्डमान निवासी जिनके अन्तर्गत चारियर या चारी, कोरा टाबो या बो, घेरे, केंडे, बीय, वालाबा बोजी-भियाब, जवाई और कोव आते हैं।
- (2) जरावा।
- (3) ग्रोंगे।
- (4) सेटीनेली।

2. निकोबार द्वीपों में—

- (1) निकोबार निवासी।
- (2) शोम पेन।

(लोक समा द्वारा २ सितम्बर, १९७६ को पारित रूप में)

संसद
१९७६

(प्रकाश चन्द्र)
महाराष्ट्र प्राविधिक
जनजाति विधायी बायोग
विधि और व्याप मंत्रालय
नई विधानी

१९७६ का विधेयक सं० ५९-सी

[शेड्यूल कास्ट्स एण्ड शेड्यूल ट्राइब्स आंड़स (अमेंडमेंट) बिल, १९७६ का
हिन्दी अनुवाद]

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, १९७६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों
और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने
के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के
कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का
पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक
ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित
विषयों के लिए उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित संक्षिप्त नाम
जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ है। और प्रारम्भ।

२. (२) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधि-
सूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जनगणना प्राधिकारी" से भारत का महाराजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचित आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 1972 अभिप्रेत है;

(घ) "परिसीमन आयोग" से परिसीमन अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "अन्तिम जनगणना" से भारत में 1971 में की गई जनगणना अभिप्रेत है;

(ङ०) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है;

(ङ१) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अभिप्रेत हैं;

(ङ२) "राज्य" से ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो अनुसूचित जातियां आदेश और अनुसूचित जनजातियां आदेशों में सम्मिलित है और इसके अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यकर्त्र भी है।

अनुसूचित जातियां
आदेश का
संशोधन।

3. अनुसूचित जातियां आदेश, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किया जाता है।

अनुसूचित जन-
जातियां आदेशों
का संशोधन।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किए जाते हैं।

अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित
जनजातियों की
जनसंख्या का

5. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जैसी कि वह अन्तिम जनगणना के समय थी, जनगणना प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित या प्राक्कलित की जाएगी।

प्रबन्धारण।

(2) जहां धारा 3 या धारा 4 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण,—

(क) किसी राज्य में किसी परिक्षेत्र में, जो उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आदेशों की अनुसूचियों के भागों में से किसी भाग में किसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में है, इसलिये परिवर्तन किया जाता है ताकि ऐसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में बड़ा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में और किसी पूर्वतन जनगणना में जिसमें वर्धित क्षेत्र के संबंध में उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभिनिश्चित किए गए थे, यथा अभिनिश्चित उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा और वह ऐसे आंकड़ों में उस अनुपात में वृद्धि या कमी करके जिसमें उस राज्य की या, यथास्थिति, खंड,

जिले, तालुक, तहसील, पुलिस थाने, विकास खंड या अन्य प्रादेशिक खण्ड की साधारण जनसंख्या में जिसके संबंध में ऐसी जाति या जनजाति उक्त संशोधनों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, पूर्वोक्त पूर्वतन जनगणना और अन्तिम जनगणना के बीच वृद्धि या कमी हुई है, उस जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करेगा;

(ख) किसी जाति या जनजाति में, जो किसी राज्य या उसके भाग के संबंध में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों सम्बद्धी गई है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है ताकि ऐसी जाति या जनजाति को ही उस राज्य या उसके भाग के संबंध में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आकड़े हिसाब में लेगा :

परन्तु जनगणना प्राधिकारी के लिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें उस जाति या जनजाति की जनसंख्या अन्तिम जनगणना में और पूर्वतन जनगणनाओं में से किसी जनगणना में अभिनिश्चित नहीं की गई थी और उस प्राधिकारी की राय में संख्या में कम है।

स्पष्टीकरण—जहां खंड (क) में निर्दिष्ट किसी वर्धित क्षेत्र के संबंध में किसी जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े एक से अधिक पूर्वतन जनगणनाओं में अभिनिश्चित किए गए थे वहां जनगणना प्रधिकारी, उस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्वतन जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी जाति या जनजाति की ऐसी 25 जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा जो समय की दृष्टि से अन्तिम जनगणना के आस-पास हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्रधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

(4) इस प्रकार अधिसूचित जनसंख्या के आंकड़े अन्तिम जनगणना के समय
 30 यथा अभिनिश्चित सुरंगत जनसंख्या के आंकड़े माने जाएंगे और पूर्व प्रकाशित आंकड़े
 को अतिथित करेंगे; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अन्तिम होंगे और किसी
 न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

का आतंकित करना, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

6(1) धारा 5 के अधीन किसी राज्य के संबंध में जनसंख्या के आकड़ों के भवित्व सूचित किए जाने के पश्चात् आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के, परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के और इस अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में, (ऐसे आदेश में दिए गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन किए बिना), ऐसे संशोधन जो आवश्यक हों, उस राज्य की, पथास्थिति, अनुमूलिक जातियों को या अनुसूचित जनजातियों को उस आदेश में जिसका आयोग द्वारा इसके अधीन संशोधन किया जाए, यथा विनिर्दिष्ट आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार पर समूचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिए, करे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के बारे में यह समझा जाएगा कि तदनुसार उनका संशोधन किया गया है।

निर्वाचन आयोग
द्वारा निर्वाचन-
क्षेत्रों का पुनः
समायोजन ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन करने में, आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के उपबन्धों को ध्यान में रखेगा।

(3) आयोग—

(क) संशोधनों के लिए अपनी प्रस्थानान्तरों को भारत के राजपत्र में, और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा;

5

(ख) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिस को या जिसके पश्चात् वह उन प्रस्थानान्तरों पर आगे विचार करेगा;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार 10 विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो गए हैं; और

(घ) तत्पश्चात् आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा।

आयोग की प्रक्रिया
और शक्तियां।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने गृह्यों के निर्वहन में, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे निम्नलिखित विषयों की वाग्त धाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्—

15 1908 का

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना;

(ख) किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा करना; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना।

20

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और विषयों के बारे में कोई जानकारी जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है, देने की अपेक्षा करने की शक्ति होंगी।

(3) आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1974 का 2

25

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी।

संशोधनों का
प्रकाशन और
उनके प्रवर्तन की
तारीख।

8. (1) आयोग संसद और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में अपने द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा।

30

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, प्रत्येक ऐसे संशोधन को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथाशील, ऐसा प्रत्येक संशोधन लोक सभा और सम्बद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा।

- (4) उपधारा (5) के उपवन्धों के अधीन रहते हुए, लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में किन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसा पुनः समायोजन, जो संसद और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में आयोग द्वारा किए गए किन्हीं संशोधनों के कारण अवश्यक हो गया है और इस प्रकार संशोधित ऐसे अदेश में उपवन्धित है, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के ऐसे प्रत्येक निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होगा जो ऐसे संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्तर्विष्ट प्रतिनिधित्व सम्बन्धी उपवन्धों को अतिथित करते हुए इस प्रकार 10 लागू होगा।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं की कोई भी वात लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में उस प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा, किए गए संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में है।

15 9. (1) आयोग, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर,—

निर्वाचन आयोग की कठिपय अन्य शक्तियां।

(क) परिसीमन इस अधिनियम के अधीन यथा संशोधित संसद और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या किसी ऐसी गलती को जो अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई हो, ठीक कर सकता है; और

20 (ब) जहां उक्त आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं में या नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहां उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए ऐसे संशोधन कर सकता है जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

25 (2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, लोक सभा और सम्बद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

30 10. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अवधारण के लिए जनगणना प्राधिकारी द्वारा, या वातें और कार्यवाहियां, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपवन्धों के अनुरूप हैं, इन उपवन्धों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएंगी मानो ऐसे उपवन्ध, ऐसी वातें या कार्यवाही किए जाने के समय प्रवृत्त ये।

अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए काव्यों का विधिमान्य-करण।

प्रथम अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,—

(क) पैरा 2 में, "17" अंकों के स्थान पर, "19" अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

40 "4. इस आदेश में किसी राज्य अयवा उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथागठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है।"

(ग) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

“अनुसूची”

भाग 1—आःघ्र प्रदेश

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. आदि आन्ध्र | 31. मदासि कुरुव, मादरि कुरुव |
| 2. आदि द्रविड़ | 32. मादिग |
| 3. अनामुक | 33. मादिण दासु, मष्टीन |
| 4. आरे माला | 34. महार |
| 5. अरुन्दतिय | 35. माल |
| 6. अर्व माल | 36. माल दासरि |
| 7. बास्की | 37. माल दासु |
| 8. बावुरी | 38. माल हन्ने |
| 9. बेड़ जगम, बुड़ग जंगम | 39. माल जंगम |
| 10. बिड़ल | 40. मालमस्ति |
| 11. बैगारा | 41. माल साले, नेतकानि |
| 12. चच्चि | 42. माल सन्यासी |
| 13. चलवादि | 43. मांग |
| 14. चमार, मोची, मुची | 44. मांग गारोडी |
| 15. चम्भार | 45. मन्ने |
| 16. चांडाल | 46. मस्ति |
| 17. डक्फल, डोक्फलवार | 47. मातंगि |
| 18. दण्डासि | 48. मेहतर |
| 19. ढोर | 49. मिताश्रयल्वार |
| 20. डोम, डोम्बार, पैडी, पानो | 50. मुण्डल |
| 21. एलनमल्वार, येलनमालवाण्डलु | 51. पाकी, मोती, थोटि |
| 22. घासी, हड्डी, रेलिल चच्चिंडि | 52. पम्बड, पम्बण्ड |
| 23. गोडगिल्ती. | 53. पमिडी |
| 24. गोडारी | 54. पंचम, परथ्य |
| 25. गोसांगी | 55. लेलि |
| 26. होलेय | 56. सामगार |
| 27. द्वोलेय दासरि | 57. सम्बन |
| 28. जग्गलि | 58. सपु |
| 29. जम्बुवुलु | 59. सिन्ध्योल्लु चिन्दोल्लु |
| 30. कोलुपुलवाण्डलु | |

भाग 2—आसाम

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. बांस फोर | 9. कैबर्ट, जालिया |
| 2. भुईमाली, माली | 10. लालबेगी |
| 3. वृत्तियाल बनिया, बनिपा | 11. माहर |
| 4. धुपी, धोबी | 12. मेहतर, भंगी |
| 5. डुगला ढोजी | 13. मुची, कृषि |
| 6. हीर | 14. नामशूद्र |
| 7. जलकेवट | 15. पटनी |
| 8. झालो, मालो, झालो—मालो | 16. सुवधार |

भाग 3—बिहार

1. बांतर
2. वाउरी
3. भोगता
4. भुईया
5. भूमिज (उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर खण्डों तथा संधाल परगना जिले को छोड़कर)
10. चमार, मोची
7. चौपाल
8. दबगर
9. धोबी
10. डोम, धनगड़

15

1. अगेर
2. बांड़, बण्ट
3. वावा-डेढ़, डेढ़-साधु
4. भास्मी, भास्मी, असादरु, असोदी, चमाड़िया, चमार, चाम्भार, चामगार, हरलया, हरली खालपा, मचिणार, मोचीगार, मादर, मादिंग, मोची, नालिया, तेलगु मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार
25. 5. भंगी, मेहतर, ओलगना रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, वाल्मीकि, कोरार, झाडमल्ली
6. चलवादि, चब्बय
7. चेन्ना दासर, होलेयदासर
8. डंगशिया
9. ढोर, कक्कया, कंकया
35. 10. गरमातंग
11. गरोडा, गरो

11. दुसाध, धारी, धरही
12. धासी
13. हलालखोर
14. हरी, मेहतर, भंगी
15. कंजर
16. कुरारियार
17. लालबेगी
18. मुसहर
19. नट
20. पान, सवासी
21. पासी
22. रजवार
23. तूरी

भाग 4—गुजरात

12. हल्लीर
13. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार
14. होलार, वल्हार
15. होलेय, होलेर
16. लिंगाडेर
17. महार, तराल, धेगु मेगु
18. महायावंशी, धेड़, धेड़, वणकर, मारु वणकर, अन्त्यज
19. मांग, मातंग मिनिमादिंग
20. मांग-गारुडी
21. मेघवल, मेघवाल, मेधवार
22. मुक्री
23. नाडिया, हाडी
24. पासी
25. सेनवा, शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत
26. शिमलिया
27. थोरी
28. तीरगार, तीरवन्द
29. तुरी
30. तुरी, बरोत, डेढ़ बरोत

भाग 5—हरियाणा

1. आदधर्मी
2. बाल्मीकि चूड़ा, भंगी
40. 3. बंगाली
4. बराड़, बुराड़, बेराड़
5. बटवाल
6. बौखिया, बावरिया,
7. बाजीगर
8. भंजड़ा
9. चमार, जटिया, चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी
10. चनाल
11. डागी

12. दड़ै
 13. ढेहा, ढैया, ढेरा
 14. धानक
 15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी
 16. हुमना, महाशा, हूम
 17. गगड़ा
 18. गंडीला, गण्डील, गोण्डोला
 19. कबीरपंथी, जुलाहा
 20. खटीक
 21. कोरी, कोली
 22. मरीजा, मरेचा
 23. मजहबी
 24. मेघ
25. नट
 26. ओड
 27. पासी
 28. पेरना
 29. फेरेरा
 30. सनहाई
 31. सनहाल
 32. सांसी, भेड़कूट, मनेश
 33. संसोई
 34. सपेला
 35. सरेड़ा
 36. सिकलीगर
 37. सिरकीबन्द

5

10

भाग 6-हिमाचल प्रदेश

1. आद धर्मी
 2. बांडी, नागलू
 3. बाल्मीकि, भंगी, चूहड़ा, चूड़ा,
 चूहड़े
 4. बान्धेला
 5. वंगाली
 6. वंजारा
 7. वांसी
 8. वरड़
 9. वराड़, बुराड़, बेराड़
 10. वटवाल
 11. वीरिया, वावरिया
 12. वाजीगर
 13. भंजड़ा, भंजड़े
 14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़,
 रैगड़, रामदासी, रविदासी,
 रामदासिया, मोची
 15. चनाल
 16. छिम्बे, धोबी
 17. डागी
 18. दड़ै
 19. दराई, दरयाई
 20. दाउले, दावले
 21. धाकी, तूरी
 22. धानक
 23. धावगरी, धुआर्हा
 24. धोगरी, धांगरी, सिग्गी
 25. डूम, डूमना, हुमना, हुमने, महाशा
 26. गगड़ा
 27. गंधीआ, गण्डील गोण्डोला
28. हाली
 29. हेसी
 30. जोगी
 31. जुलाहा, जुलाहे, कबीरपंथी, कीर
 32. कमोह, दगोली
 33. करोक
 34. खटीक
 35. कोरी, कोली,
 36. लोहार
 37. मरीजा, मरेचा
 38. मजहबी
 39. मेघ
 40. नट
 41. ओड
 42. पासी
 43. पेरना
 44. फेरा, फेरेरा
 45. रेहाड़, रेहाड़ा
 46. सनहाई
 47. सनहाल
 48. सांसी, भेड़कूट, मनेश
 49. संसोई
 50. सपेला
 51. सरड़े, सरेड़ा, सराड़े, सिरयाड़े,
 सरेहड़े
 52. सिकलीगर
 53. सिरी
 54. सिरकीबन्द
 55. तेली
 56. ठियार, ठठेरा,

15

20

25

30

35

40

भाग २—कर्नाटक

- | | |
|---|---|
| <p>1. आदि आन्ध्र</p> <p>2. आदि द्रविड़</p> <p>3. आदि कर्नाटक</p> <p>4. अदीय (कुर्ग जिले में)</p> <p>5. आगेर</p> <p>6. आजिला</p> <p>7. अनामुक</p> <p>8. आरे माल</p> <p>9. अरुंथथियार</p> <p>10. अर्वमाल</p> <p>11. वैरा</p> <p>12. वाकड़</p> <p>12क. वंट (वेलगांव, वीजापुर, धार-
वाड़ और उत्तरी कनारा जिलों में)</p> <p>13. वकुडा</p> <p>14. वालगाई</p> <p>15. वण्डो</p> <p>16. वंजारा, लम्बाणी</p> <p>20 17. वयडा</p> <p>18. वेड जंगम, भुडग जंगम</p> <p>19. वेल्लरा</p> <p>20. भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी,
मलकाना, हलालखोर, लालवेगी,
बाल्मीकि, कोरार, आडमाली</p> <p>25 21. भंवी, भंभी, असादरु, आसोदी,
चमडिया, चमार, चम्भार, चाम-
गार, हरलया, हरली, खलपा,
मचिगार, मोचिगार, मादार,</p> <p>30 30. मादिग, मोची, मुची, तेलगु-
मोची, कामटि-मोची, राणीगार,
रोहिदास, रोहित, सामगार</p> <p>22. भोवी</p> <p>23. विदला</p> <p>35 24. व्यागरा</p> <p>25. चक्किलियान</p> <p>26. चलवादी, चल्वादी, चन्नैया</p> <p>27. चांडाल</p> <p>28. चेन्नादासर, होलेयदासर</p> <p>40 29. दक्कल, दक्कलवार</p> <p>30. दक्कलिगा</p> <p>31. डोर, कक्कया, कन्कया</p> <p>32. डोम, डोम्बर, पैडी, पानो</p> <p>33. एल्लमलवार, येल्लमलवाण्डलु</p> <p>45 34. गंटी चोर</p> <p>35. गारोडा, गरो</p> <p>36. गोड्डा</p> <p>37. गोसंगा</p> <p>38. हल्लीर</p> | <p>39. हूलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार</p> <p>40. हंदी जोगी</p> <p>41. हस्ला</p> <p>42. होलार, वलहार</p> <p>43. होलाय, होलेर, होलेय</p> <p>44. होलेयदासरी</p> <p>45. जगली</p> <p>46. जम्बुवुलु</p> <p>47. कडैयन</p> <p>48. कल्लादि</p> <p>49. कैम्पमारी</p> <p>50. कोलुपुलवाण्डलु</p> <p>51. कूसा</p> <p>52. कोरच</p> <p>53. कोरम</p> <p>54. कोटेगार, मैत्री</p> <p>55. कुडुम्बन</p> <p>56. कुरवान्</p> <p>57. लिंगाडेर</p> <p>58. मचला</p> <p>59. मदारी</p> <p>60. मादिग</p> <p>61. महार, तराल, धेगु मेगु</p> <p>62. माहयावंशी, धेड़, वणकर, मारु-
वणकर</p> <p>63. मैला</p> <p>64. माल</p> <p>65. मालदासरी</p> <p>66. माल हन्नई</p> <p>67. मालजंगम</p> <p>68. मालमस्ती</p> <p>69. मालसाल, नेतवगानि</p> <p>70. माल सन्यासी</p> <p>71. मांग, मातंग, मिनिमादिग</p> <p>72. मांग गारुडी, मांगगारोडो.</p> <p>73. मन्ने</p> <p>74. मश्तो</p> <p>75. माशिलन</p> <p>76. मेघवाल, मेघवार</p> <p>77. मोगेर</p> <p>78. मुकी</p> <p>79. मुड़ला</p> <p>80. नाडिया, हाडी</p> <p>81. नलकेडय</p> <p>82. नलकेयव</p> <p>83. नायाडि</p> |
|---|---|

84. पालै
 85. पल्लन्
 86. पम्बाडा
 87. पंचम
 88. पन्नियाडि
 89. परझान, परथ्या
 90. परखन
 91. राणीयार
 92. सामगार

93. सम्बन
 94. सपरी
 95. सिल्लेकियथस
 96. सिधोलू, चिदोलू
 97. मुडुगाडुसिद्ध
 98. थोटि
 99. तीरगार, तीरवन्द
 100. वल्लुवन

5

भाग 8—केरल

1. आदि आन्ध्र
 2. आदि द्रविड़
 3. आदि कर्नाटक
 4. आजिला
 5. अरुन्धथियार
 6. अथ्यनवर
 7. वैरा
 8. वकुडा
 9. वंडी ||
 10. वथडा
 11. वेल्लारा
 12. भरतर
 13. वोयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मलावार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर]
 14. चक्किलियान
 15. चमार, मुची
 16. चांडाल
 17. चेरमन
 18. डोम्बन
 19. गवार्स
 20. गोडागली
 21. गोड्डा
 22. गोसंगी
 23. हस्ता
 24. होलेय
 25. कडैयन
 26. कक्कलन
 27. कल्लाडी
 28. कणकन, पदन
 29. करिम्पालन
 30. कवर
 31. कूसा
 32. कूटन, कूडन

33. कुडुम्बन 10
 34. कुरवन, सिद्धनार
 35. मैला
 36. मलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मलावार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में] 15
 37. मण्णन
 38. माविलन
 39. मोगेर 20
 40. मुण्डाला
 41. नलकेयव
 42. नलकाड्य
 43. नायाडी
 44. पदन्नन
 45. पल्लन
 46. पल्लुवन
 47. पाम्बाडा
 48. पाणन
 49. पंचम
 50. परैयन, परयन, सांववर
 51. परखन
 52. पतियन
 53. पेरुमण्णन
 54. पुलयन, चेरमर 35
 55. पुलय वेटुवन
 56. पुतिरई वण्णन
 57. राणीयार
 58. सामगार
 59. सम्बन
 60. सेम्मान
 61. तण्डान
 62. थोटि
 63. वल्लोन
 64. वल्लुवन 40
 65. वण्णन
 66. वेलन
 67. वेटन
 68. वेट्टुवन 45
 50

भाग 9—मध्य प्रदेश

- | | |
|--|--|
| <p>1. औघलिया
2. वागरी, वागड़ी
3. वहना, वाहना
4. बलाही, बलाई
5. वांछडा
6. वरहर, वसोड
7. वरगुन्डा
8. वसोर, वुरुड, वांसोर, वांसोडी,
10 वांसफोड, वसार
9. वेडिया
10. वेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, वालमीक, लालबेगी,
धरकार
15 12. भानुमती
13. चडार
14. चमार, चमारी, बेरवा, भांवी
जाटव, मोची, रैगड़, नोना,
रोहिदास, रामनामी,
सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यरामनामी,
अहिरवार, चमार मंगन, रैदास
15 15. चिदार
16. चिक्कवा, चिक्कवी
17. चित्तार
25 18. दहाइत, दहायत, दहात
19. देवर
20. धानुक
21. धेड़, धेड़
22. धोवी (भोपाल, रायसेन और
सिहोर ज़िलों में)
30 23. डोहोर
24. डोम, डुमार, डोमे, डोमर,
डोरिस
25. गांडा, गांडी
35 26. घासी, घसिया
27. होलिया
28. कंजर</p> | <p>29. कातिया, पथरिया
30. खटीक
31. कोली, कोरी
32. कोतवाल (भिड, धार, देवास,
गुना, ग्वालियर, इन्दौर,
झावुआ, खरगोन, मन्दसौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा ज़िलों में)
33. खगार, कनेरा, मिरधा
34. कुचवंधिया
35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया,
पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल,
सींधी और टीकमगढ़ ज़िलों
में)
36. महार, मेहरा, मेहर
37. मांग, मांग गारोडी, मांग गारुडी,
दंखनी मांग, मांग महाशी,
मदारी, गारुडी, राधे मांग
38. मेघवाल
39. मोधिया
40. मुसखान
41. नट, कालवेलिया, सपेरा,
नवदिगार, कुवुतर
42. पारधी (भिड, धार, देवास,
गुना, ग्वालियर, इन्दौर,
झावुआ, खरगोन, मन्दसौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा ज़िलों में)
43. पासी
44. रुज्जर
45. सांसी, सांसिया
46. सिलावट
47. झमराल</p> |
|--|--|

भाग 10—महाराष्ट्र

- | | |
|--|---|
| <p>40 1. अगेर
2. अनामुक
3. अरे भाल
4. अर्वभाल
5. वहना, बाहना</p> | <p>6. वाकड़, बंट
7. बलाही, बलाई
8. वसोर, वुरुड, वांसोर, वांसोडी
9. वेड जंगम, वुडग जंगम
10. वेडर</p> |
|--|---|

11.	भंवी, भंधी, असादरू, असोदी, चमाडिया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगर, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यरामनामी	29. कातिया, पथरिया
12.	भंगी, मेहतर, ओलगना, रुखी, मलकाना, हलालघोर, लालबेगी, वाल्मीकि, कोरार, शाडमाली	30. खंगार, कनेरा, मिरधा
13.	विदला	31. खटीक, चिकवा, चिकवी
14.	व्यागरा	32. कोलुपुलवाण्डलु
15.	चलवादि, चन्नैया	33. कोरी
16.	चेन्नादासर, होलाय दासर, होलय दासरी	34. लिंगाडेर
17.	डवकल, डोककलवार	35. मादगी
18.	ढोर, कवकच्छा, कान्कच्छा, ढोरुर	36. मादिग
19.	डोम, डुमार	37. महार, मेहर, तराल, धेंगु मेंगु
20.	एल्लमलवार, येल्लम्पलवाण्डलु	38. माहयावंशी, घेड़, वणकर, मारुवणकर
21.	गांडा, गांडी	39. माल
22.	गरोडा, गरो	40. मालदासरी
23.	घासी, घसिया	41. माल हवै
24.	हल्लीर	42. माल जंगम
25.	हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार	43. माल मस्ति
26.	होतर, वलहार	44. मालसाले, नैतकानि
27.	होताय, होतेर, होलेय, होलिया	45. माल सन्यासी
28.	कैकडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलडाना, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में और राजुरा तहसील को छोड़कर चन्द्रपुर जिले में)	46. मांग, मातंग, मिनिमादिग, दंखनी मांग, मांग-महाशी, मदारी, गारुडी, राधे मांग
		47. मांग गारोडी, मांग गारुडी
		48. मन्त्रे
		49. मश्ती
		50. मेघवाल, मेघवार
		51. मिता अय्यलवार
		52. मुक्री
		53. नाडीया, हाडी
		54. पासी
		55. सांसी
		56. शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत
		57. सिंधौलू, चिंदोलू
		58. तीरगार, तीरवन्द
		59. तुरी

5
10
15
20
25
30
35

भाग 11—मणिपुर

- धुपी, धोवी
- लोई
- मुची, रविदास
- नामणूद्र
- पाटनी
- सूतधार
- यैथिवि

40

भाग 12—मेघालय

- वांसफोड़
- भुईमाली, माली
- वृत्तियालवनिया, वनिया
- धुपी, धोवी

5. डुगला, ढोली
 6. हीरा
 7. जलकेवट
 8. शालो, मालो, शालो-मालो
 9. केवर्त, जालिया
 10. लालरेमी
11. गहरा
 12. मेहतर, भंगी
 13. मुचो, अहपि
 14. नासाशद्र
 15. पाटनी
 16. गुलधार

भाग 13--उड़ीसा।

1. शादि शान्धि
 2. श्रमान्त, श्रमात
 3. श्रोधेलिया
 4. वड़क
 5. वापेशी, वापुटी
 6. वाजीहर
 7. वारी
 8. वारीनी
 9. वासोर, वुरुड
 10. वाउरी
 11. वाउटी
 12. वावुरी
 13. वेडिया, वेजिया
 14. वेलदार
 15. भाट
 16. भोई
 17. चनटी
 18. चाली
 19. चमार, मोचो, मुची, गतनापी
 20. चांडाल
 21. चन्दाई भाल
 22. चेष्ट्रा, छेलिया
 23. दंडारी
 24. देवर
 25. धनवार
 26. धोवा, धोवी
 27. डोम, डोम्बो, डुरिया डोग
 28. दोयद्या
 29. घंडा
 30. घंटरघड़ा, घंटरा
 31. घारी, घरिया
 32. घोगिया
 33. घुमुसिया
 34. गोडागली
 35. गोडारी
 36. गोडरा
 37. गोखा
 38. गोराईत, कोराईत
 39. हाड़ी, हाड़ी, हरी
40. ईरीका
 41. जग्गली
 42. कंडरा, कंडारा
 43. कारुआ
 44. कटिया
 45. केला
 46. खड़ाल
 47. कोडालो, खोडालो
 48. कोटी
 49. कुम्मारी
 50. कुएगा
 51. लवाण
 52. लाहेरी
 53. गदारी
 54. गादिग
 55. गहृशिया
 56. गाला, शाला, मालो, शाला
 57. गांग
 58. गांगण
 59. गेहरा, गहार
 60. गेहतर, भंगी
 61. गेवार
 62. मुङ्डपोद्धा
 63. मुराहर
 64. नगारची
 65. नासाशूद्र
 66. पैडी
 67. पैण्डा
 68. पामीडी
 69. पाण, पाणो
 70. पंचम
 71. पाणिजा
 72. पंका
 73. पाणतन्ति
 74. पाप
 75. पासी
 76. पटियाल, पाटीकर, पावतति,
 पटुआ
 77. रजना

78. रेल्ली
 79. सवाखिया
 80. सप्तसी
 81. सनेई
 82. सपरी
 83. सोतिया, सांतिया
 84. सिवरिया
 85. सिद्धरिया
86. सियाल
 87. टमाडिया
 88. टमुडिया
 89. तानला
 90. तियार, तियोर
 91. तुरी
 92. उजीया
 93. वालमींके, वालमींकि

5

भाग 14—पंजाब

1. आद धर्मी
 2. वालमींकि, चूड़ा, भंगी
 3. वंगाली
 4. वरड, वुरड, वेरड
 5. वटवाल
 6. वौसिया, वावरिया
 7. वाजीगर
 8. भंजडा
 9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़,
 रैगड़, रामदासी, रविदासी
 10. चनाल
 11. डागी
 12. दड़ै
 13. डेहा, ढैया, ढेअ
 14. धानक
 15. ढोगरी, ढांगरी, रिगरी
 16. डूधना, महाशा, डूम
 17. गगडा
18. गंडीला, गण्डील गोण्डोला
 19. कबीरपंथी, जुलाहा
 20. खटीक
 21. कोरी, कोली
 22. मरीजा, मरेचा
 23. मजहबी
 24. मेघ
 25. नट
 26. ओड
 27. पासी
 28. पेरना
 29. फ़ेरेरा
 30. सनहाई
 31. सनहाल
 32. सांसी, भेङ्कुट, मनेश
 33. संसोई
 34. सपोला,
 35. सरैड़ा
 36. सिकलिंगर
 37. सिरकोवन्द

10

15

20

25

30

35

40

भाग 15—राजस्थान

1. आदि धर्मी
 2. अहेरी
 3. वाढी
 4. वागरी, वांगड़ी
 5. वैरवा, वेरवा
 6. वाजगर
 7. वलाई
 8. वांसफोर, वांसफोड़
 9. वावरी
 10. वर्गी, वर्गी, विर्गी
 11. वावरिया
 12. वेडिया, वेरिया
 13. भांड
14. भंगी, चूड़ा, मेहतर, औलगाना,
 रुखी, मलकाना, हलाखबोर,
 लालब्रेगी, वालमींकि, वालमींकि,
 कोरार, झाडमाली
15. विदाकिया
 16. वोला
 17. चमार, भंभी, बंभी, भंवी,
 जटिया, जाटव, जाटवा, मोची,
 रैदास, रोहिदास, रेगड़,
 रैगड़, रामदासिया, अमादरू,
 असोदी, चमाडिया चम्भार,
 चामगार, हरलप्या, हराली,
 खलपा, मचिगार, मोचीगार,

- मादर, मादिग, तेलगु मोची,
कान्टी मोची, राणीगार,
रोहित, सामगार
 18. चांडाल
 19. दवगर
 20. धानक, धानुक
 21. धानकिया
 22. धोबी
 23. ढोली
 10 24. डोम, डूम
 25. गांडिया
 26. गरांचा, गांचा
 27. गरो, गरुड़, गुर्डी, गरोडा
 28. गवारिया
 15 29. घोंधी
 30. जीनगार
 31. कालवेलिया, सपेरा
 32. कामड़, कामडिया
 33. कंजर, कुंजर
 20 34. कपाड़िया सांसी
 35. खंगार
 36. खटीक
 37. कोली, कोरो
38. कूचवन्द, कुचवन्द
 39. कोरिया
 40. मदारी, वाजीगर
 41. महार, तराल, धेगुमेगु
 42. माह्यावंशी, छेड़, डेड़ा, वणकर,
मारु वणकर
 43. मजहबी
 44. मांग, मातंग, मिनिमादिग
 45. मांग गारोडी, मांग गारडी
 46. मेघ, मेववाल, मेघवल, मेघवार
 47. मेहर
 48. नट, नट
 49. पासी
 50. रावल
 51. सालवी
 52. सांसी
 53. सांतिया, सतिया
 54. सरभंगी
 55. सरगड़ा
 56. सिंगीवाला
 57. थोरी, नायक
 58. तीरगार, तीरवन्द
 59. तुरी

भाग 16—तमिलनाडु

- 25 1. आदि आंन्ध
 2. आदि द्रविड़
 3. आदि कर्नाटक
 4. आजिला
 5. अरुंततियार
 30 6. अथ्यनवर (कन्याकुमारी जिले
में और तिरुनेलवेली जिले के
शेन्कोट्टा तालुक में)
 7. वैरा
 8. वकुड़ा
 35 9. वण्डी
 10. वेल्लरा
 11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में
और तिरुनेलवेली जिले के
शेन्कोट्टा तालुक में)
 40 12. चकिकलियन्
 13. चलवादि
 14. चमार, मुची
 15. चाण्डाल
 16. चेरुमान
 45 17. देवेन्द्रकुलथन
 18. डोम, डोम्बारा, पैड़ी, पानो
19. डोम्बन
 20. गोडागली
 21. गोड़डा
 22. गोसंगी
 23. होलिय
 24. जगाली
 25. जम्बुवुलु
 26. कड़इयन
 27. कवकलन (कन्याकुमारी जिले
में और तिरुनेलवेली जिले के
शेन्कोट्टा तालुक में)
 28. कलादि
 29. कनवकन, पाड़न्ना (नीलगिरि
जिले में)
 30. करिम्पालन
 31. कावरा (कन्याकुमारी जिले में
और तिरुनेलवेली जिले के
शेन्कोट्टा तालुक में)
 32. कोलियन
 33. कूसा
 34. कूटन, कूड़न (कन्याकुमारी
जिले में और तिरुनेलवेली जिले
के शेन्कोट्टा तालुक में)

35.	कुड़म्बैं	57.	परवन (कन्याकुमारी जिले में और तिस्तेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
36.	कुरवन, सिद्धनार	58.	पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिस्तेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) 5
37.	मदारी	59.	पुलयन, चेरमार
38.	मादिग	60.	पुदिरै वन्नन
39.	मैला	61.	राणीयार
40.	माल	62.	सामगार 10
41.	मत्तन (कन्याकुमारी जिले में और तिस्तेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	63.	सम्बन
42.	माविलान	64.	सारी
43.	मोगर	65.	सेम्मन
44.	मुण्डाला	66.	तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिस्तेलवेली जिले के 15 शेन्कोट्टा तालुक में)
45.	नलकेयव	67.	थोटि
46.	नायाड़ी	68.	तिस्तवल्लुवर
47.	पट्टन (कन्याकुमारी जिले में और तिस्तेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	69.	वेल्लन
48.	पगाई	70.	वल्लुवन 20
49.	पल्लन	71.	वन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिस्तेलवेली जिले के 27 शेन्कोट्टा तालुक में)
50.	पल्लुवन	72.	वातिरियन
51.	पमवाड़ा	73.	वेळन
52.	पानन (कन्याकुमारी जिले में और तिस्तेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	74.	वेटन (कन्याकुमारी जिले में और तिस्तेलवेली जिले के 25 शेन्कोट्टा तालुक में)
53.	पंचम	75.	वेट्टियान
54.	पन्नाड़ी	76.	वेट्टुवन (कन्याकुमारी जिले 30 में और तिस्तेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
55.	पन्नियांड़ी		
56.	परैयन, परयन, साम्बवर		

भाग 17—त्रिपुरा

1.	वागड़ी	17.	फनुध
2.	भुईमाली	18.	केवट
3.	भुनर	19.	खादित
4.	चमार, मुची	20.	खारिया
5.	डण्डासी	21.	कोच
6.	धेनुश्चर	22.	कोयर
7.	धोवा	23.	कोल
8.	झूम	24.	कोरा
9.	घासी	25.	कोटाल
10.	गौर	26.	महिष्यदास
11.	गुर	27.	माली
12.	जालिया कैवर्त	28.	मेहतर
13.	कहार	29.	मुसहर
14.	कालिन्दी	30.	नामशूद्र
15.	कान	31.	पाटनी
16.	कण्डा	32.	सवर

भाग 18—उत्तर प्रदेश

1. अगरिया	34. धरामी	
2. वधिक	35. धसिया	
3. वादी	36. गोंड	
4. वहेलिया	37. खाल	
5. वैगा	38. हवूँडा	5
6. वैसवार	39. हरी	
7. वजनिया	40. हेला	
8. वाजगी	41. कलावाज	
9. वलहार	42. कंजर	
10. वलाई	43. कपड़िया	10
11. वातमीकि	44. करवल	
12. वंगाली	45. खैराहा	
13. वनमानुष	46. खरवार (वनवासी को छोड़कर)	
14. वांसफोड़	47. खटीक	15
15. वरवार	48. खोरोट	
16. वसोड़	49. कोल	
17. वावरिया	50. कोरी	
18. वेलदार	51. कोरवा	
19. वेरिया	52. लालवेगी	20
20. भंतू	53. मझवार	
21. भुईया	54. मञ्चहवी	
22. भुईयार	55. मुसहर	
23. बोरिया	56. नट	
24. चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव	57. पंखा	25
25. चेरो	58. परहिया	
26. दवगर	59. पासी, तरमाली	
27. धंगड़	60. पाटरी	
28. धानुक	61. रावत	
29. धरकार	62. सहारया	30
30. धोवी	63. सिनौढिया	
31. डोम	64. सांसिया	
32. डोमर	65. शिल्पकार	
33. दुसाध	66. तुरैहा	

भाग 19—पश्चिमी वंगाल

1. वागड़ी, दुले	12. चौपाल	
2. वहेलिया	13. दवगर	
3. वायती	14. दामाई (नेपाली)	
4. वंतर	15. धोवा, धोवी	
5. वौरी	16. दोयाई	40
6. वेलदार	17. डोम, धंगड़	
7. भोगता	18. दोसाध, दुसाध, धारी, धात्ही	
8. भुईमाली	19. घासी	
9. भुईया	20. गोनरही	
10. विन्द	21. हलालखोर	
11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रुईदास, ऋषि	22. हरी, मेहतर, मेहतोर, भंगी	45
	23. जालिया, कैवर्त	

	24.	झालो मालो, मालो	43.	माल
	25.	कादर	44.	मल्लाह
	26.	कामी (नेपाली)	45.	मुसहर
	27.	कांदरा	46.	नामशूद्र
5	28.	कंजर	47.	नट
	29.	कावरा	48.	नूनिया
	30.	करेंगा, कोरंगा	49.	पलिया
	31.	कौर	50.	पान, सवासी
	32.	केवट, केयोट	51.	पासी
10	33.	खैरा	52.	पाटनी
	34.	खटीक	53.	पोद, पोन्द्रा
	35.	कोच	54.	राजवंशी
	36.	कोनाइ	55.	राजवार
	37.	कोतवार	56.	शड़की (नेपाली)
15	38.	कोटाल	57.	सुनरी (साहा को छोड़कर)
	39.	कुरास्थिर	58.	तियर
	40.	लालबेगी	59.	तूरी ।” ।
	41.	लोहार		
	42.	महार		

20

द्वितीय अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

अध्याय 1

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में,—

(क) पंरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

25 “3. इस आदेश में किसी राज्य अर्थवा किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है ।” ;

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

30

“अनुसूची

भाग 1—आनंद प्रदेश

	1.	अनंद	11.	कोट्टनायकन
	2.	वगटा	12.	कोलम, मन्नरवलू
	3.	भील	13.	कोंडा दोरा
35	4.	चेंचु, चेंचुवार	14.	कोंड कापु
	5.	गडुवा	15.	कोंडारेड्डि
	6.	गोंड, नायकपोड, राजगोंड	16.	कोंड, कोडि, कोधू, देस्य कोंड, डोंगरिया कोंध, कट्टिया कोंड, टिकरिया कोंड, येनिटी कोंड
	7.	गौड़, (अभिकरण मूखण्डों में)		
	8.	हिल रेड्डि		
40	9.	जातपु		
	10.	कम्भर		

17. कोटिया, वेंथोओरिया, वतिंका,
धुलिया, डुलिया, होल्बा,
पैको पुटिया,
सन्नोण सिधोपैको
18. कोया गोड, राजा, राश
कोया, लिंगधारी कोया
(साधारण) कुट्टू कोया, भिने
कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. माली (आदिलावाद, हैदरावाद,
करीम नगर, खम्माम, महवूब-
नगर, मेडक, नलगोंडा,
निजामावाद और वारंगल जिलों
को छोड़कर)
21. मन्न दौरा,
22. मखा दौरा, नूका दौरा
23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में)
24. परधाण
25. पोर्जा, पेरंगीपेर्जा
26. रड्डु धोरा
27. रोजा, रेणा
28. सवार, कापू सवार, मत्तिया
सवार, खुट्टा सवार 5
29. सुगाली, लम्बाडी
30. धोड़ि, (अदिलावाद, हैदरा-
वाद, करीमनगर, खम्माम,
महवूबनगर, मेडक, नलगोंडा,
निजामावाद और वारंगल
जिलों में) 10
31. वाल्मीकि (अभिकरण भूखण्डों में)
32. येनाडी
33. येच्चुला 15

भाग 2—आसाम

1. स्वशासी जिलों में:—

1. चाकमा
2. डिमासा कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. ह्यार
6. खासी, जयन्तिया, सिंतेंग,
प्नार, वार, भोई, लिंगनागम
7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी
जनजातियां :—

- (i) वियाते, वियेते
- (ii) चांगसान
- (iii) चंगलोई
- (iv) दींगले
- (v) गमल्हो
- (vi) गांगटे
- (vii) गुहते
- (viii) हान्नेंग
- (ix) हौकिप या हौपित
- (x) हौलाई
- (xi) हेंगना
- (xii) हंसुंध
- (xiii) हांग्खवाल, रंग्खल
- (xiv) जंबे
- (xv) ख्वौचूंग
- (xvi) ख्वौलंग, खोतालंग
- (xvii) खेलमा

- (xviii) खोल्ह
- (xix) किप्पेन
- (xx) कुकी
- (xxi) लैयांग
- (xii) ल्हाधम
- (xxiii) ल्हाजेम
- (xxiv) ल्हौबुन
- (xxv) लुफेंग
- (xxvi) मांजेल
- (xxvii) मिसाऊ
- (xxviii) रिअंग
- (xxix) सैहैम
- (xxx) सेल्नाम
- (xxxi) सिंग्सन
- (xxxii) सितल्हो
- (xxxiii) सुच्चे
- (xxxiv) थाडो
- (xxxv) थांग्यू
- (xxxvi) उइकू
- (xxxvii) व्हाइफे

8. लाखेर

9. (ताई बोलने वाली) मान
10. कोईमिजो (लुशाई) जन जातियां 40
11. मिकिर
12. कोई नागा जनजातियां
13. पावी
14. सितेंग ।

२. स्वशारी जिलों को छोड़कर आसाम राज्य में :—

- | | | |
|----|------------------|-------------------|
| १. | कछार में वर्मन | ५. कछारी, गोन्वाल |
| २. | बड़ी, बड़ो कछारी | ६. लालुंग |
| ३. | ड्योरी | ७. गेच |
| ४. | द्रोजाई | ८. मिरी |
| ५. | | ९. राभा |

भाग ३—बिहार

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| १. | असुर | १५. करमाली |
| २. | वेगा | १६. खरिया |
| ३. | वनजारा | १७. खरवार |
| ४. | वठुडी | १८. खोंड |
| ५. | वेदिया | १९. किसान |
| ६. | भूमिज (उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिण छोटानागपुर खण्डों और संयाल परगना जिले में) | २०. कोरा |
| ७. | विक्षिया | २१. कोरवा |
| ८. | विरहोर | २२. लोहार, लोहरा |
| ९. | विरजिया | २३. माहली |
| १०. | चेरो | २४. माल पहरिया |
| ११. | चिक वराइक | २५. मुन्डा |
| १२. | गोंड | २६. उरांव |
| १३. | गोराइत | २७. परहया |
| १४. | हो | २८. संयाल |
| १५. | | २९. सोरिया पहाड़िया |
| १६. | | ३०. सावर |

भाग ४—गुजरात

- | | | |
|-----|--|--|
| १. | बड़ी | ११. गमित, गमता, गविट, मची, |
| २. | वावचा, वामचा | पदवी |
| ३. | भरवाड (अलेच्छ, गीर, वराड़ा के जंगलों के नेसों में) | १२. गोंड, राजगोड |
| ४. | भील, भील गरासिया, धोली भील, हुंगरी भील, | १३. कथोडी, कटकारी, ढोर, कथोडी, ढोर कटकारी, सोन कथोडी, सोन कटकारी |
| ५. | डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावड़ा, वसावा, वसावे। | १४. कोकणा, कोकणी, कुकणा |
| ६. | चौधरी (सूरत और वलसाद जिलों में) | १५. कोली (कच्छ जिले में) |
| ७. | चीधरा | १६. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोल्घा |
| ८. | धनक, तडवी, तेतारिया, वलवी | १७. कुन्वी, (डांग्स जिले में) |
| ९. | धोड़िया, | १८. नायकाडा, नायेका, चोलीवाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना-नायक |
| १०. | दुबला, तलाविया, हलपति | १९. पाधर |
| ११. | | २०. पराधी (कच्छ जिले में) |
| १२. | | २१. पर्धी, अदविचिन्चेर, फांनसे पर्धी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर) |

22. पटेलिया
 23. पोमला
 24. रवरी (अतेच्छ, बराड़ा और
 गीर, के जंगलों के नेसों में)
 25. रथवा

26. सिद्धी (अमरेली, भावनगर,
 जास्तनगर, जूनागढ़, राजकोट
 और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
 27. वावेरी (कच्छ जिले में) 5
 28. वारली
 29. विटोलिया, कोटवालिया,
 वरोडिया

भाग 5—हिमाचल प्रदेश

1. भोट, बोढ़
 2. गद्दी [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,
 1966 की धारा 5 की उपधारा
 (1) में विनिर्दिष्ट, लाहौल
 और स्पीती जिले से भिन्न
 राज्यक्षेत्रों को छोड़कर]
 3. गुज्जर (पंजाब पुनर्गठन अधि-
 नियम, 1966 की धारा 5

- की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट
 राज्यक्षेत्रों को छोड़कर) 10
 4. जाद, लाम्बा, खम्पा
 5. कनौरा, किन्नारा
 6. लाहौल
 7. पंगवाला
 8. स्वांगला 15

1966 का 31

1966 का 31

भाग 6—कर्नाटक

1. अदियन
 2. वडी
 3. ववचा, वम्बा
 4. भील, भील गरासिया, धोली
 भील, डुंगरी भील, डुंगरी
 गरासिया, मेवासी भील, रावल
 भील, तड़वी भील, भगालिया,
 मिलाला, परवा, वासव,
 वासवे
 5. चेचू, चेंचवार
 6. चोद्यारा
 7. दुबला, तालाविया, हूलपति
 8. गामिट, गमटा, गाविट, मावचि,
 पदवी, वाल्वी
 9. गोंड, नायकपोड, राजगोंड
 10. गोब्डालू
 11. हक्कीपिक्की
 12. हासालारू
 13. इरुलर
 14. इरुलिगा
 15. जेनु कुरुवा
 16. काडू कुरुवा
 17. कम्मार (दक्षिणी कनारा
 जिला और मैसूर जिले के
 कोलेगल तालुक में)
 18. कनियान, कन्यान (मसर जिले
 के कोलेगल तालुक में)

19. काथोडी, काटकारी, ढोर कथोडी,
 ढोर काटकारी, सोन कथोडी,
 सोन काटकारी 2
 20. काट्टनायकन्
 21. कोंकण, कोंकणा, कुवणा
 22. कोली, घोर, टोकरा कोली,
 कोलचा, कोलधा
 23. कोंडा कापूस
 24. कोरग 25
 25. कोटा
 26. कोया, भिने कोया, राजकोया
 27. कुडिया, मैलकुडी
 28. कुरुव (कुर्ग जिले में)
 29. कुरुमान 30
 30. मद्दा मालासार
 31. मलाई कुडी
 32. मालासार
 33. मालायेकान्डी
 34. मालेरु 35
 35. मराठा (कुर्ग जिले में)
 36. मराटी (दक्षिणी कनारा जिले में)
 37. मेडा
 38. नायकडा, नायक, चौलीवाला,
 नायका, कपाडिया नायक, 40
 मोटा नायक, नाना नायक
 39. पल्लिवाळ
 40. पानियान

- 2
41. पार्धी अडविचिन्चेर, पनसे लापो
 42. पटेलिया
 43. राथावा
 44. शोलगा
 45. सोलीगारु

46. टोडा
47. वरली
48. विटोलिया, कोतवालिया,
वारोडिया
49. येरावा

5

भाग 7—केरल

1. आडियन्
2. अरांडन्
3. अरावालन्
4. हिल पुलया
5. इरुलर्, इरुलन्
6. कादर
7. कमारा [राज्य पुर्णठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) से धारा 5 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट मालावार जिले के क्षेत्रों में]
8. कणिकारन्, कणिककर्
9. काट्टुनायकन्
10. कोच्चूवेलन
11. कोन्डा कापूस
12. कोण्डरेडि
13. कोरग
14. कोटा
15. कुडिया, मेलाकुड़ी
16. करचिचान्
17. कुहमन्
18. कुहमन्

19. महामालासार
20. मलय अर्पन
21. मंलय पंडारम्
22. मलवेडन
23. मलकुर्वन्
24. मालासार
25. मलयन [राज्य पुर्तगठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मलावार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में]
26. मलयरयर्
27. मनान्
28. माराटि (कन्वोर जिले के होसडुग और कासरगोड तालुक में)
29. मुतुवान, मुदुगर, मुदुवन
30. पल्लेयान
31. पल्लियान्]
32. पल्लियार
33. पाणियन्
34. उल्लाडन
35. उरालि

20

25

30

35

40

45

- ### भाग 8—मध्य प्रदेश
1. अगरिया
 2. आन्ध
 3. वैणा
 4. भैना
 5. भारिया, भूमिया, भुईयार भूमियां, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो
 6. भतरा
 7. भील, भिलाला, वरेला, पटलिया
 8. भील मीना
 9. भंजिया
 10. विआर, वीआर
 11. विजवार
 12. विरहल, विरहोड़
 13. दमोर, दामरिया

14. धनवार
15. गडवा, गडंवा
16. गौड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, वडी मारिया, वडा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, विसोनहार्न, मारिया, छोट मारिया, दंडामी मारिया, धुह, धुरखा, धोवा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गेटा, गौड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्त्रवार, भांप्या, मोगिया, माश्या,

- मुडिया, मुरिया, नगारची,
नागवंशी, ओङ्का, राज, सोन्कारी,
झरेका, थाटिया, थोटया, वाडे-
माडिया, वडेमाडिया, दराई,
- 5 17. हलवा, हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा,
राठिया तनवर, छत्री
- 10 21. कीर (भोपाल, रायसेन और
सिहोर जिलों में)
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
15 24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कौलम
27. कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल,
नाहुल, बौंधी, बौंडेया
- 20 28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. बीना (विदिशा जिले के सिरोंज
सब-डिवीजन में)
- 25 33. मुडा
34. नगेसिया, नगासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ
36. पनिका (छतरपुर, दतिया,
पन्ना, रीवा, सतना शहडोल,
सीधी और टीकमगढ़ जिलों
में)
- 30 37. पाव
38. परधान, पथारी, सरीती
35 39. पारधी (भोपाल, रायसेन तथा
सिहोर जिलों में)

40. पारधी, वहेलिया, वहेलिया,
चिता पारधी लंगोली पारधी,
फांस पारधी, शिकारी,
टाकनकर टाकिया [(1)
वस्तर, छिदवाड़ा, मंडला
रायगढ़, सिवनी और सरगुजा
जिलों में (2) वालाघाट जिले
की वेहर तहसील में (3) वैतूल
जिले के वैतूल और भैसदेही
तहसीलों में (4) विलासपुर
जिले की विलासपुर और
कटहोरा तहसीलों में (5) दुर्ग
जिले की दुर्ग और संजरी
तहसीलों में (6) राजनन्द गांव
जिले के चौकी मानपुर और
महाला राजस्व निरीक्षकों के
क्षेत्रों में (7) जवलपुर जिले
के मुखारा, पाटन और सिहोर
तहसीलों में (8) होशंगाबाद
जिले की होशंगाबाद और सुहाग-
पुर तहसीलों और नरसिंहपुर
जिले में (9) खंडवा जिले की
हरमुद तहसील में (10) राय-
पुर जिले की विंद्रा नवगढ़,
धमतरी और महासमुन्द तह-
सीलों में]

41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया,
संहरिया, सोसिया, सौर
43. साम्रोंता, सौंता
44. सौर
45. सावर, सवरा
46. सौंर

भाग 9—महाराष्ट्र

1. आंध
2. बैगा
40 3. बर्डा
4. वावचा, वामचा
5. भैना
6. भास्त्रिया भूमिया, भुईहार-
भूमिया, पान्डों
- 45 7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, धोली
भील, डुंगरी भील डंगली गरा-
सिया, मेवासी, भील, रावल
भील, तडवी भील, भगालिया,
भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भूंजिया.
10. विज्ञवार
11. विहूल विरहोड

12. चौधरा (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्दाना चन्द्रपुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, औरंगावाद, और झीर, नांदेड, उस्मानावाद और परवानी जिलों को छोड़कर)
13. धाणका, तडबी, तेतारिया, वलवी
14. धनवार
15. धोड़िया
16. दुवला, तालविया, हलपति
17. गामिट, गामटा, गाविट, मावचि पडवि
18. गोंड, राजगोंड, अरख, आरख, अगारिया, असुर, वडी मारिया, वडा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भर, विसोनहान मारिया, छोटा मारिया, दंडामीरु मारिया, धुर, धरवा, धोवा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोटिर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मटिया मारिया, माना, मन्देवार, मोधया, मोगिया, मौघया, माडिया, लारिया, नगारची, नायकपाड, नागदंशी, ओज्जा, राज, सोन्धारी, झरेका, थाटिया थोटया, वाडे-मारिया, वाडेमारिया
19. हलवा, हलवी
20. कमार
21. काथोडि, काटकारी, ढोर काथोडि, ढोर काटकारी, सोन काथोडि, सोन काटकारी
22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छवी
23. खैरवरा
24. खड़िया

25. कोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल
27. कोलम, मन्नेवरलू
28. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोती मल्हार
31. कौंध, खोंड, कांध
32. कारकू, वापची, मीवासी, निहाल, नाहुल, वोधी, वौधया 10
33. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया
34. नगेचिया, नगासिया
35. नायकडा, नायक, नायका, चोलीवाला, नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना 15 नायक
36. ओरांव, धनगड
37. परधान, पथारी, सरौती
38. पारधी, अडविचिचेर, फंस पारधी, लंगोली पारधी, वहेलिया, 20 वहेलिया चित पारधी, शिकारी, टनकनकर, टकिया
39. परजा
40. पटलिया
41. पोमला
42. राधवा
43. सावर, सावरा
44. ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-मठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकर
45. थोटि (औरंगावाद, भीर, नांदेड, उस्मानावाद, और परभानी जिलों और चन्द्रपुर जिले की राजुरा तहसील में) 30
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, वरो-डिया 35

भाग 10—मरणपुर

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिरु
5. चौथे
6. गंगते
7. हमार
8. कावुई
9. कच्चा नागा
10. खोइराओ
11. कोयरंग
12. कोम
13. लैमगैंग
14. माओ

15. मराम्
 16. मैरिंग
 17. कोई मिजो (लुसाई) जन
 जातियां
 5 18. स्नोन्सेंग
 19. मायोन
 20. पाइटे
 21. पुष्म
22. राल्टे
 23. सेमा
 24. सिस्टे
 25. सूहूटे
 26. तेंगखुल
 27. थाडो
 28. व्हाइफै
 29. जाओ

भाग 11—मेघालय

- 10 1. चाकमा
 2. डिमासा, कछारी
 3. गारो
 4. हाजंग
 5. हमार
 15 6. खासी, जैन्तिया, सित्तेंग,
 प्लार, वार, भोई, लिगाम
 7. कोई कुकी जन जातियां जिनके
 अन्तर्गत निम्नलिखित भी
 हैं :—
 20 (i) वियाते, वियेते
 (ii) चंगसान
 (iii) चंगलोई
 (iv) दौगेल
 (v) गमल्ही
 25 (vi) गंगते
 (vii) गुइते
 (viii) हैन्तंग
 (ix) हौंकिप, हैपित
 (x) हौलाई
 30 (xi) हेंगना
 (xii) हौनसुध
 (xiii) ह्लाखोवाल, रंग्खोल
 (xiv) जंबे
 (xv) ख्वौचंग
 35 (xvi) ख्वोत्लंग, खोतालंग
 (xvii) खेल्मा
 (xviii) खोल्हु

- (xi) किपगेन
 (xx) कूकी
 (xxi) लेथांग
 (xxii) ल्हांगम
 (xxiii) ल्हाजम
 (xxiv) ल्हौबुन
 (xxv) लुर्केंग
 (xxvi) मांजेल
 (xxvii) मिसाऊ
 (xxviii) रियांग
 (xxix) सैरहैम
 (xxx) सेल्नाम
 (xxxi) सिग्सन
 (xxxii) सितल्हौ
 (xxxiii) सुकंत
 (xxxiv) थादो
 (xxxv) थांग्नू
 (xxxvi) उइबू
 (xxvii) व्हाइफै
 8. लाखेर
 9. मान (ताई बोलने वाली)
 10. कोई मीजो (लसाई) जन
 जातियां
 19. मिकिर
 12. कोई नागा जन जातियां
 13. पावी
 14. सितेंग

भाग 12—उड़ीसा

- 40 1. वागडा
 2. वैगा
 3. वणजारा, वणजारी
 4. वाथुडी
 5. भौत्तडा, धोत्तडा
 6. भुइया, भूयां
 45 7. शूमिआ
8. भूमिज
 9. भूजीआ
 10. विजाल
 11. विजिआ, विजोआ
 12. वीरहोर
 13. वोंडोपोरजा
 14. चेन्चू

15. दाल	39. कोरुआ	
16. देसुआ मूमिज	40. कुटीआ	
17. धारुआ	41. कोया	
18. दिद्यी	42. कुली	
19. गादवा	43. लोधा	5
20. गांडिया	44. मादिया	
21. धारा	45. माहालि	
22. गोंड, गोंडो	46. मांकिडी	
23. हो	47. मांकिरडिआ	
24. होलवा	48. माटिआ	10
25. जातपु	49. मिर्धा	
26. जुआग	50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली	
27. कंध गोड	51. मुंडारी	
28. कावार	52. ओमनात्या	
29. खडीआ, खडीयां	53. ओरांक्	15
30. खरवार	54. पेरेंगा	
31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा	55. परोजा	
32. किसान	56. पेटिआ	
33. कोल	57. राजुआर	
34. कोल्हा लोहार, कोल-लोहार	58. सांताल	20
35. कोल्हा	59. सबोरा, सवर, सोंरा, सहरा	
36. कोली, मल्हार	60. शवर, लोधा	
37. कोल्डादोरा	61. साउन्ती	
38. कोरा	62. थासुआ	

भाग 13—राजस्थान

25

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवारी भील, रावल भील, तडवी भील, भगलिया, भलाला, पावरा वसवा, वसावे	6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
2. भील मीना	7. कोकना, कोकनी, कुकणा
3. डामार, डामरिया	8. कोली, ढोर, टोकरे कोली कोलचा कोलधा
4. धाणका, तडवी, तेतारिया, वलवी	9. मीना
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)	10. नायकडा, नायक, चौलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
	11. पटेलिया
	12. सेहरिया, सेहरिया, सहा- रिया

भाग 14—तमिलनाडु

1. अर्डियन	6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला ओर तिस्तेलवेलि जिले के शिकोटा तालुक को छोड़कर)	40
2. अरनाडन		
3. एरवल्लन		
4. इहलर		
5. काडर	7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में ओर तिस्तेलवेलि जिले	35

- के शेन्कोटा तालुक में)
8. कन्तियन, कन्त्यन
 9. काट्टनायवकन
 10. कोचुवेलन
 11. कोन्डा कपूस
 12. कोन्डारेड्डि
 13. कोरागा
 14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और तिहनेलवेलि जिले के शिकोटा तालुक को छोड़कर)
 15. कुडिया, मेला कुडी
 16. कुरिच्छन
 17. कुरुमान्स (नीलगिरि जिले में)
 18. कुरुमान्स
 19. महा मल्लेसर
 20. मजै अरैयन
 21. मालै पंडाराम
 22. मलै वैडन
 23. मलक्कुरवन
 24. मल्लेसर
 25. मल्याली (धर्मपुरी, उत्तरी अर्काट, पुडुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरुचिरापल्ली जिलों में)
 26. मलयेकंडी
 27. मान्नन
 28. मुडुगर, मुडुवन
 29. मदुवन
 30. पाल्लयन
 31. पलियन
 32. पल्लयर
 33. पनियन
 34. शोलागा
 35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिहनेलवेलि जिले के शिकोटा तालुक को छोड़कर)
 36. उरली

भाग 15—त्रिपुरा

1. भील
2. भुटिया
3. चैमाल
4. चाकमा
5. गारु
6. हलाम
7. जमातिया
8. खासिया
9. कुकी जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित उपजनजातियां भी हैं :—
 - (i) बाल्टे
 - (ii) बेललहुत
 - (iii) छाल्य
 - (iv) फुन
 - (v) हेजांग
 - (vi) जंगतेइ
 - (vii) खरेंग
 - (viii) कीग
- (ix) कुन्तेइ
- (x) लाइकंग
- (xi) लेनतेइ
- (xii) मिजेल
- (xiii) नमते
- (xiv) पाइतु, पाइते
- (xv) रंगचन
- (xvi) रंखोल
- (xvii) थंगलुइया
10. लेप्चा
11. लुसाइ
12. माग
13. मुन्डा, कौड़
14. नोआटिया
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्थाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, ठिप्पेरा
19. उचाई

भाग 16—पश्चिमी बंगाल

1. असुर
2. बैंगा
3. बेदिया, बिदिया
4. भूषिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा,
- कगाते, तिब्बती, योलमो
6. वीरहड़
7. विर्जिया
8. चाकमा

9.	चेरो	24.	लोहारा, लोहरा
10.	चिक वारैक	25.	मध्य
11.	गारो	26.	माहली
12.	गोड़	27.	महली
13.	गोड़त	28.	माल पहाड़िया
14.	हाजंग	29.	मेच
15.	हो	30.	झू
16.	करमाली	31.	मुँडा
17.	खाड़वार	32.	नागेसिया
18.	खीड़	33.	ओरांव
19.	किसान	34.	पाढ़ैया
20.	कोड़ा	35.	राभा
21.	कोरवा	36.	सन्थाल
22.	लेप्चा	37.	सौरिया पहाड़िया
23.	लीधा, खेड़िया, खाड़िया	38.	सावर ।" ।

अध्याय 2

संविधान (अन्डमान और निकोबर द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश,
1959 में,—

(क) पैरा 2 में “जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची में उनके सम्बन्ध में वर्णित हैं” शब्दों के स्थान पर “उस संघ राज्य-क्षेत्र में निवासी हैं” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें अर्थात् :—

- | | | | |
|----|---|----|---------------|
| 1. | अन्डमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टावो वो येरे, कोडे, बीय, वालावा, वोजीगियाव, जवाई, कोल | 2. | जरावा |
| | “अनुसूची | 3. | निकोबर निवासी |
| | | 4. | ओंगे |
| | | 5. | सेंटीनेली |
| | | 6. | शोम पेन ।" । |